खण्ड-214, अंक-3
बुधवार, 5 श्रावण, शक संवत् 1882
(27 जुलाई, 1960 ई0)

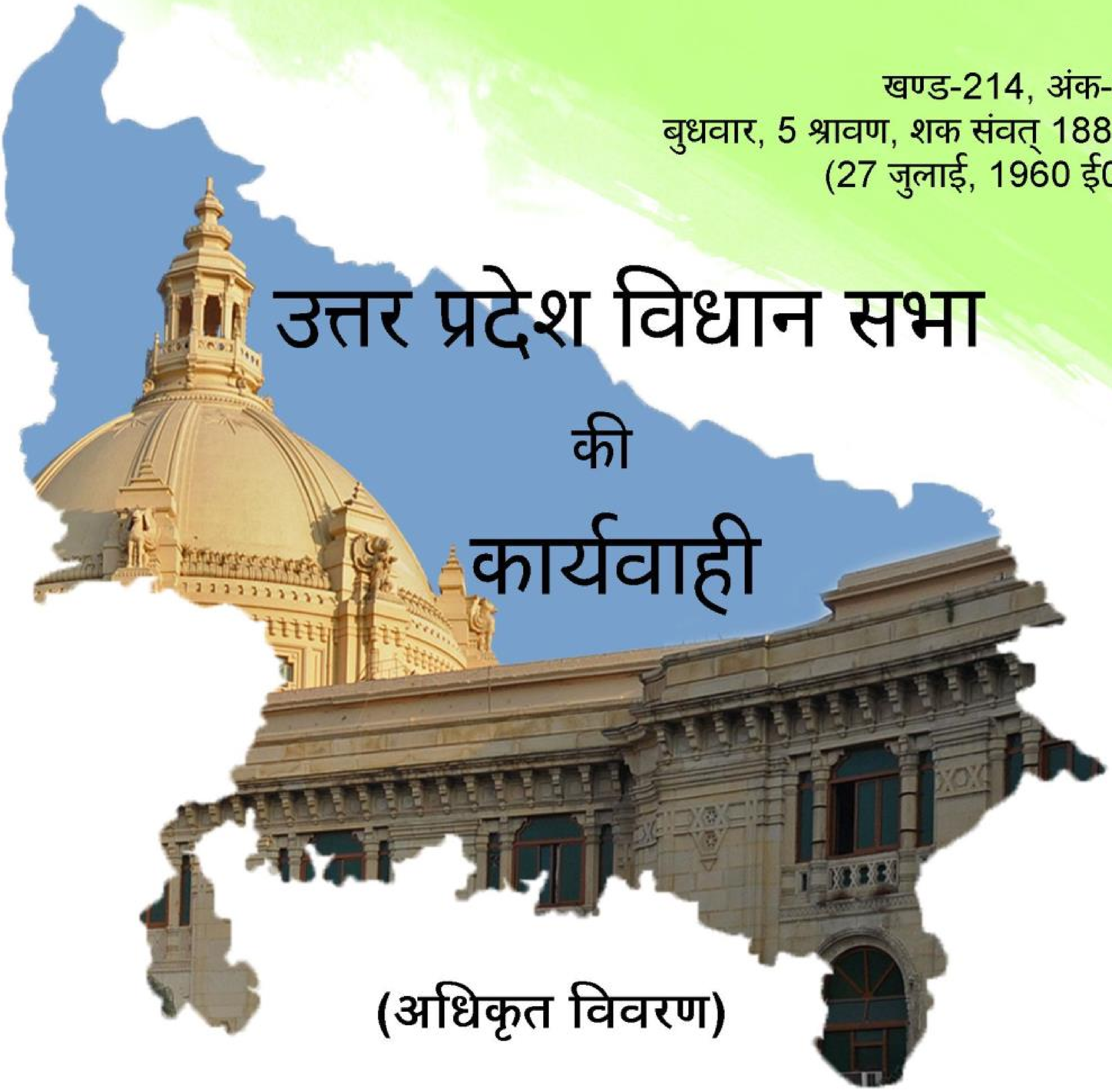

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 214 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २७ जुलाई, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३६६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति शास्त्री, श्री
छेदी लाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ मंडरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयाल करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर आचार्य, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पब्बरराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादलसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंहचौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री

श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीर सिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २७ जुलाई, १९६०

तारांकित प्रश्न

फरुखाबाद जिलें में हरिजन कूप

*१--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फर्रुखाबाद जिले में पानी पीने के कितने ऐसे कुएं बने हैं जिन्हें सरकारी अनुदान मिला है ? उनमें हरिजनों के कितने हैं ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--"ब्लाक" के बजट से दिये गये अनुदान द्वारा फर्रुखाबाद जिले में कुल ८८४ कुएं बनाये गये जिनमें १४२ हरिजनों के हैं।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में ब्लाकवार कितने हरिजनों के प्रार्थना-पत्र कुएं बनवाने के लिये आये थे ?

श्री जयराम वर्मा--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया--क्या यह सही है कि हरिजन गरीब होते हैं और अनुदान कुआं तैयार होने के बाद मिलता है इसलिये हरिजन कुआं नहीं बनवा पाते, इस कठिनाई को क्या सरकार दूर करने पर विचार करेगी ?

श्री जयराम वर्मा--इस वक्त जो सहायता दी जा रही है वही दी जायगी, इसमें परिवर्तन करने का कोई मामला इस समय विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हरिजनों के कुओं के लिये जो रकम होती है उसका बहुत हिस्सा यूटिलाइज नहीं हो पाता क्योंकि पूरा कुआं बनने के बाद उनको पेमेन्ट होता है, इसलिये पार्ट पेमेन्ट हो सके जिससे कि पूरा रुपया यूटिलाइज हो जाय इस प्रकार की व्यवस्था करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—यह सही नहीं है कि आखिर में ही पेमेन्ट होता है, बीच में भी पेमेन्ट होता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फर्रुखाबाद जिले में पानी पीने के कुएं बनाने का कितना निर्धारित लक्ष्य था ?

श्री जयराम वर्मा—सूचना की आवश्यकता है ।

अलीगढ़ की हरिजन कालोनी

*२—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ शहर में जो हरिजन कालोनी बनी हुई है उसमें कितने मकान हैं और वे कितनी लागत से बने हैं ?

श्री जयराम वर्मा—इस कालोनी में ४८ क्वार्टर हैं, जिनकी लागत ६८,३५५ रुपये है ।

*३—श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या अलीगढ़ शहर में जो हरिजन कालोनी है उसमें वे लोग रह रहे हैं जो हरिजन नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां । तीन क्वार्टरों में हरिजन रहते हैं, १० खाली पड़े हैं और ३५ क्वार्टरों में अन्य लोग रहते हैं । जब उपर्युक्त क्वार्टर बनकर तैयार हो गये तो भरसक प्रयत्न किया गया कि हरिजन उनमें आकर ३ रुपया प्रतिमास के नाममात्र किराये पर रहें, लेकिन जब वे लोग अपनी शहर की वृत्ति छोड़ कर आने को राजी न हुए तो किराया घटाकर २ रुपया मासिक कर दिया गया, लेकिन फिर भी हरिजनों ने अपने पुराने निजी घरों तथा अपने सम्बन्धियों को छोड़ना पसन्द नहीं किया । जब हरिजन लोग किसी प्रकार भी उपर्युक्त क्वार्टर्स में आने को तैयार न हुए तब राज्य सरकार की आज्ञा लेकर नगरपालिका ने इन क्वार्टर्स को दूसरे लोगों को देना आरम्भ कर दिया ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वह क्वार्टर्स हरिजनों के लिये बनाये गये थे और हरिजन किराया देकर रह नहीं सकते, किराया हटाने की कृपा करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—इसका निश्चय तो वहां की नगरपालिका को करना है, अगर वह कोई किराया न ले तो हमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन क्वार्टरों में जो गैर-हरिजन लोग रह रहे हैं उनको म्युनिसिपैलिटी ने कितने किराये पर उठाया है ?

श्री जयराम वर्मा—आठ रुपये ३४ नये पैसे फी क्वार्टर के हिसाब से दिये गये हैं ।

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो म्युनिसिपैलिटी के बाहर हरिजन और महकमों में काम कर रहे हैं उनको म्युनिसिपैलिटी मकान देने के लिये राजी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह तो म्युनिसिपैलिटी से पूछा जाय। लेकिन वे म्युनिसिपैलिटी ने अपने कर्मचारियों के लिये बनवाये हैं।

झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की कथित निजी सम्पत्ति

*४—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में अंग्रेजों का आधिपत्य होने के समय क्या झांसी तहसील के डंगर वाहा, रुंद-डंगरिया, पाली पहाड़ी रूंद बलोरा, गांगोनी व बहआपुरा नामक ग्रामों में महारानी लक्ष्मीबाई की खुदकाश्त होने के फलस्वरूप तथा उनका झांसी का नारायणबाग सरकारी सम्पत्ति हो गये थे और १२९७ फसली में होने वाले बन्दोबस्त के अनुसार वह अब भी उसके प्रबन्ध में हैं?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—कथित गांवों में महारानी लक्ष्मी बाई की खुद काश्त थी या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्राप्त नहीं है। किन्तु यह मालूम हुआ है कि अंग्रेजों के आधिपत्य में आने के पूर्व रूंदडंगरिया को छोड़कर अन्य गांव, तथा नारायणबाग महाराजा सिंधिया के राज्य के अन्तर्गत थे और रूंदडंगरिया गांव एक जमींदार के अधिकार में था। फसली सन् १२९७ के बन्दोबस्त के अभिलेखों में उपर्युक्त गांव तथा बाग सरकारी सम्पत्ति लिखे हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना देने पर जांच कराने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानद—मैं नहीं समझा कि किस चीज की जांच करानी होगी क्योंकि ७५ वर्षों से सरकारी सम्पत्ति लिखी हुई है। अगर उससे पहले किसी और की सम्पत्ति रही भी हो तो क्या जांच होगी, उसका क्या फायदा होगा, मैं नहीं समझ सकता।

श्री वृजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानी साहबा के उत्तराधिकारियों ने उस सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझको तो कोई मिला नहीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकारी अभी भी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य की इत्तला बिलकुल गलत है। उनके उत्तराधिकारी नागपुर में रहते हैं, झांसी में नहीं।

श्री अध्यक्ष—क्या यह भी ठीक है कि वे नागपुर में हैं या इन्दौर में हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रीमन् की सूचना सही हो सकती है। कम से कम झांसी में नहीं हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी ७५ साल पहली अंग्रेजों की भूल को सही करने का कष्ट करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने कहा कि उससे पहले किसी के भी कब्जे में रही हो मगर उत्तर प्रदेश की सरकार के कब्जे में कोई चीज आ जाय तो बड़ी अच्छी बात है।

श्री देवनारायण भारतीय—इस बात को देखते हुये कि महारानी लक्ष्मी बाई ने अपने जीवन का सर्वस्व देश की आजादी के लिये स्वाहा कर दिया और अब भी उनके वंशज इत्यादि हैं उनकी सम्पत्ति उनके वंशजों को दे दी जाय चाहे वे नागपुर में रहते हों या इन्दौर में या झांसी में रहते हों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सम्पत्ति के हस्तांतरण का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन १९५७ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी तरफ से उनके पौत्र के लिये पेंशन नियुक्त कर दी है जो उनको अभी भी मिल रही है चाहे वे कहीं भी रह रहे हों।

उत्तराखंड में शिक्षा प्रसार

*५—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेश व तिब्बत के बार्डर जिलों में शिक्षा में व्यय की गई धनराशि में कौन-कौन नये स्कूल खोले गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १९१ पर)

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो तालिका दी है इसमें कोई ऐसे भी स्कूल हैं जो तहुधंधी स्कूल हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना की आवश्यकता है।

उत्तराखंड की विकास योजनायें

*६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उत्तराखंड के तीनों नये जिलों के विकास के लिये सरकार ने वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कितना रुपया रखने का प्राविधान किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तराखंड के तीन नये जिलों के विकास के लिये चलाई गई विभिन्न योजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के आय-व्ययक में २०९.३१ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसमें केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों का शेयर क्या होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अलग अलग सूबों का अलग-अलग परसेंटेज होता है। इसका उत्तर बिना सूचना के नहीं दिया जा सकता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार ने इसकी कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी, १० दिन में, १५ दिन में, जब कभी हो सके, ब्लू-प्रिन्ट ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ब्योरा तो मैं इसका बता सकता हूं। अगर सदन की मेज पर रखने की बात हो तो रखवा भी दूंगा।

श्री अध्यक्ष—बतला दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं लाख में बता रहा हूं।

हरिजन सहायक कार्यों के लिये	१.९३
गूल तथा पक्के तालाबों का निर्माण	१.५०
छोटे नालों का सिंचाई के लिये निर्माण	.६०
पेय जल योजना	.७०
छोटे सिंचाई के कार्यों पर	५.७७
ग्रामोद्योग योजनायें	३.७५
हार्टीकल्चर	४.३७

जन-स्वास्थ्य	१.१७
राष्ट्र प्रसार योजना	२३.८०
पशुपालन	४.६३
महिला मंगल योजना	.०८
वन विकास	१२.३९
राजस्व निर्णय करने के लिये की गई पैमायश की योजना	४.००
शिक्षा सम्बन्धी कार्य	१६.१०
विद्युत योजनायें	१.५०
यातायात तथा भवन निर्माण	९८.०४

एक और योजना है २८.९८ लाख रुपये की जो विशेष रूप से दूर के क्षेत्र के लिये है। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

पशुपालन	७.८०
काटेज इंडस्ट्रीज	६.७५
हार्टीकल्चर	१.०५
जड़ी-बूटियों का विकास	१.००
स्वास्थ्य	३.४०
पेय जल	१.००
शिक्षा	५.५०
झूले के पुल	.२७
पंचायतघर निर्माण	.३५
छोटे सिंचाई के साधनों के लिये	.२०
वन विकास	.२५
सांस्कृतिक कामों के लिये	.४०
एक सब-ट्रेजरी खोलने के लिये	.१९
पशुओं के बालों की टैनिंग के लिये	.८२
कुल मिला कर होता है	२०९.३१ लाख।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जैसा कि बार-बार सरकार की ओर से कहा जाता है कि प्लान वहां के लोगों से पूछ कर बन रही है तो क्या इसमें वहां के लेजिस्लेचर्स या जन-प्रतिनिधियों की राय ली गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये यह बात हो सकती है, लेकिन जहां तक बार्डर एरिया के इन तीनों जिलों का ताल्लुक है, समय इतना कम था कि ऐसा करना सम्भव नहीं था। इसकी योजना केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार ने मिल कर बनायी है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार ने जो यह योजना बनायी है उससे वहां के इलाके के कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा, क्या इसका अनुमान लगाया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा कि बताया गया है पशुपालन और छोटे उद्योगों से अच्छी संख्या में लोगों को रोजगार मिलना चाहिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—इन तीन जिलों के महत्व को देखते हुये वहां के लिये अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने भिन्न-भिन्न खर्चे के आइटम बताये, उनमें जहां तक मैं समझा, यातायात के साधनों के ऊपर खर्च करने के लिये बहुत कम रुपया दिया गया है तो क्या सरकार, उसके महत्व को देखते हुए और उस स्थान की दुर्गमता को देखते हुए, इस पर फिर से विचार करेगी कि वहां पर यातायात के साधनों के लिये और अधिक रुपया दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---२०९ लाख रुपये में से ९८ लाख रुपया इसके लिये रखा गया है जो करीब-करीब आधे के हो जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--- वहां पर तीन नये जिले बनाये गये हैं और जिनके लिये इतनी बड़ी योजना रखी जा रही है तो क्या सरकार उसके लिये अन्तरिम जिला परिषद् और गैर-सरकारी प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये कोई विशेष बाडी बना रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त तो हमारे सामने यही प्रश्न था कि कितना रुपया खर्च किया जाय। अब उसको खर्च करने के लिये क्या प्रबन्ध हो, यह आगे का प्रश्न है जो विचारणीय है।

ग्रामीणों का नगरों में बसना

*७---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने उन परिस्थितियों की छानबीन करने के लिये एक कमेटी को नियुक्त करने का निश्चय किया है जिनके कारण प्रदेश के ग्रामीण लोग शहरों में आ-आ कर आबाद हो रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- सरकार ने ऐसा कोई निश्चय नहीं किया।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह मामला सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कोई खास विचाराधीन भी नहीं है तथा इस प्रकार की कोई कमेटी नियुक्त करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

फर्रुखाबाद जिले में सिंचाई के साधनों के लिए तकावी

*८---श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में सिंचाई के कुएं बनाने तथा नलकूप लगाने के लिये सन् १९५० से अब तक कितना रुपया कितने व्यक्तियों ने कर्ज लिया और अब तक कितने कुएं और नलकूप बने?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)---सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १९२ पर)

*९---श्री राजेन्द्रसिंह यादव---क्या सरकार ऐसे लोगों से जिन्होंने कुएं तथा नलकूप नहीं बनाये इकट्ठा रुपया वसूल करने पर विचार करने की कृपा करेगी?

श्री सुल्तान आलम खां---जिन्होंने कुएं तथा नलकूप नहीं बनाये हैं उनकी जांच-पड़ताल जिलाधीश द्वारा की जा रही है और उसके पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुएं और नलकूप अब तक १० सालों में क्यों नहीं बने?

श्री सुल्तान आलम खां---ऐसी बात नहीं है कि न बने हों। कुछ बने हैं, कुछ नहीं बने। जो नहीं बने हैं उनके खिलाफ जांच की जा रही है और जो उचित कार्यवाही होगी, वह की जायगी।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जांच कब तक समाप्त हो जायगी और जांच हो जाने के बाद उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी?

श्री सुल्तान आलम खां--इस बात की कोशिश की जा रही है कि जांच जल्द से जल्द खत्म हो। जांच खत्म हो जाने के बाद जिन लोगों ने तकावी के रुपये को वक्त पर खर्च नहीं किया है उनसे यकमुश्त वापस ले लिया जायगा, किस्तों की रियायत उनको न दी जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि गत दस वर्षों में कुल कितना रुपया सिंचाई के लिये कुएं बनाने को दिया गया और उसमें से कितने रुपये से कुएं बनाये गये और कितना रुपया बाकी है जो वसूल किया जायगा।

श्री सुल्तान आलम खां--पक्के कुओं के लिये ९,६०,७१५ रुपया दिया गया था और नलकूपों के लिये ५,६५,२५० रुपया दिया गया था। उनमें से ११८६ मेशोनरी वेल्स और ५७ ट्यूबवेल्स अभी तक नहीं बन पाये हैं।

श्री देवनारायण भारतीय--श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा कितना धन है जिससे कुएं या नलकूप बन चुके हैं और ऐसा कितना धन है जिससे नहीं बनाये गये हैं और जिसको सरकार अब वापस करने को कहती है और उसे वसूल करना चाहती है ?

श्री सुल्तान आलम खां--यह तो आप हिसाब लगा सकते हैं। मैंने यह बतलाया कि ९,६०,७१५ रु० २०५५ कुओं के लिये दिये गये इनमें से ११८६ कुएं अभी तक तैयार नहीं हुये हैं। ८६९ कुएं तैयार हो गये हैं और ५,६५,२५० रु० १२० नलकूपों के लिये दिये गये जिनमें से ६३ नलकूप तैयार हुये हैं और ५७ नहीं तैयार हुये हैं। अलहदा अलहदा ब्योरा आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वह तकावी देते हैं उस समय कोई ऐसी समय की सीमा भी निर्धारित होती है कि इतने समय के अन्दर कुएं या नलकूप बन जाने चाहिये ?

श्री सुल्तान आलम खां--जब तकावी का रुपया दिया जाता है तो उसके अन्दर कायदा यह है कि रुपया वसूल होने के एक साल के अन्दर कुआं बन जाना चाहिये और अगर किसी वजह से एक साल के अन्दर वह नहीं बन पावे तो कलेक्टर के यहां दरख्वास्त देने पर एक साल की और तौसीअ हो जाती है, बहरसूरत दो साल में उसे बन जाना चाहिये।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब नलकूप या कुएं के लिये लिये हुये रुपये अधिक से अधिक दो साल के अन्दर खर्च हो जाने चाहिये, तो उसके बाद पिछले ८ साल तक उसकी जांच के सिलसिले में या फिर तकावी वसूल न करने के सिलसिले में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री सुल्तान आलम खां--मैंने इसका अभी यह जवाब दिया है कि यही कार्यवाही की जा रही है, जिलाधीश के जरिये जांच की जा रही है कि जो रुपये कुएं और नलकूपों के लिये दिये गये वे क्यों नहीं सर्फ हुये और उस पर जो जरूरी कार्यवाही है वह की जायगी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने निश्चित अवधि के भीतर उन रुपयों का उपयोग नहीं किया और उन्हें किसी दूसरे काम में लगा दिया, तो उनके खिलाफ कोई पैनाल्टी की भी व्यवस्था की जाय ताकि भविष्य में ऐसा लोग न कर सकें ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने बतलाया कि उनसे वह वसूल करना चाहते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने अभी कहा कि कलेक्टर को लिखा गया है जांच करने के लिये, तो इसको सरकार ने कब लिखा कलेक्टर को ?

श्री सुल्तान आलम खां---इन सवालों के आने के पहले लिखा जा चुका है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह कर्जा दिया जाता है इस शर्त के साथ कि कुआं एक साल के अन्दर बन जाना चाहिये और ८ साल तक उन शर्तों को तोड़ा गया, तो क्या सरकार इस कर्जे को देते समय उनसे कोई जमानत भी लिखाती है? यदि हां, तो उनकी जायदाद की कुर्की के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री सुल्तान आलम खां---ये सब बातें विचाराधीन हैं कि कायदे के अन्दर जब तकावी दी जाती है और उस कायदे की पाबन्दी नहीं होती यानी वक्त पर कुआं तैयार नहीं होता तो कायदे के अन्दर उनकी पैनाल्टी यही है कि उनसे सारा रुपया एकमुश्त वसूल कर लिया जाय और यदि कुछ देर हो गयी है तो भी उनसे वसूल करने की कोशिश की जायगी।

व्यापारिक संस्थाओं में सरकार के शेयर्स

*१०---**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की किन-किन व्यापारिक संस्थाओं या धंधों में उसके शेयर्स हैं और उनमें से पिछले वर्ष में कितना-कितना लाभ या हानि हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उत्तर प्रदेश की व्यापारिक संस्थाओं में सरकार के शेयर्स की तथा जिन संस्थाओं ने १९५९ में लाभांश (dividends) दिये हैं उनकी सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। हानि संबंधी सूचना उपलब्ध करना संभव नहीं है।

२---सहकारी संस्थाओं तथा धंधों के विषय में सूचना अभी एकत्र की जा रही है जो बाद में प्रस्तुत की जायेगी।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १९३-१९४ पर)

एटा जिले में बी० डी० ओ० के विरुद्ध शिकायत

*११---**श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में ऐसे कितने बी०डी०ओ० हैं जिनके विरुद्ध जिला अधिकारियों के पास शिकायतें १ जनवरी, सन् १९६० से अब तक प्राप्त हुईं और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१ जनवरी, १९६० से अब तक केवल एक शिकायती-पत्र एक बी०डी०ओ० के विरुद्ध जिला नियोजन अधिकारी को प्राप्त हुआ है। शिकायत की जांच के फलस्वरूप बी०डी०ओ० निर्दोष सिद्ध हुये। दोष वस्तुतः एक चपरासी का था जिसको एक कड़ी चेतावनी दे दी गई है।

*१२---**श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त शिकायतें किस किस्म की हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शिकायत बी० डी० ओ० द्वारा बुरा बर्ताव एवं मारपीट करने की थी।

जौनपुर जिले में विभिन्न उद्योगों के लिये ऋण

*१३---**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जौनपुर में कितना रुपया कितने व्यक्तियों को अलग-अलग किस-किस उद्योग के लिये डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज द्वारा १९५८-५९ में कर्ज दिया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*१४--श्री राजनारायण (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि उपरोक्त उद्योगों में से एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से उद्योग चल रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

ए० डी० ओ० व ए० डी० पी० ओ० के लिये निर्धारित योग्यता

*१५--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने ए० डी० ओ० व ए० डी०पी०ओ० हैं जो केवल हाई स्कूल पास हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--केवल हाई स्कूल पास ३६० ए०डी०ओ० इस समय कार्य कर रहे हैं। जहां तक ए० डी० पी० ओ० का संबंध है वे सब हाई स्कूल से ऊंची परीक्षायें पास हैं।

श्री हिम्मतसिंह--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ए०डी०ओ० की मिनिमम क्वालीफिकेशन क्या है ?

श्री सुल्तान आलम खां--उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है।

श्री हिम्मतसिंह--जब वह ग्रेजुएट है तो ३६० हाई स्कूल पास क्यों रखे गये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां--इसकी वजह यह है कि विलेज लेबिल वर्कर की मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रीकुलेट है और बहुत से इस जगह पर उस जगह से तरक्की कर के आये हैं। जो ऐसे लोग हैं वही ए०डी०ओ० ग्रेजुएट नहीं हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दूबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जितने ए०डी०ओज, वी० एल० डब्लू०, से प्रोमोट होकर आये हैं वे कितने दिन की वी० एल० डब्लू० की सर्विस के बाद प्रोमोट होकर आये हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--उस की सही मुद्दत बताना तो मुश्किल होगा वह तो नोटिस मिलने पर ही बताया जा सकता है, लेकिन जो वी० एल० डब्लू० अच्छा काम करते रहे हैं वक्तन फवक्तन उन्हीं में से सेलेक्शन होता रहा है और जिन अच्छा काम करने वालों के नाम आते हैं उनका इंतखाब हो जाता है।

श्री गौरीशंकर राय--इस समय प्रदेश में ८४ ए० डी० ओज० ऐसे हैं कि जो हाई स्कूल भी पास नहीं हैं, तो जब वी० एल० डब्लू० की क्वालिफिकेशन भी हाई स्कूल पास होना चाहिये तो उनको ए० डी० ओज० कैसे बना दिया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां--बात यह है कि शुरू में जब यह काम चालू किया गया उस वक्त लोग ज्यादा नहीं मिलते थे इसलिए उस जमाने में नान-मैट्रिकुलेट वी० एल० डब्लू० भी ले लिये जाते थे और ए० डी० ओज० की भी कमी थी इसलिये उनमें से जिनको तरक्की दी गई वही ऐसे लोग हैं, लेकिन बाद में क्वालिफिकेशन मेट्रीकुलेट कर दी गई। तो यह पहले के लोग हैं जो तरक्की कर के वी० एल० डब्लू० से ए० डी० ओ० हुये हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--अब ए०डी०ओ० का सेलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है। ये जो एक बड़ी तादाद हाई स्कूल और नान-मैट्रिक की है, पब्लिक सर्विस कमीशन से इनका प्रूवल लिया गया है ? यदि नहीं, तो एप्रूवल लेने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां—पब्लिक सर्विस कमीशन से तो ए० डी० ओ० का चुनाव होता नहीं था, डिपार्टमेंटली होता था, उसी तरीके से आये हैं। अब आइंदा क्या होगा, इस सब के मुताल्लिक गौर हो रहा है।

बहेड़ी व फरीदपुर नगरपालिकाओं को अनुदान

*१६—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका बहेड़ी व फरीदपुर, जिला बरेली को सन् १९५७–५८ व ५८–५९ में प्रति वर्ष कितना-कितना रुपया सरकार ने अनुदान या कर्ज के रूप में दिया है और जिस मद में रुपया दिया है वह काम भी हुआ है या नहीं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १९५ पर)

प्राविधिक संस्थानों के व्याख्याताओं का वेतन-क्रम

*१७—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इस राज्य के प्राविधिक संस्थाओं (Technical Institutions) के व्याख्याताओं (लेक्चरर्स) आदि के वेतन-क्रम सरकार द्वारा सिफारिश के किये हुये वेतन-क्रम के समान हैं?

*१८—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत प्राविधिक संस्थाओं में प्राविधिक कर्मचारियों के कौन-कौन से पद पेन्शन युक्त एवं कौन-कौन से पद पेन्शन रहित हैं और क्यों ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—राजकीय प्राविधिक संस्थानों में वेतन-क्रम क्या है ?

श्री अध्यक्ष—अभी तो सूचना एकत्र ही नहीं की है, वे बतायेंगे कैसे ?

प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई के कुओं का निर्माण

*१९—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला प्रतापगढ़ में सिंचाई के कितने नये कुएं सरकारी अनुदान से या तकावी से अलग-अलग १९५९–६० से अब तक बनाये गये ?

श्री सुल्तान आलम खां—सरकार नए कुएं बनाने के लिए दिए गए कर्ज पर अधिकतम २५ प्रतिशत अनुदान देती है यदि कर्ज लेने वाला नियत अवधि के अन्दर कुआं बना ले। अनुदान मात्र से कोई सिंचाई के कुएं नहीं बनते हैं।

प्रतापगढ़ जिले में सरकार द्वारा दिए गए कर्ज से १९५९–६० में ५७ नये कुएं बने।

श्री हरकेशबहादुर—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिस प्रकार अनुदान पानी के पीने वाले कुएं के निर्माण के लिये दिया जाता है उसी तरह से अनुदान सिंचाई के कुएं के निर्माण के लिये भी दिया जाय ?

श्री सुल्तान आलम खां—अलग-अलग नियम हैं, उनके मातहत दिया जाता है। जो सिंचाई के कुएं बनते हैं, इसमें जो अनुदान दिया जाता है उसमें जब वह कुआं बन जाता है तो २५ फीसदी सब्सिडी के तौर पर छोड़ दिया जाता है। यह इसका कायदा है, इसके मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं आई, इसलिये दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी।

श्री हरकेशबहादुर—क्या सरकार बताएगी कि ५७ कुओं के लिये कितने रुपये का कर्ज दिया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां—१९५९ में २५ हजार रुपया दिया गया था और उस जिले को मिला था जहां ग्रो मोर फूड कम्पेन चल रहा था। १४ हजार ८२ रुपया तकसीम कर दिया गया। खंड में १ लाख ६४ हजार ५०१ रुपया तकसीम किया गया। लेकिन यह नहीं मालूम हो सकता कि उस साल के रुपये में कितने कुएं बने क्योंकि जो रुपया दिया गया वह कुएं तो एक-दो साल बाद तैयार होंगे। सन् १९५९–६० में जो बने होंगे वह तो पिछले साल की रकम से बने होंगे।

उद्योग विभाग से इलाहाबाद जिले को ऋण

*२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कितना धन उद्योग विभाग द्वारा ऋण तथा अनुदान के रूप में १९५९–६० के वित्तीय वर्ष में दिया गया है ? यह धन कितने व्यक्तियों को कैसे वितरित किया गया और इसकी सहायता से उद्योग में किस-किस प्रकार की तरक्की हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उद्योग विभाग द्वारा जिला इलाहाबाद में वित्तीय वर्ष १९५९–६० में ३,३६,५२५ रुपये ऋण तथा ४७,३०४.९४ रुपये अनुदान वितरित किया गया।

उपरोक्त धन २३२ व्यक्तियों को विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वितरित किया गया, जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

चूंकि अधिकतर धन वित्तीय वर्ष १९५९–६० के अन्त में वितरित हुआ तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने वालों को उद्योग स्थापित करने हेतु उचित समय भी दिया जाता है, अतः इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की पूर्ण सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १९६ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—मंत्री जी बतायेंगे कि किस आधार पर यह ऋण और अनुदान दिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उद्योग चलाने वाला जो आदमी होता है वह अपनी योजना लाता है, उसके आधार पर ऋण दिया जाता है। यदि वह योजना इस योग्य है कि ऋण दिया जाय तो दिया जाता है। अनुदान का आधार अलग-अलग स्कीमों का अलग-अलग है। हमारे टेक्नीकल स्कूलों से जो लड़के निकलते हैं अगर वह अपना कारोबार करना चाहते हैं तो हम उन को कुछ धन ग्रान्ट-इन-एड की शक्ल में देते हैं। कुछ रुपया खादी स्कीम्स का है जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज ने अपना पैटर्न बना रखा है उसके मुताबिक उन सहकारी समितियों को दिया जाता है जो उस काम में लगी हुई हैं—जैसे तेल घानी और अम्बर का काम है। इस प्रकार अलग-अलग कामों में अलग-अलग पैसा अलग-अलग नियमों के मुताबिक मिलता है।

कार्यावधि प्राप्त राजपत्रित अधिकारी

*२१—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में कितने ऐसे और कौन-कौन से सरकारी गजेटेड आफिसर हैं, जिनका सेवा काल पूर्ण हो चुकने पर १९५६ से इधर उनकी कार्यावधि और बढ़ा दी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१ जनवरी, १९५६ से ३१ मार्च, १९६० के बीच जिन सरकारी गजेटेड अधिकारियों की कार्यावधि बढ़ाई गई, उनकी संख्या ३० है तथा उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। उक्त सभी अधिकारियों की सेवायें अब तक समाप्त हो चुकी हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १९७ पर)

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन-कौन से मुख्य कारण थे जिनके आधार पर इन ३० अफसरों का कार्यकाल बढ़ाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कारण तो एक ही होता है, प्रशासकीय कारण । अगर कोई जरूरी काम किसी खास अफसर के सुपुर्द है तो थोड़े दिनों के लिये उसको काम करने का और मौका दे दिया जाता है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या यह सही है कि इस लिस्ट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कैरेक्टर रोल्स में अच्छी एंट्रीज नहीं हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—३० अफसर अलग-अलग महकमे के हैं । जब तक किसी खास अफसर का नाम न हो तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता । गालिबन ऐसा होगा नहीं ।

श्री गौरीशंकर राय—मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इन ३० अफसरों में से कितने टेक्नीकल हैं और कितने नान-टेक्नीकल ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ डाक्टर हैं, फ़ूट यूटीलाइजेशन विभाग के हैं, आई० ए० एस० भी हैं । लेकिन इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री मदन पांडेय—मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इन ३० अधिकारियों में से कितने व्यक्तियों को दोबारा एक्सटेंशन दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—मुख्य मंत्री जी इस का ध्यान रखेंगे कि जो गजटेड अफसर टेक्निकल हों उन्हीं का कार्यकाल बढ़ाया जाय और बाकी का न बढ़ाया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ध्यान हमेशा रखा जाता है, लेकिन गारण्टी नहीं दी जा सकती कि सिवाय टेक्नीकल लोगों के किसी और का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जायगा ।

बांदा जिले में पुराने राजपत्रित अधिकारी

*२२—**श्री रामसनेही भारतीय** (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में कितने ऐसे गजटेड आफिसर हैं जिनको तीन साल उस जिले में रहते हो गये तथा उनके पद क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १९८ पर)

उद्योग विभाग से जिलेवार ऋण

*२३—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५९ में उद्योग विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में कितना रुपया ऋण के रूप में जिलेवार दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आवश्यक सूचना उन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १९९ पर)

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९५९ में प्रदेश के लिये उद्योग विभाग के लिये कितना रुपया ऋण के रूप में देने के लिये निश्चित था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१९५९ के लिये अलग से कोई रुपया नहीं था । रुपया वित्तीय वर्ष के लिये होता है जैसे १९५९-६० के लिये था । उसकी फीगर इस समय निकालना मुश्किल है ।

लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की योजनायें

*२४—श्री उग्रसन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में लखनऊ नगर महापालिका की स्थापना के पूर्व लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कितनी विकास योजनाओं (इम्प्रूवमेंट स्कीम) को स्वीकृत करके विज्ञप्त किया है ? ये योजनायें कौन कौन सी हैं ? इनके उद्देश्य और लक्ष्य क्या-क्या हैं ?

*२५—क्या सरकार उक्त योजनाओं के एक्वीजीशन प्लान तथा ले-आउट प्लान सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और कृपया यह भी बतायेगी कि इन स्कीमों द्वारा कितने व्यक्ति विस्थापित होंगे और उनके पुनर्वासन की क्या-क्या योजनायें हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् को सड़कों व भवनों की मरम्मत के लिये अनुदान

*२६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ अन्तरिम जिला परषिद् को वित्तीय वर्ष १९५३–५४ से वित्तीय वर्ष १९५८–५९ तक क्षति ग्रस्त बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की सड़कों एवं भवनों की मरम्मत के लिये अलग-अलग वर्षों में कितना-कितना अनुदान दिया गया है तथा उसका उपयोग किन-किन वर्षों में किन-किन सड़कों तथा किन-किन भवनों की मरम्मत में कितना-कितना रुपया हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा—सूचना अन्तरिम जिला परिषद् से प्राप्त हो गई है किन्तु उसमें कुछ त्रुटियां हैं जिनका स्पष्टीकरण परिषद् से मांगा गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इतनी देर से सूचना भी प्राप्त न होने का कारण क्या है और क्या यह सही है कि जिला परिषद् ने इस धनराशि को इधर उधर खर्च कर दिया है, इसलिये सूचना देने में आनाकानी हो रही है ?

श्री जयराम वर्मा—सूचना जो मांगी गयी थी वह काफी लम्बी थी और वहीं से यह सूचना आयी थी कि इसमें दो-तीन महीने लगेंगे । सूचना एकत्र करने में इसलिये देर हुई । माननीय प्रश्नकर्ता की यह राय हो सकती है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, लेकिन ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री कोई निश्चित अवधि बतला सकते हैं और जब उन्हें सूचना प्राप्त हो जाय तो उसकी इत्तला सदन को दी जा सकेगी ?

श्री जयराम वर्मा—निश्चित अवधि बतलाना तो मुश्किल है लेकिन इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो त्रुटियां मालूम हों उनका जल्दी सुधार हो जाय ।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में निर्धारित समय से अधिक काम लेने की शिकायत

*२७—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में १९५९–६० के वित्तीय वर्ष में मजदूरों से अन्य सूती मिलों में मजदूरों के मुकर्रर काम के घंटों की बनिस्बत ज्यादा घंटे काम लिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं । मुकर्रर काम के घंटों से ज्यादा काम कथित मिल में नहीं लिया गया ।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बलतायेंगे कि इस मिल में मजदूरों से हफ्ते में कितने घंटे काम लिया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस मिल में अलग-अलग शिफ्ट और अलग-अलग वर्कर्स से ४६ से ४८ घंटे तक काम लिया जाता है जो नियमानुकूल है ।

श्री उमाशंकर शुक्ल--इस मिल के मजदूरों से, जो फैक्टरी ऐक्ट के खिलाफ है, एक दिन ऐसा है जिसमें ११ घंटे काम लिया जाता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं, ११ घंटे काम लेने की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि अगर ११ घंटे नहीं है तो ८ घंटे से अधिक एक दिन कार्य लिया जाता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं, ऐसी भी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है कि फैक्टरी ऐक्ट की धाराओं के मुताबिक जितने घंटे काम लेना चाहिये उनसे ज्यादा लिया जाता है। रहा यह कि एक दिन ८ घंटे के ऊपर काम लिया जाता है तो यह बात सही है कि एक दिन हफ्ते में साढ़े ८ घंटे काम लिया जाता है।

श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या माननीय मंत्री इस बात की सूचना मान कर इस बात की जांच करायेंगे कि शनिवार के दिन उनसे ११ घंटे काम लिया जाता है जो इतवार को ८ बजे खत्म होता है जब कि ८ घंटे के बाद काम खत्म हो जाना चाहिये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस सवाल के आने के बाद चीफ इंस्पेक्टर, फैक्टरीज से इस सम्बन्ध में पूछा गया और खास तौर से इस मिल में भेजा गया यह पता करने के लिये कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। उनकी रिपोर्ट है कि साढ़े ८ घंटे से ज्यादा हफ्ते में किसी दिन भी यह मिल काम नहीं लेती और फैक्टरी ऐक्ट के हिसाब से इतना काम वह ले सकती है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विशेष मिल में साढ़े ८ घंटे एक दिन में काम लेने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--वह तो उन्होंने बता दिया कि फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार वह ले सकते हैं और लेते हैं।

कानपुर की रेशनलाइज्ड मिलें

*२८--**श्री उमाशंकर शुक्ल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के कितने सूती मिलों के स्पिनिंग, वीविंग और कार्डिंग डिपार्टमेंट पूरे रेशनलाइज्ड बेसिस पर चल रहे हैं और कितने पार्शियल रेशनलाइज्ड बेसिस पर चल रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--तीनों विभाग किसी के भी नहीं है। तीन मिलों के वीविंग और स्पिनिंग विभाग प्रधानतः और ६ के आंशिक रूप में रेशनलाइज्ड हो चुके हैं।

*२९--**श्री उमाशंकर शुक्ल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेशीय सरकार टेक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशों के स्थान पर विन्ध्यवासिनी प्रसाद कमेटी (रेशनलाइजेशन इनक्वायरी कमेटी) की सिफारिशों को उत्तर प्रदेश की सूती मिलों पर लागू करने का विचार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं।

श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन मिलों ने रेशनलाइजेशन किया है उनमें वेतन देने का आधार क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वेतन जितना रेशनलाइजेशन के पहले मजदूर पाता था उससे ज्यादा पा रहा है और वह वेतन उन्होंने अपने मजदूरों के बीच में तय किया है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रेशनलाइजेशन को लागू करने के सिलसिले में अभी हाल ही में नैनीताल में त्रिदलीय सम्मेलन में कोई फैसला हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मालिक और मजदूर दोनों ने मिल कर त्रिदलीय सम्मेलन के सामने यह बात कह दी कि मुख्य मंत्री जी रेशनलाइजेशन के प्रश्न के सम्बन्ध में जो भी निर्णय लेंगे वह दोनों को मान्य होगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन मिलों में यह निर्णय होने से पहले रेशनलाइजेशन लागू हो गया है उनके मजदूरों को वेतन दिलाने के सिलसिले में भी वह कोई फैसला करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—रेशनलाइजेशन का सारा प्रश्न मुख्य मंत्रीजी के सामने है । चाहे वेतन-क्रम हो, चाहे कार्य-भार हो, वह तो सारी बात उनके सामने है ही । इसलिये अकेले इस प्रश्न का सवाल नहीं उठता ।

श्री चन्द्रजीत यादव—अभी नैनीताल में जो त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था उसके अन्दर यह भी सुझाव आया था । मिलों की मशीनरी काफी पुरानी हो चुकी है और इसे माडर्नाइजेशन के लिये सरकार को कदम उठाना चाहिये और मुख्य मंत्री जी ने भी इसको उचित समझा था कि हां, इस सम्बन्ध में कदम उठाया जाना चाहिये । तो क्या मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कोई हिदायत वगैरह की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माडर्नाइजेशन के सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सुझाव मिल मालिकों को दिया था उसके मुताबिक जहां तक कानपुर की मिलों का सवाल है, वे लोग योजनायें बना रहे हैं कि उन पर पैसे का कितना भार पड़ेगा, वह पैसा कहां से लायेंगे । तो जब वे सब चीजें हमारे सामने आयेंगी हम सहानुभूतिपूर्वक उन पर विचार करेंगे ।

राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की सुरक्षा

*३०—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में पुरातत्व विज्ञान की दृष्टि से ऐसे महत्वपूर्ण कितने ऐतिहासिक स्थान हैं जिनकी देख-रेख केन्द्रीय पुरातत्व विभाग नहीं कर रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे कुल १८१ स्थानों की सूची अब तक तैयार की गई है । उनकी सूची †संलग्न है ।

*३१—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार उक्त स्थानों की देख-रेख का भार स्वयं लेने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन स्थानों में से कुछ की मरम्मत के लिये हर साल सरकार की ओर से रुपया व्यय हो रहा है । थोड़ा-थोड़ा करके इन स्थानों को सुरक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इन महत्वपूर्ण स्थानों के रखरखाव तथा और खुदाई के लिये कितने धन की व्यवस्था की जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना तो अभी तैयार नहीं हुई । लेकिन बहरहाल, जितना खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा रखने की कोशिश तो हम करेंगे ही ।

---

†सूची छापी नहीं गई ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि कुल स्थानों में से अब तक कितने स्थानों के रखरखाव का और रक्षा का प्रबंध उसने अपने हाथ में ले लिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रबंध तो हमने सबका ले लिया है क्योंकि कांस्टीट्यूशन के अनुसार जितने राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं जिनके नामों की पार्लियामेंट में घोषणा हो चुकी है उनको छोड़कर जितने स्थान हैं वह सब एक तरह से प्रादेशिक सरकार के चार्ज में हैं, लेकिन जहां तक मरम्मत की बात है, १५-२० स्थानों की ही करा सके हैं ।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ की छोटी छतरमंजिल गिर पड़ी है उसके रखरखाव की जिम्मेदारी किस पर थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह सुरक्षित स्थानों में नहीं है, न प्रादेशिक सरकार के और न केन्द्रीय सरकार के । लेकिन उसमें प्रादेशिक सरकार के दफ्तर थे इसलिये वह प्रादेशिक सरकार के पास है ।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सही है कि इसके गिरने के एक दिन पहले वहां के क्लर्कों ने ओवरसियरों तथा इंजीनियरों से शिकायत की थी कि प्लास्टर गिर रहा है, लेकिन इसका कोई प्रबंध नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न इसमें नहीं आता है क्योंकि यह सुरक्षित स्थान नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इसके गिरने का एक कारण यह है कि इसकी मालिक न प्रादेशिक सरकार थी और न केन्द्रीय सरकार थी और इसकी मरम्मत नहीं हो पाती थी, इसलिये गिर गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह क्यों गिर गई मैं नहीं कह सकता क्योंकि जांच करने के बाद ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन मालिक प्रादेशिक सरकार है । हम कैसे कहें कि हम मालिक नहीं थे ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि छोटी छतर मंजिल एंशियेन्ट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट के अन्तर्गत है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने तो अभी कहा है कि न तो प्रादेशिक सरकार ने और न केन्द्रीय सरकार ने एंशियेन्ट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट में इसे लिया है ।

विदेशी शासकों की मूर्तियों का हटाया जाना

*३२---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के किन-किन शहरों में से गत तीन वर्षों में विदेशी शासकों से सम्बन्धित मूर्तियां सार्वजनिक स्थानों पर से कितनी हटाई गईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा, एटा, बिजनौर, बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, सीतापुर, फैजाबाद और बहराइच से गत वर्षों में विदेशी शासकों की ३७ मूर्तियां सार्वजनिक स्थानों से हटाई गईं ?

श्री मदन पांडेय---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ३७ स्थानों से मूर्तियां हटाई गई हैं उनके स्थान पर अन्य मूर्तियां या स्मारक रखे गये हैं या उनकी कोई योजना विचाराधीन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मैं जानता हूं अन्य मूर्तियां स्थापित नहीं की गई हैं और दूसरी मूर्तियों के स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री मदन पांडेय--जो मूर्तियां हटाई गई हैं उनको कहां रखा गया है और उनकी क्या अवस्था है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अक्सर तो किसी न किसी म्यूजियम में रख दी गई हैं और उनकी अवस्था में समझता हूं कि अच्छी ही होगी ।

श्री अध्यक्ष--यह शायद हर एक की उम्र पूछना चाहते हैं । (हंसी)

श्री मदन पांडेय--क्या ऐसे सुझाव जनता की तरफ से आये हैं जिनमें राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को उनके स्थान पर स्थापित करने का अनुरोध किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हां, कभी-कभी ऐसे सुझाव आये हैं जरूर ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जिन लोगों ने वह मूर्तियां हटायीं, उन्हीं की मूर्तियां उनके स्थानों पर लगा दी जायं ?

(हंसी – उत्तर नहीं दिया गया ।)

*३३-३५--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--[१२ अगस्त, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये ।]

जिलेवार वृद्धावस्था की पेन्शन

*३६--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ में वृद्धावस्था की पेंशन फी जिले में कितने-कितने लोगों को स्वीकार की गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २०० पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी--लिस्ट को देखने से पता लगा कि वृद्धावस्था पेंशन मैनपुरी जिले में कम लोगों को दी गयी, बहुत से जिलों में इससे अधिक दी गयी, बनारस और कानपुर में बहुत ज्यादा पेंशनें दी गयीं, तो हम जानना चाहते हैं कि जिन जिलों में बहुत ज्यादा पेंशनें दी गयीं वहां वृद्ध लोग ज्यादा रहते हैं या कोई दूसरा कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जिन जिलों में लोगों की उम्र ज्यादा लम्बी होती है वहां ज्यादा बुड्ढे होते हैं और वहां लोगों को ज्यादा पेंशनें मिलती हैं । अगर मैनपुरी में औसत उम्र कम है तो पहले तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, वृद्धावस्था की पेंशन का प्रश्न तो बाद में आयेगा ।

मैनपुरी जिले के पुराने राजपत्रित अधिकारी

*३७--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ऐसे गजेटेड आफिसर कितने हैं जिनको लगातार मैनपुरी जिले में रहते तीन साल से अधिक हो गये हैं ?

*३८--जिन गजेटेड आफिसरों को मैनपुरी जिले में रहते तीन साल से अधिक हो गये हैं, उनके कौन-कौन से कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वांछित सूचना संलग्न सूची में है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २०१ पर)

गोरखपुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नल लगाने की प्रार्थना

*३९---श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में १९५७-५८ में पानी पीने के नल लगाने की योजना बनायी गई थी ? यदि हां, तो कितने नल लगाये गये ?

श्री जयराम वर्मा---जी नहीं ।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार बाढ़ एरिया में नल लगाने पर विचार करेगी ?

श्री जयराम वर्मा---ऐसे हैन्ड पम्प लगते रहते हैं । उस साल भी नियोजन विभाग द्वारा ऐसे हैन्ड पम्प लगवाये गये ।

श्री गौरीराम गुप्त---यह कब तक लगवाने का विचार है ?

श्री जयराम वर्मा---ऐसे हैन्ड पम्प लगते रहते हैं और मैंने बतलाया उस साल भी लगे थे ।

श्री भजनलाल शर्मा का अतिरिक्त श्रमायुक्त को प्रार्थना-पत्र

*४०---श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके तथा लेबर कमिश्नर कानपुर के पास श्रम कार्यालय आगरा के विरुद्ध दिनांक १०-५-६० को भेजा गया कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां ।

*४१---श्री भगवतीसिंह विशारद---यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सम्बन्धित कर्मचारी से जवाब तलब किया गया है। अनुशासन की उचित कार्यवाही जवाब प्राप्त होने पर की जायेगी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य शिकायतें क्या थीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---भजनलाल शर्मा जी ने यह कहा था कि उनका कुछ पैसा छटनी के मुआवजे का रामचन्द्र काटन टेक्सटाइल मिल्स से नहीं मिला था, उस सम्बन्ध में उन्होंने एक प्रार्थना-पत्र अतिरिक्त श्रमायुक्त के कार्यालय में दिया था, जिस पर वह कहते हैं कि कोई कार्यवाही नहीं की गयी । जांच करने से जो पता चलेगा और जो आदमी दोषी ठहराया जायगा उसे दंड दिया जायगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके मूल प्रार्थना-पत्र पर अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उनका मूल प्रार्थना-पत्र जिस प्रकार नियमानुकूल आना चाहिए, नहीं आया। इस बात की उनको सूचना दे दी गयी है और उनसे कहा गया है वह छटनी के मुआवजे के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड फार्म है उस पर अपना प्रार्थना-पत्र देंगे तो उस पर कार्यवाही होगी ।

विभिन्न विभागों के सेवा नियम बनाये जाने का आश्वासन

*४२---श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं जिनसे सम्बन्धित कर्मचारियों के सेवा नियम नहीं बने हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न में पूछी गई सूचना एक †सूची के रूप में मेज पर रख दी गई है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन विभागों के सेवा नियम अब तक न बनने के कारण क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह अफसोस की बात है कि बहुत से विभागों के सेवा नियम अभी तक नहीं बने हैं। अधिकांश विभाग ऐसे हैं जिनमें किसी न किसी काम का प्रसार हुआ और कुछ नये-नये विभाग खुल गये, आदमी रखे गये और नियम नहीं बन सके। इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की तरफ गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस कमीशन का ध्यान गया है, हमारे और उनके बीच पत्र-व्यवहार हुआ है। वह भी अपने यहां छोटा-सा एक सेक्शन खोलेंगे और हम भी अपने यहां सेक्रेटरिएट में एक सेक्शन खोलेंगे ताकि जिन-जिन विभागों के नियम बनना रह गये हैं, वह तैयार हो जायं और कोशिश की जाय कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी जल्द से जल्द अपनी राय दे दे ताकि नियमों के बनने का काम पूरा हो जाय।

अन्तरिम जिला परिषद, आजमगढ़ को अनुदान न मिलना

*४३---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् को सड़कों व भवनों के लिये दिये गये अनुदान के विषय में २-३-६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में अनुदान न देने का कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के बजट म स्थानीय निकायों को बाढ़ तथा वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा भवनों की मरम्मत हेतु अनुदान देने के लिये प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण अनुदान नहीं दिया जा सका।

*४४-४६---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[१० अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

महानगर उपनिवेश, लखनऊ

*४७---**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)--- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या महानगर उपनिवेश, लखनऊ की भूमि के प्रतिकर स्वरूप यह लखनऊ नगर महापालिका से १० लाख रुपये मांग रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---महानगर स्कीम के सम्बन्ध में जो निजी भूमि १९९.७७ एकड़ ९,६७,९९६ रुपये के व्यय से अर्जित की गई थी, केवल वही धन महापालिका द्वारा सरकार को देय है।

*४८---**श्री अमरनाथ**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह महानगर उपनिवेश, लखनऊ से वसूल हुयेकिराये का कुछ भाग लखनऊ नगरमहापालिका से लेती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां। किराये का एक चौथाई भाग नियमानुसार लिया जाता है।

*४९---**श्री अमरनाथ**---क्या सरकार महानगर उपनिवेश बिना कोई प्रतिकर लिये पूर्णतया लखनऊ नगर महापालिका को संक्रमित करने की कृपा करेगी ताकि वह द्वैध नियंत्रण प्रणाली का अन्त हो जाय ?

---

†सूची छापी नहीं गई।

नोट---तारांकित प्रश्न ४२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—महानगर उपनिवेश महापालिका के ही नियंत्रण में है। केवल भूमि का स्वामित्व सरकार में निहित है।

अभाव एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कत्तिनों को सहायता

*५०—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अभाव एवं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कत्तिनों को प्रत्येक गुन्डी २ आना (१२ नया पैसा) विशेष सुविधा देने की योजना समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सपूर्णानन्द—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विकास समितियों की बैठक के सम्बन्ध में आदेश

*५१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक लखनऊ, ४ फरवरी, १९६० को प्रसारित पत्र संख्या १७६/३५—क—२९६—ए—ई० एस०-१९५८ के द्वारा खंड विकास समितियों की बैठकें खंड विकास क्षेत्र के बाहर भी करने का आदेश जिलाधीशों एवं अन्य अधिकारियों को दिया गया है? यदि हां, तो अन्य स्थान पर जाने का मार्ग व्यय कौन वहन करेगा?

डाक्टर सपूर्णानन्द—जी नहीं, विकास क्षेत्र के बाहर बैठक करने का कोई आदेश नहीं भेजा गया। आदेश इस बात का है कि "जहां खंड विकास समिति विकास खंड के हेड-क्वार्टर के बाहर बैठक करना चाहें कभी कभी बैठकें बाहर की जायं"। बैठक हेडक्वार्टर पर हो या हेडक्वार्टर के बाहर—यह सम्बन्धित विकास समिति की स्वेच्छा की बात है। जहां तक बैठक स्थल तक आने जाने के मार्ग-व्यय को वहन करने का प्रश्न है, जिस प्रकार हेडक्वार्टर पर आयोजित बैठकों के लिये कोई मार्ग व्यय नहीं दिया जाता, उसी प्रकार विकास क्षेत्र में हेडक्वार्टर के बाहर बैठक करने पर भी मार्ग व्यय के दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*५२—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—[२९ जुलाई, १९६० के लिये स्थानान्तरित किया गया।]

मुन्सफी की प्रतियोगिता परीक्षा

*५३—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५६—५७, १९५७—५८, १९५८—५९ में जो मुन्सफी की प्रतियोगिता परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई उसमें कितने उम्मीदवार सफल हुये और कितने सफल उम्मीदवारों को सर्विस में लिया गया और कितने को नहीं लिया गया है? क्या उनकी सूची कारण सहित सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सपूर्णानन्द—वांछित† सूचना संलग्न सूची में है।

*५४—५५—**श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल**—[५ अगस्त, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

सरकारी कर्मचारियों को अन्य व्यवसाय करने की मनाही

*५६—**श्री श्रीष्णदत्त पालीवाल**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकारी कर्मचारियों को अपने निजी नाम से निजी व्यापार अथवा सहकारी समितियां बना कर निजी व्यापार करने का अधिकार है?

डाक्टर सपूर्णानन्द—जी नहीं।

---

†सूचना छापी नहीं गयी।

हसनगंज-मियांगंज सड़क की मरम्मत की आवश्यकता

*५७—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव ने हसनगंज से मियांगंज जाने वाली कच्ची सड़क के जीर्णोद्धार के लिये सन् १९५९-६० व १९६०-६१ के लिये कितने अनुदान की मांग की है और वह स्वयं कितना रुपया १९६०-६१ में खर्च करने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—प्रथम भाग—परिषद् ने कुछ भी अनुदान नहीं मांगा है।

द्वितीय भाग—वर्ष १९६०-६१ में परिषद् द्वारा १,०६६ रु० व्यय करने का अनुमान लगाया जा रहा है।

*५८—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सड़क के हसनगंज से ग्राम सरदार नगर मल्होली तक के भाग पर कुल कितना रुपया खर्च किये जाने की योजना है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—लगभग १,००० रु० व्यय करने का अनुमान लगाया जा रहा है जो केवल रख रखाव (मेन्टेनेन्स) के लिये होगा।

वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति*

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट)—मैं आप की आज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्रीकर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० २३२७/१०—९५३(१)-५४, दिनांक १ जून, १९६० को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कामरोको प्रस्ताव दो भेजे गये। उसमें एक तो कल जिसको मैं नामंजूर कर चुका था वही फिर से दुहरा दिया गया है। इसलिये वह तो नामंजूर किया ही गया और दूसरा समय के बाहर आया। इसलिये उसके ऊपर भी कोई विचार नहीं हो सकता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, एक निवेदन था कि यह दूसरा वाला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस समय ४५ हजार लोगों का जनजीवन खतरे में है। वह लोग मर जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—वह ठीक है। लेकिन आप ने बहुत बाद में भेजा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, सरकार अगर कोई व्यवस्था नहीं कर सकी तो उनकी जान खतरे में है। बीमारियां फैली हुई हैं...

श्री अध्यक्ष—वह तो सब ठीक है। लेकिन यह आप सरकार को वैसे भी लिख कर भेज सकते हैं। आप को नियम के अनुसार पहले देना चाहिये था। १० बज कर ४० मिनट तक आप ने देर कर दी और उस वक्त यह खयाल नहीं किया कि ४० मिनट में कितने आदमी बह गए होंगे।

प्रदेश में मालगुजारी बढ़ाने तथा उसे सख्ती से वसूल करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—श्री गौरीशंकर राय ने जो प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत उपस्थित किया है सम्बन्धित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उसको मैंने स्वीकार किया है। वह यह है—

---

*छापी नहीं गई।

[श्री अध्यक्ष]

प्रदेश भर में लागात या कई प्रकार से इस वर्ष जमीन की मालगुजारी बहुत बढ़ा दी गई है। यह बढ़ी हुई रकम करीब २ करोड़ रुपये के है। इतनी अधिक मालगुजारी बढ़ाई गई लेकिन किसान को आपत्ति करने तथा न्याय पाने की सुविधा नहीं दी गई। यही नहीं बल्कि आठ-आठ साल की मालगुजारी एक ही बार वसूल की जा रही है जो गैर-कानूनी है। इस मालगुजारी बढ़ाने तथा सख्ती से एक ही बार आठ साल की वसूल करने से प्रदेश के किसानों में चिन्ता व्याप्त होने से उत्पन्न परिस्थिति की ओर माननीय माल मंत्री का ध्यान वह आकृष्ट करना चाहते हैं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि हमने मालगुजारी की शरह में कुछ बढ़ा दिया है यह तो गलत है। बहुत से लागात को गोड़ जोत करके जेरकाश्त ले आये थे.....

श्री अध्यक्ष---उन्होंने शरह बढ़ाने की बात नहीं कही है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---बढ़ाया हमने नहीं है। हमने असेस किया है अजसरे नौ। जिन पर मालगुजारी तशखीस नहीं हुई थी वे सात-आठ साल से फायदा उठाते रहे, एक पैसा भी नहीं दिया था, उस पर हमने अजसरे नौ असेस किया। लिहाजा बढ़ाने का सवाल पैदा नहीं होता। यह भी कहना गलत है कि वैसे अगर सात आठ साल से वह मालगुजारी देने के मुस्तौजिब है और हम एक साथ वसूल कर लें तो वह गैर-कानूनी तो नहीं होगा लेकिन फिर भी किसानों की सुविधा के लिये हम इस सदन में कई बार एनाउंस कर चुके हैं कि एक साल करेंट का और एक साल बकाया दो साल की मालगुजारी एक साथ वसूल होगी। लिहाजा सात आठ साल की एक साथ वसूल नहीं हो रही है। एक साल करेंट की और एक साल की बकाया मालगुजारी वसूल हो रही है। इसके अलावा पहले यह था कि गांव के प्रधान को नोटिस दी जाती थी। उसमें भी हमने यह कर दिया है कि हर व्यक्ति को जिसका मामला हो परसनली नोटिस दी जाय और यह भी कर दिया है कि जिन लोगों को उज्रदारी करने का मौका नहीं मिला है वह ३० दिन के अन्दर उज्रदारी दाखिल कर दें। उनका रिअलाइजेशन स्टे हो जायगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि लैंड कैरेक्शन वर्ग ९ की दूसरी दफा के मुताबिक जो मालगुजारी बढ़ी है---हर किसान की कुछ न कुछ बढ़ी है---उस सिलसिले में किसी आदमी को किसी तरह से उज्रदारी करने का मौका नहीं दिया गया। उसके पहले ही वसूली गांव-गांव में हो रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिन्होंने उज्रदारी नहीं की उनको ३० दिन का मौका उज्रदारी के लिये दिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह नई मालगुजारी आयद की गई है इससे कितना सालाना रुपया सरकार को मिल जायगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसके मुकम्मल हो जाने पर अन्दाजा ठीक हो सकता है।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस बिना पर यह मालगुजारी का नया असेसमेंट किया गया है वह वही कागजातदेही है जिसमें ७५ फीसदी गलती पाई गई है और दूसरी बात यह है कि इस नये असेसमेंट करने के पहले और जमाबन्दी में उसको दर्ज करके---डिमांड करने के पहले जिन लोगों पर नया असेसमेंट किया गया उनको कोई नोटिस नहीं दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नोटिस के बारे में मैंने बतलाया कि प्रधान को नोटिस दी जाय यह मैंने जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा है कि हरएक को पर्सनल नोटिस दी जाय ताकि जिसको उज्रदारी करने का मौका नहीं मिला या नोटिस नहीं मिला उनको ३० दिन का अजसरेनौ मौका मिल जाय ताकि मौके पर जांच होकर असेसमेंट हो।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उनका हुकुम अभी तक तामील नहीं हुआ? जिला लखनऊ में किसी ऐसे किसान को, जिनके बागात पर लगान तशखीस हो गया है, नोटिस नहीं गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह मुझे मालूम नहीं है कि हुकुम तामील नहीं हुआ।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या माननीय मंत्री जी जो मैंने लखनऊ जिले के बारे में कहा है इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने आर्डर कर दिया है कि जांच हो।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उनके कहने के विपरीत ८ साल की मालगुजारी अभी भी किसानों से वसूल हो रही है---बलिया की तो मैं जानता हूं---इसके लिये एक-एक मुहकमे को एक बार फिर सूचित करेंगे कि ८ साल की न वसूल करें, सिर्फ एक साल की वसूल करें और उनको उज्रदारी का मौका दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन---सदन में अनाउन्स होता है तो वह आवाज सारे सूबे में गूंजती है। इसके लिये हुकुम जारी करने की जरूरत नहीं है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बतलायेगी कि ऐसा लगान असल काश्तकार से भी वसूल किया गया है और जिनके नाम कब्जा हो गया है उनसे भी वसूल हो रहा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस डिटेल के लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---यह नया असेसमेंट जो किया गया है वह मालगुजारी की करप्शन की एक योजना के मातहत किया गया है जो सरकार के हित की योजना है तो क्या सरकार करप्शन की कोई ऐसी योजना बनाने जा रही है जिससे काश्तकारों का हित ज्यादा हो?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह जनहित में ही है। सरकार की तरफ से असेसमेंट जनता के फायदे के लिये लगाया जाता है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या सरकार को यह मालूम है कि बागात की आराजी वह आराजी नहीं मानी जायगी जिसमें प्रति एकड़ ५० पेड़ से कम हो?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसके लिये केस है। हाईकोर्ट की रूलिंग ऐसे केसेज पर मौजूद है। उसके मुताबिक बागात की नवय्यत जिनकी खत्म हो जाती है उन पर मालगुजारी असेस हो जाती है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत*)

†**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)---अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो सहकारी खेती की बात आई है, मान्यवर, मुझे दुख है कि महामहिम ने, सहकारी खेती के बारे में घोर विरोध होते हुये भी, किसानों के हित में इसको कहा है। श्रीमन्, हमारी

---

*२६ जुलाई, १९६० की कार्यवाही से।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भुवनेश भूषण शर्मा]

सरकार और योजना आयोग आज इस बात पर तुले हुये हैं कि जैसे भी हो चीन की भांति सारे भारत में और उत्तर प्रदेश में सहकारी खेती को चालू किया जाय। मान्यवर, इस सहकारी खेती के बारे में जब से प्रस्ताव इस कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में पास किया है तब से ही हमारा किसान भयभीत हो गया है। क्यों? इसलिये कि जो सहकारी खेती के भयंकर परिणाम हुये हैं और आगे आने वाले हैं वह उसके सामने हैं और फिर वह सहकारी खेती से सामूहिक खेती पर चले जायेंगे। मान्यवर, हमारे प्रदेश के किसान अपनी भूमि से इतना अधिक स्नेह रखते हैं कि वे कभी इसको पसन्द नहीं करेंगे। हमारी सरकार जो कहती है कि आज किसानों की जमीन टुकड़ों-टुकड़ों में बटी हुई है, और इस तरह से जो खेती होती है उससे अन्न कम उपजता है, मैं इसको कतई मानने को तैयार नहीं हूं। मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यदि इस सहकारी खेती को हमारे प्रदेश में लागू किया तो यह जो विचार है कि इससे अधिक उत्पादन बढ़ेगा, जनसंघ का इसके विपरीत यह स्पष्ट मत है कि इससे उत्पादन काफी कम होगा। इससे उत्पादन कम होगा, इससे बेकारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और फिर उसका परिणाम यह होगा कि जब सरकार यह देखेगी कि सहकारी खेती सफल नहीं हो रही है तो फिर सरकार इसको सामूहिक खेती का रूप दे देगी। इसके जो परिणाम हमारे सामने हैं उससे यह स्पष्ट है कि सरकार तानाशाही की ओर अग्रसर होती जा रही है।

मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में जो और बातें कही गयी हैं उनको देखने से यह स्पष्ट पता चलता है कि उसमें केवल तारीफ ही तारीफ की गयी है। आज सरकार जो तानाशाही की ओर बढ़ रही है, जो कि प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिये, उसकी ओर महामहिम के अभिभाषण में कोई संकेत नहीं किया गया है। सरकार के इस तानाशाही रवैया के बारे में मैं एक बात आपके समक्ष कहना चाहता हूं और वह यह है कि अभी पहली जुलाई से सरकार ने एक आदेश देकर मिर्जापुर की नगरपालिका को अपने कब्जे में कर लिया है और उस पर यह आरोप लगाया है कि वहां के अध्यक्ष तथा वहां के सदस्यों ने उसकी ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं की, जो साइकिल टैक्स था उसको दो रुपये से घटा कर एक रुपया कर दिया, जलकल योजना को चालू नहीं किया, तथा और भी इस तरह के गलत आरोप लगाये हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि इस प्रकार से यह नगरपालिका किसी भी टाइम दिवालिया बन सकती है। मेरी सरकार का यह स्पष्ट चुनौती है, वहां बराबर जनसंघ और विरोधीदलों के हाथों में नगरपालिका का शासन रहा है, वह इन बातों को स्पष्ट करे। यह वह नगरपालिका है जहां पर हमेशा नगरपालिका का शासन विरोधी दलों के हाथ में रहा है। सन् १९५२ से बराबर इस नगरपालिका का शासन जनसंघ के हाथ में चला आ रहा है। इस वर्ष फिर जनसंघ के ही चुने हुए लोग उसमें अधिक तादाद में पहुंचे। आज उनको हटाने के लिये यह सरकार उन पर नाना प्रकार के आरोप लगा रही है और उसको अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रही है। इसके पहले भी जब सरकार ने ऐसा किया था और मामला कोर्ट में गया था तो उस समय भी सरकार ने मुंह की खाई थी। अंत में उसने नाना प्रकार के दबाव डाले और सन् ५६ में जो उस नगरपालिका के अध्यक्ष थे उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करा कर उसके शासन को अपने हाथ में कर लिया। उसके बाद जब फिर चुनाव हुआ तो उसमें फिर जनसंघी ही अधिक संख्या में आये। ३५ में से २२ सदस्यों की संख्या जनसंघ के चुने हुये लोगों की थी। तभी से यह सरकार इस बात के प्रयास में लगी रहती है कि किसी तरह से उसका शासन विरोधी दलों के हाथ में न रहे।

महामहिम ने, मान्यवर, और बातें भी कही हैं। स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करते हुये उस विभाग की भी उन्होंने तारीफ की है। इस विभाग में जहां तक भ्रष्टाचार आदि का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि माननीय स्वास्थ मंत्री जी की कड़ाई के कारण इस तरफ थोड़ी सी कामयाबी मिली है, लेकिन उसका जो रिएक्शन हुआ है वह भी हम लोगों के सामने है। मैं बस्ती

का एक उदाहरण पेश करता हूं, वहां पर एक लड़का मर गया लेकिन कोई डाक्टर उसे देखने नहीं गया। जिस डाक्टर के पास भी वह जाता था, वह यह कह देते थे कि मेरी इस समय ड्यूटी नहीं है, और अंत में वह मर जाता है। दूसरा उदाहरण मैं अपने यहां का देता हूं। अभी ५ जुलाई को एक सेल्सटैक्स आफिसर साहब की धर्म पत्नी एक अस्पताल में दाखिले के लिये जाती हैं, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी। और वहां जाने के पश्चात् लेडी डाक्टर से कहने के बाद रात में जो लेडी डाक्टर पड़ती थी वह उन्हें देखने के लिये नहीं आयी। अभी ५ जुलाई की यह बात है। ११ जुलाई की घटना है कि हमारे यहां के परगनाधीश एरिया की धर्मपत्नी हास्पिटल में गयीं, सिविल सर्जन की राय से भर्ती हुईं। जिस वक्त आपरेशन होना था उसके पहले ही सिविल सर्जन और लेडी डाक्टर से परगनाधीश ने कहा कि अभी-अभी यहां एक मृत्यु हो गयी है, मैं चाहता हूं कि आगरे ले जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहीं ठीक हो जायगा। उसके बाद क्लोरोफार्म सूंघाया गया, आपरेशन हुआ और उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गयी। कोई भी व्यवस्था नहीं हुई।

इटावे की आंखों देखी बात कहता हूं कि वहां मृत्युएं होती रहती हैं। यह सही है कि ३–४ मृत्यु हुई और रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। अगर ठीक प्रकार से इंक्वायरी हो और सी० आई० डी० इंक्वायरी नियुक्त की जाय तो पता चलेगा कि इटावे की लेडी डाक्टर ने कई हत्याएं की हैं। जब मृत्यु होने लगती है तो उससे थोड़ा सा पहले लिख देते हैं कि यहां से हमने डिस्चार्ज कर दिया। मृत्यु हास्पिटल में हो जाती है और कागज में डिस्चार्ज लिख दिया जाता है। अब चूंकि बड़े बड़े अधिकारियों की धर्मपत्नियों की मृत्यु हुई है इसलिये बावैला मचा है। उसकी सिविल सर्जन से शिकायत की गयी। लेडी डाक्टर का मूड और व्यवहार ऐसा था कि उसने परगनाधीश से पहले ही आपरेशन के कह दिया था कि यहां तो निरे मरीज मर जाते हैं। इस प्रकार का तानाशाही का रवैया है।

मान्यवर, अगर पुलिस प्रशासन को देखा जाय तो पुलिस प्रशासन में आज जगह ब जगह कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। जन-जीवन अपने को सुरक्षित नहीं पाता। जहां देखिये, कत्ल हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, डाकेजनी हो रही है, लेकिन हमारी सरकार ने ठीक प्रकार से उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। मान्यवर, भारतीय जनसंघ ने कई नारे लगाये और कोशिश की कि किसानों पर आज टैक्स का बड़ा बोझ बढ़ता चला जा रहा है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् ऐसा लोग समझते थे कि हमारी कांग्रेसी सरकार जो जनता की प्रिय सरकार है और जनता द्वारा चुनी गयी है वह ८० प्रतिशत देहात के किसानों के लिये कोई न कोई ठोक व्यवस्था करेगी। जमींदारी समाप्त हो गयी, लेकिन किसान को भूमि का मालिक बनाने के लिये १० गुना अदा करना ही पड़ेगा तभी वह भूमिधर हो सकता है।

मान्यवर, यह कितनी बुरी बात है? बीच का जो बिचौलिया था जमींदार वह समाप्त किया गया, लेकिन जो बड़े बड़े नारे लगाये थे कि जमींदारी समाप्त होने के बाद हम किसान को जमीन का मालिक बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं की गयी। जो अधिकार दिये हैं वह १० गुना देने के बाद दिये जायेंगे। इसी प्रकार मैं देखता हूं कि आज गांव का जीवन ज्यों का त्यों नारकीय बना हुआ है। किसी प्रकार से सरकार की न तो नजर गयी और न उसने कोई व्यवस्था की। वहां पंचायत का जो चुनाव है इससे दुश्मनी और बढ़ गयी है और आज वैसी ही गलियां और गांव बने हुए हैं, उनके लिये कोई मास्टरप्लान तैयार नहीं हुआ जिससे गांव का निर्माण ठीक प्रकार से हो। आज सरकार का सारा का सारा खर्चा बी० डी० ओ० और उनकी गाड़ियों पर होता है। आज जितना ब्लाक के लिये दिया जाता है उसमें आधे से अधिक धनराशि तो केवल तनख्वाहों में चली जाती है।

आज किस प्रकार का कुचक्र किसानों पर चलता है, कैसा वातावरण और पार्टीबन्दी चलती है और सरकार जो योजनायें बनाती है वह किस प्रकार से कार्यान्वित की जाती हैं, इन सब बातों को अगर सरकार देखे तो मैं समझता हूं कि लाभ हो सकता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। नौकरियों में पक्षपात किया जाता है। भ्रष्टाचार का आज बोलबाला है।

[श्री भुवनेश भूषण शर्मा]

ब्लाक्स से जो रुपया किसानों को दिया जाता है उस सम्बन्ध में वहां पर जिन लोगों के हाथ से उसके कागज निकलते हैं उन्हीं के पास उस रुपये का काफी परसेन्टेज चला जाता है। आज किसान इस प्रकार से चूसा जाता है। मैं समझता हूं कि चौथियाई हिस्सा तो रिश्वत में ही निकल जाता है। मैं आशा करता था कि आज इस प्रकार का जो शासन इस सरकार का चल रहा है उसके सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल कुछ कहेंगे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।

सन् १९४७ से पहले जब कि यहां पर अंग्रेजों का शासन था उस समय से ज्यादा भ्रष्टाचार आज अदालतों में है। आज अगर कोई गरीब अदालत में न्याय पाने के लिये जाता है तो उसको ठीक प्रकार से न्याय नहीं मिलता है। रिश्वतखोरी और सिफारिश की बात तो दूर रही अगर देखा जाय तो एक एक मुकदमे में सौ सौ तारीखें डाली जाती हैं। जबकि दीवानी में ३ महीने से ज्यादा एक केस नहीं चलना चाहिये लेकिन आज एक एक केस में तीन तीन साल लग जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर किसी आदमी की ट्रेन लेट हो जाय या मोटर फेल हो जाय और वह अदालत में ठीक समय पर न पहुंच सके तो उसका नाम पुकार कर फौरन उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। आज इस प्रकार की घोर अन्धेरगर्दी शासन में चल रही है।

आज अगर कोई योजना होती है तो सरकार यह प्रयत्न करती है कि किस प्रकार से उसमें अपने रिश्तेदारों और अन्य व्यक्तियों को लगाये। एक गरीब आदमी चाहे कितना ही योग्य क्यों न हो उसको स्थान नहीं मिल पाता। सर्विसेज में उन्हीं को स्थान मिलते हैं जिनको सिफारिश के जरिये उपलब्ध हों। आप चाहे पेन्शन की योजना को लें उसमें भी अगर कोई गरीब बूढ़ा आदमी प्रार्थना-पत्र देता है तो उसको कोई सुनवाई नहीं होती जबकि उन लोगों को पेन्शनें मिल जाती हैं जिनके घर में काफी आदमी काम करने वाले होते हैं और जिनकी यहां पर जान पहचान होती है।

आज सरकार यदि देखती है कि कोई विभाग कमजोर पड़ रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी तो वह फौरन किसी न किसी प्रकार से नई चीज निकाल देती है। शक्कर चाहे भरी पड़ी रहे, सीमेन्ट और लोहा सब कुछ हो लेकिन यातायात के साधन सुलभ न करके सरकार उस चीज को मार्केट से गायब कर देती है। सरकार ने हर चीज पर कन्ट्रोल कर रखा है। इसी कारण आज भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। अगर देश की यही परिस्थितियां रहीं तो यह निश्चित है कि सरकार को आगे इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा।

शिक्षा की ओर अगर दृष्टि डाली जाय तो आप देखेंगे कि इस साल बोर्ड का रिजल्ट ३८ फीसदी रहा। गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं उनको कितना कष्ट होता है इस ओर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। रोजाना नये एक्सपेरीमेन्ट होते हैं। पांचवें और छठे में पढ़ने वाले लड़कों का जितना वजन नहीं होता उससे ज्यादा वजन की उनको किताबें उठानी पड़ती हैं। लेकिन इस ओर सरकार कोई विचार नहीं करती। सरकार ने वादा किया था कि हाई स्कूल तक फ्री शिक्षा कर दी जायगी वह बात तो दूर रही, अभी पिछले सेशन में शिक्षा मंत्री जी ने इसके बदले में एक बात और कही कि पैसा नहीं है, सरकार का खर्चा पूरा नहीं होता है और आमदनी कुछ नहीं इसलिये छठवीं तक की फ़ीस माफ़ करना भी मुश्किल हो सकता है। कैसी बात है, यह मेरी समझ में नहीं आती। मैं समझता हूं कि सरकार ठीक प्रकार से इसकी जल्द ही व्यवस्था करेगी और छठीं तक की शिक्षा तो फ्री चलायेगी ही, हाईस्कूल तक की शिक्षा फ्री करने की मंत्री जी शीघ्र ही घोषणा करेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय मदन मोहन जी वर्मा ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कल से इस अभिभाषण के ऊपर माननीय सदस्य विरोधी दलों के भाषणों को मैंने सुना और मनन किया। मुझे याद आया कि मिस मेयो ने भारतवर्ष का दौरा किया था और उनको भारत के अन्दर कोई अच्छी बात ही दिखायी

नहीं दी। उसी प्रकार से इन भाषणों से पता चलता है कि इस राज्य में कोई अच्छी चीज है ही नहीं। जो चीज है वह बुरी है। अगर आप अखबारों की रिपोर्ट देखें तो आप को पता चलेगा कि बलात्कार, डकैती, राहजनी और ४२० के अतिरिक्त और किसी चीज के मुकदमे यहां चलते ही नहीं हों। तमाम हिन्दुस्तान में मानों ऐसी हालत हो रही है कि तमाम क्रिमिनल्स ही यहां बसते हों। बेहतर तो यह होता कि तस्वीर के दोनों पहलू देखे जाते, जो भलाई होती उसको भी बयान किया जाता जिससे जो विभाग अच्छा काम कर रहे हैं उनको कुछ एन्करजमेंट मिलता।

कहा गया कि क़ीमतें बहुत बढ़ गई हैं। मैंने भी सरकारी आंकड़ों को देखा लेकिन मुझे तो यह कहीं पता नहीं लगा कि कीमतें बढ़ गयी हैं। यह जरूर है कि १९५७–५८ का साल एक बुरा साल रहा है। उस साल अनावृष्टि और अतिवृष्टि की वजह से प्रोडक्शन बहुत कम हुआ। मैं उदाहरण के लिये कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं।

परकैपिटा इनकम के बारे में कहा गया। यह सही है कि वह १९५७–५८ में घटी है लेकिन १९५८–५९ में वह बढ़ी है। १९५७–५८ में टोटल इनकम १,७७४ करोड़ थी लेकिन १९५८–५९ में १,८५७ करोड़ हो गयी। १९५६–५७ में परकैपिटा इनकम २५६.८ थी और १९५८–५९ में २५९ थी। १९५६–५७ में कल्टीवेटेड एरिया ५१०.२ लाख एकड़ था। और १९५८–५९ में ५२०.५ लाख एकड़ हो गया। अब उत्पादन पर आइये अगर १९४८–४९ के उत्पादन परिमाण सूचकांक को १०० मान लिया जाय तो १९५६–५७ में फूड क्राप ११७ हुई और १९५८–५९ में १२३ हो गयी। १९५६–५७ में १०,७१३ हजार टन तथा १९५८–५९ में ११,३६० हजार टन गल्ला पैदा हुआ। अब यह मेरी समझ में नहीं आता कि यह उन्नति है या अवनति है। कम्पेयर करने के समय अगर आप बेस को ही गलत कर देंगे तो गलती तो अवश्य ही हो जायगी।

अब यह कहा गया कि इर्रीगेशन के प्राजेक्ट्स बढ़ाये गये, नये ट्यूबवेल्स खोले गये, नयी नहरें खोली गयीं लेकिन सिंचाई का एरिया कम ही हुआ। यह ठीक है कि १९५७–५८ में वह कम हुआ। उसका कारण यह था कि उस वर्ष बड़े जोर की बारिश थी और सैलाब आये थे, जमीन में नमी मौजूद थी, फिर आबपाशी कौन करता। आबपाशी ऐसी चीज तो है नहीं कि किसी के खेत में जबरदस्ती पानी दे दिया जाय। आबपाशी तो तभी की जाती है जब वहां आबपाशी की जरूरत हो। अब सन् १९५७ से १९५८ का मुकाबला करें तो सन् १९५८ में आबपाशी का एरिया कुछ कम हो गया लेकिन सन् १९५९ में वह बढ़ा। अगर सन् ५९ में आबपाशी का एरिया ज्यादा नहीं बढ़ा तो उसकी एक वजह यह थी कि हमारी नहरों में पानी बहुत कम आया। जब मुझसे लोगों ने यह शिकायत की कि नहर में पानी कम आया तो मैंने सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर से बातचीत की। उन्होंने बतलाया कि इस साल गर्मी कम पड़ी जिससे बर्फ कम पिघली और इसी वजह से गंगा, यमुना में पानी कम आया। गंगा, यमुना में गर्मी के दिनों में बर्फ के पिघलने पर ही पानी आता है, तो जहां कोई ऐसी दैवी आपदा हो, जिसमें कोई गवर्नमेंट का वश नहीं चलता और उसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी हो जाय तो इसके लिये गवर्नमेंट को नालायक या इनएफिशिएंट नहीं कहा जा सकता है। अगर गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई चीज मौजूद हो, उसके पास ऐसे पर्याप्त साधन मौजूद हों फिर भी वह कुछ नहीं करे तो आप गवर्नमेंट को इनएफिशिएंट कह सकते हैं। लेकिन जो चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हो और फिर वह हो जाय तो उसके लिये गवर्नमेंट को दोषी करार देना न्यायसंगत नहीं होगा।

कुछ ऐसे भी डिपार्टमेन्ट्स हैं जिन्होंने अच्छे काम किये हैं लेकिन उनके लिये इन भाषणों में कुछ भी नहीं कहा गया है। यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज ने जिस मुस्तैदी से काम किया है उसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। कितनी सेवा का कार्य उस विभाग ने किया है इसका अन्दाजा आप इसी से लगा लें कि सन् १९५६–५७ में जहां १,८८८ बस थीं वहां सन् १९५८–५९ में २,४३९ हो गयीं। जब कि सन् १९५६–५७ में ६ करोड़ ३३ लाख आदमी बसों पर चले वहां सन् १९५८–५९ में ८ करोड़ ५९ लाख आदमियों ने बसों से यात्रा की। आप को यह मालूम होगा कि जिस वक्त केन्द्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी उस वक्त

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल]

रोडवेज डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर यह घोषित कर दिया था कि जितनी ट्रबस आप चाहें रोडवेज की गुड्स ट्राफिक के लिये ले सकते हैं ताकि पब्लिक को तकलीफ न हो और चीजों के प्राइस न बढ़ सकें। तो फीगर्स को तो चाहे जिस तरह से आप कैलकुलेट करके एक ऐसी तस्वीर सामने रख सकते हैं जो कि बहुत बुरी मालूम पड़े। यह तो वही मिसाल हुई कि "हिसाब ज्यों का त्यों, कुनबा डूबा क्यों"। ऐसी फीगर्स से किसी का भी भला नहीं हो सकता।

अब माननीय नेता विरोधी दल ने कल बड़े जोर के साथ कहा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नुक्लियर वार का जिक्र किया गया है जब कि लड़ाई सरहद पर न हो कर लखनऊ की गली गली के अन्दर, घर घर के अन्दर होगी और उसका मुकाबला करने के लिये आप को लोगों को आर्म्ड करना होगा और इसके लिये आवश्यक है कि आर्म्ड ऐक्ट को रिपील किया जाय। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि यह जमाना नुक्लियर वार का है, बन्दूकों और तलवारों से लड़ाई करने का जमाना नहीं है। मैं इस बात से तो व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं कि आर्म्ड ऐक्ट को रिपील करना चाहिए जो हमारी गुलामी का सूचक है। आर्म्स ऐक्ट का अभी तक बने रहना, इसे मैं अपने देश के लिये एक शर्म की बात समझता हूं। मुझे सन्तोष है कि केन्द्रीय सरकार ने आर्म्स ऐक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया है जिसकी वजह से कुछ सहूलियत जरूर होगी, लेकिन जिस पालिसी को कांग्रेस मुतवातिर अपनी आजादी की लड़ाई में डिक्लेयर करती रही वह यही थी कि आर्म्स ऐक्ट को नहीं रहना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस तरफ जरूर ध्यान देगी। यह बात दूसरी है कि आर्म्स ऐक्ट के रिपील करने के बाद लोगों के लिये लाजिमी हो जाय कि जिसके पास जितने भी हथियार हों उसकी इत्तला वे गवर्नमेंट को दें ताकि किसी के पास ज्यादा आर्म्स इकट्ठा न हो जायं। लेकिन आर्म्स देने के लिये तहसीलदार, थानेदार या डिप्टी कलेक्टर की खुशामद करना आज मुल्क के लिये शोभा नहीं देता।

पुलिस के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया। यह सही है कि अभी हमारा पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है जैसे कि हम उम्मीद करते हैं। यह एक ऐसा विभाग है कि जिससे हर आदमी का काम पड़ता है और उसमें अगर जरा सी भी कमी होगी तो वह बहुत बड़ी दिखाई देगी। यह चीज कि पुलिस में कमियां हैं इसको गवर्नमेंट ने महसूस किया और इसी कारण उसने पुलिस आयोग की नियुक्ति की है। इसलिये हमें इंतजार करना चाहिए कि उसकी क्या सिफारिशें आती हैं और उन पर क्या अमल होता है। यह कहना कि हमारी पुलिस निकम्मी है, सही बात नहीं है। मैं एक चीज यहां बतलाना चाहता हूं कि इंगलैन्ड की आबादी करीब करीब उत्तर प्रदेश के बराबर है और वहां पर यहां की पुलिस के खर्च के मुकाबले में ५ गुना खर्च किया जाता है लेकिन वहां पर इस सूबे से ११ गुना क्राइम्स की संख्या है और इस पर भी वहां की पुलिस बहुत अच्छी कही जाती है और उसकी कोई शिकायत लोग नहीं करते। इस की वजह यह है कि वहां पर पुलिस और जनता में सहयोग है। अगर वहां कोई भी क्राइम होता है तो जनता अपना फर्ज समझती है कि पुलिस को सहयोग देकर जुर्म का पता लगाने की कोशिश करें। यह भावना अभी हमारे यहां लोगों में नहीं जगी है। जहां हम आज पुलिस की आलोचना करते हैं वहां हम अपने हृदय को टटोल कर देखें कि अगर हमारी जानकारी में कोई जुर्म होता है तो हम मुजरिम को बचाने के लिये या मुजरिमों को पकड़वाने के लिये कितना सहयोग देते हैं।

इसी विभाग की एक प्रासिक्यूशन ब्रांच भी है, वह भी सन्तोषजनक नहीं है। जहां ४३,५६७ आदमियों का प्रासिक्यूशन हुआ वहां केवल सजा १८,९२७ को हुई यानी केवल ४३ प्रतिशत आदमियों को ही सजा हुई और ५७ प्रतिशत केस छूट गये। इस तरफ शायद सरकार का ध्यान गया होगा और मैं समझता हूं कि इस दिशा में तरक्की करने की सख्त जरूरत है। मुझे तो इतना संतोष अवश्य है कि कम से कम हमारे इलाके में तो जरायम के मामले में कमी है, वहां अब लोग सुख की नींद सो सकते हैं। सन्त विनोबा भावे की आवाज पर वहां के अधिकांश डाकुओं ने आत्म-समर्पण कर दिया है। सरकार की ओर से साफ तौर से यह ऐलान उस वक्त किया गया था कि जो लोग आत्म-समर्पण करेंगे उनके साथ वही कानूनी व्यवहार होगा जो औरों के साथ होता है यानी उनको किसी तरह की कोई कानूनी रियायत न दी जायगी। यह तो

ठीक ही था होना भी ऐसा ही चाहिये था लेकिन जो आदमी आत्म-समर्पण करता है उस के साथ व्यवहार तो भले आदमी का सा होना चाहिये। जिन्होंने आत्म-समर्पण किया है वह इस समय मध्य प्रदेश की जेल में हैं, वहां के बारे में मैं अधिक नहीं कहता लेकिन यदि वे लोग इस प्रदेश के जेल में आयेंगे तो मुझे आशा है कि उनके साथ कोई अमानुषिक व्यवहार न होगा और जो कानून का रास्ता है वही अख्तियार किया जायगा।

यहां पर लेबर ट्रबल का भी जिक्र किया गया। लेबर ट्रबल इस देश में कुछ तो है और कुछ पैदा भी किया जाता है। इसको ठीक करने के लिये हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। योरप के कुछ देश हैं वहां पर लेबर ट्रबल को मीट करने के लिये बड़ा अच्छा तरीका है। वहां अगर कोई मजदूर कम काम करता है और उसकी रिपोर्ट होती है कि पिछले सप्ताह में इसनें इतना काम किया और अब इसका काम इतना घट गया है तो उसका केस साइकालाजिस्ट के पास भेज दिया जाता है। वह उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी कुछ तबियत खराब है, तुमको कुछ बीमारी है, तुम्हारे घर में सब ठीक है। वह मनोवैज्ञानिक ढंग से पता चलाते हैं कि अमुक सप्ताह में उसने क्यों काम कम किया। इसका नतीजा यह होता है कि सही कारण मालूम होने पर उनकी तकलीफ दूर करने का प्रयत्न किया जाता है और मालिक व मजदूरों के सम्बन्ध अच्छे रहते हैं। हमको भी यहां पर वही तरीका अपनाना चाहिये। जहां लेबर वेलफेयर की स्कीम्स हैं वहां सायकालाजिस्ट को भी एपाइन्ट करना चाहिये जो लेबर की सायकालाजी को स्टडी करे।

गेहूं और चावल की कीमतों के बारे में एक बात कही गई। मैं नहीं समझता कि माननीय नेता विरोधी दल को ऐसे फिगर्स कहां से मिल गये। मेरे पास जो फिगर्स हैं उनके मुताबिक सन् १९५८ में आगरे की मण्डी में अप्रैल में गेहूं की कीमत १५ रु० ३७ नये पैसे थी. . . .

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मैंने ५९ कोट किया था।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—१९५८ में १५.३७, जब कि अप्रैल ५९ में १६.३७ थी। लेकिन जनवरी ५९ में जबकि गेहूं की कीमत २६.६२ थी तो जनवरी ६० में १८.३७ थी . . . .

श्री त्रिलोकीसिंह—जुलाई सन् ५९ और ६० को कोट किया था . . . . .

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—जुलाई के फिगर्स से आप कम्पेयर नहीं कर सकते। जिस वक्त सोइंग सीजन होता है तो गल्ले की कीमत हमेशा बढ़ जाया करती है।

श्री त्रिलोकीसिंह—गेहूं, मान्यवर, न जनवरी में बोया जाता है और न जुलाई में बोया जाता है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—मैंने जनवरी की फिगर्स दे दीं आपको। इन सब चीजों की कीमतों का आप मुकाबला करें तो सोइंग सीजन से मुकाबला नहीं कर सकते। लखनऊ में चावल की कीमत अप्रैल ५८ में २४.६१, अप्रैल ५९ में २१.३३ और जनवरी ६० में २१.३३ थी। तो यह कहना कि गल्ले की कीमतें बढ़ रही हैं, सही नहीं हैं। और गल्ले की कीमत बढ़ती हैं तो सरकार ने इंतजाम किया है कि फेयर प्राइस शाप्स से उसको ठीक ले आवें। फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा प्राइसेज स्टेबलाइज करने की कोशिश की है।

बिल्डिंग मैटिरियल के बारे में लोहे को ही लीजिये। लखनऊ के एक व्यापारी से मुझे पता चला कि आयरन गरडर्स अगर आप चाहें तो दो-चार वैगन दो रुपये टन कंट्रोल प्राइस से कम में देने को तैयार है। जब हमारे रुरकेला और भिलाई के प्लांट से माल मिलेगा तो क्या हाल होगा।

सीमेन्ट में कमी हो गई थी, उसकी वजह हड़ताल थी जिससे वैगनों में कमी पड़ी। अब हमारे यहां आगरे में २२ वैगन सीमेन्ट पहुंच गई है और वहां कोई कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उधर के साथियों को हम लोगों से दो शिकायतें हैं। एक तो यह कि हम सरकार की प्रशंसा में कुछ नहीं कहते और दूसरी यह कि हम संतुलित आलोचना नहीं करते। मैं पहली शिकायत का अपराधी अपने को स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस सदन के भीतर सरकार की प्रशंसा करने वालों की संख्या सरकार की आलोचना करने वालों की संख्या से दुगनी है, फिर भी दुगने होते हुये भी जो सरकार की प्रशंसा के पुल बांधते रहते हैं उनको इस बात की शिकायत क्यों होती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार की कमियों को बताते हैं। सरकार की प्रशंसा करने वाला, माननीय अध्यक्ष महोदय, समूचा सूचना विभाग है, उसके चलचित्र हैं, उसकी पुस्तकें हैं, उसके बान हैं, रेडियो है, सिनेमा है, इतने साधन हैं जिसकी कोई इंतिहा नहीं। क्या वह चाहते हैं कि इधर के लोग भी कठपुतली की तरह से नांचें और सरकार की प्रशंसा करते रहें? इसलिये अगर यह कोई अपराध है तो मैं अपने को अपराधी स्वीकार करता हूं। मैं समझता हूं कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि सरकार के दूसरे पक्ष को भी रखें न कि उधर के लोगों की तरह सरकार की प्रशंसा ही करते रहें।

जहां तक आलोचना के संतुलित होने की बात है, मैं यह मानता हूं कि आलोचना संतुलित होनी चाहिये। मैं इस बात का समर्थक हूं और मैं यह भी मानता हूं कि संतुलित आलोचना से अधिक लाभ होता है, असंतुलित आलोचना से नहीं होता लेकिन जब यह आरोप बार-बार उधर के साथियों द्वारा लगाया जाता है तो मुझे एक लोकोक्ति याद आती है जो इस प्रकार है कि एक महाशय जो अपनी पत्नी को समय, कुसमय, हर समय पतिव्रत, सतीत्व का उपदेश दिया करते थे और सीता का उदाहरण उसके सामने रखते थे। तो एक दिन पत्नी ने तंग आकर यह कहा मुझे ही तुम सीता बनाना चाहते हो या खुद भी राम बनोगे? तो क्या हमसे ही कहा जाता है कि संतुलित आलोचना कीजिये अपने बारे में नहीं सोचते कि हम भी संतुलित प्रशंसा करें। प्रशंसा ऐसी न करें कि उससे ऊब पैदा होने लगे। दोनों ही बातें बुरी हैं और जहां यह कहा जा सकता है कि असंतुलित आलोचना द्वेषवश की जाती है, विरोध के लिये विरोध किया जाता है, वहां प्रशंसा के पुल के सम्बन्ध में इससे बुरा आरोप लगाया जाता है और यह कहा जा सकता है कि यह सत्ता की खुशामद में और स्वार्थ के लिये किया जाता है। इसलिये अगर हम एक दूसरे पर इस तरह के आरोप न लगायें और अपने अपने दोषों को स्वयं देखें और उनको दूर करें तो अधिक ठीक होगा।

जो अभिभाषण महामना राज्यपाल ने दिया था, डेढ़ घंटे तक वह हुआ। उस अभिभाषण में सरकार के कृत्यों का बहुत ही विशद् और विस्तृत वर्णन है। उसके बाद प्रशंसा ही प्रशंसा करने को क्या रह जाता था यह मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस अभिभाषण में संतुलन नहीं था। वह अभिभाषण वास्तविकता से विपरीत था, उसके अनुकूल नहीं था प्रतिकूल था। मैं उधर के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले एम० पीज० सम्मेलन हुआ था। क्या उसमें प्रदेश की प्रगति का यही चित्र रखा गया था जो राज्यपाल के अभिभाषण में रखा गया है अगर वही चित्र वहां रखा जाता तो मैं मान लेता कि यह चित्र सही है। दोनों में से कोई एक न एक तो गलत होगा। और यह जाहिर है वही लोग एक जगह कुछ कहें और यहां कुछ कहें यह दो बातें चल नहीं सकतीं। इसलिये जो एकांगी चित्र रखा गया है वह अतिरंजित है और यह मानना पड़ेगा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सर्वांगीण विकास की जो बातें कही गई हैं उनमें कुछ बातें अवश्य ही ऐसी हैं जो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहीं गई हैं। उदाहरण के लिये सहकारिता की बात को ले लीजिये। राज्यपाल जी ने यह कहा कि १०,००० सहकारी समितियां कायम हुईं पिछले साल और इस साल ५,००० होंगी और उन्होंने रस्लाई का काम किया, फर्टलाइजर्स दिये। लेकिन इसके विपरीत बिचपुरी में प्रधान मंत्री ने जब १०,००० सहकारी समितियों का उद्घाटन किया था तब मुझे मालूम है और जिन लोगों ने समाचार-पत्रों को पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा, प्रधान मंत्री ने इन १०,००० सहकारी समितियों की स्थापना के बारे में संदेह प्रकट किया था। वह विरोधी दल के नहीं हैं, वह अनियंत्रित आलोचना नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं। उन्होंने संदेह किया था, नेशनल हेरल्ड जैसे कांग्रेसी अखबार ने संदेह किया था और यह कहा गया था यहां के अखबारों में और सरकार की ओर से भी माना गया था कि बहुत सी सहकारी समितियां ऐसी हैं जो कागजी और कलम की करामात हैं, वास्तव में हैं नहीं, पेपर कनवरजन्स हैं और वह कायम नहीं की गईं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, उधर के साथियों को यह भी मालूम होगा कि रिजर्व बैंक इन सहकारी समितियों के बारे में क्या राय रखता है, वह उनको कर्जा देने में झिझकता है।

एक बात और कहूंगा कि आगरे में हाल ही में किरावली तहसील में दो सहकारी समितियां खुलीं, एक किरावली में और दूसरी फतेहपुर सीकरी में और दोनों में गबन हुये, दोनों के मुनीम रुपया लेकर भाग गये। ये सहकारी समितियां जो कायम हो रही हैं उनमें यह हो रहा है। आगरे का उदाहरण इसलिये दिया कि अभी हाल का है। वैसे इस सदन में जो प्रश्न होते हैं सहकारी विभाग में गबन तथा गड़बड़ियों के बारे में वह इस बात का सबूत है कि सहकारी समितियां कितनी सफल हो रही हैं।

महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में एक बात यह कही कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपको बृहत्तर भविष्य के लिये अपने पेट बांधने होंगे। बहुत प्राचीन काल से यह परम्परा चली आती है कि लोगों के भविष्य का स्वप्न दिखा कर कहा जाता है कि वर्तमान स्थिति में दयनीय तथा नारकीय जीवन व्यतीत करो। हिन्दू धर्म में कल्प वृक्ष, अप्सराओं, नन्दन कानन पारिजात की कल्पना है इस आशा पर कि यहां जब तक रहो चूं मत करो, जो कुछ हो उसे सहते रहो और जिस तरह से वह स्वर्ग संदिग्ध व काल्पनिक है उसी तरह से यह तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात, जिससे बृहत्तर भविष्य होगा, भी संदिग्ध है।

लेनिन तो यह कहते थे कि राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खों का काम है। हमारे प्रधान मंत्री भी ज्योतिष तथा भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करते। यह तो भविष्य ही बतलायेगा कि हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना बृहत्तर होगी या नहीं, लेकिन यह कठोर सत्य है जैसा राज्यपाल महोदय ने कहा कि इस समय पेट बांधना होगा, वह भी उस जनता को जिसके लिये पौष्टिक तथा संतुलित भोजन की बात कौन कहे, उसको कैलोरीज की बात कौन कहे, उसे भरपेट रूखा-सूखा भोजन भी नहीं मिलता, जिसमें बहुत से नंगे रहते हैं और जो ८० फीसदी जनता देहातों में रहती है उसके मकानों की समस्या को इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में छुआ तक नहीं गया है और शहरों में भी लोग फुटपाथ पर आज भी सोते हैं, वहां यह कहना कि और पेट बांधो, यह ऐसी विडम्बना है जिसकी आशा राज्यपाल महोदय से नहीं करता था।

बृहत्तर भविष्य की स्थिति आज क्या है? गरीबी, बेकारी और महंगाई। ये पित्त, वात तथा कफ की तरह प्रदेश की जनता को जकड़े हुए हैं। बेकारी बढ़ रही है। गरीबी के सम्बन्ध में कल माननीय विरोधी दल के नेता ने आंकड़े दिये थे, उस पर मैं समय नहीं लेना चाहता। एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ था बहुत पहले से लेकिन खेद यह है कि प्रगति की प्रतिस्पर्धा में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में और पिछड़ा जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के पहले उत्तर प्रदेश जितना इनकम टैक्स देता था उतना ही इनकम टैक्स मदरास देता था लेकिन तब से उत्तर प्रदेश का इनकम टैक्स मील के पत्थर की तरह वहीं है, प्रदेश की आमदनी नहीं बढ़ी, आपके आंकड़े में बढ़ गयी होगी या लोग चोरी करते होंगे टैक्स देने में, लेकिन केन्द्रीय सरकार को आंकड़ों में हम नहीं दे रहे हैं जबकि मदरास का इनकम टैक्स बढ़ गया है। यह बात विरोधी दल के नेता ने जो गरीबी के बारे में कही थी उसके सम्बन्ध में कह दी, बाकी बात उन्होंने खुद कह दी है।

महंगाई की बाबत चर्चा चली। गेहूं के बारे में विवाद हुआ। हमारी सरकार की मनोवृत्ति बड़ी विचित्र है। उसके सामने यह होता है कि गेहूं का भाव ३० रुपये मन हो गया और उसने उसे घटा कर २८ रुपये मन कर दिया तो उसने जीत लिया और जो मूर्तियां हटा दी गयी हैं उनकी जगह मिनिस्टरों की मूर्तियां स्मारक के तौर पर इसलिये लगा देना चाहिये कि

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

उन्होंने ३० रुपये के बजाय गेहूं का भाव २८ रुपये कर दिया। यह भूल जाते हैं कि ३० रुपये मन से पहले जो भाव था, १५–१६ रुपये मन, उसके मुकाबले में आज कितना है। अभी माननीय लक्ष्मीनारायण जी बंसल ने स्वयं कहा था कि "Figures can be made to prove anything." तो उन्होंने स्वयं अपने आंकड़ों से जो चाहा वह साबित करने की कोशिश की लेकिन सत्य उसके बिल्कुल विपरीत है। साथ ही में भोजन की समस्या को हल करने में असमर्थ होने के कारण हमारे केन्द्रीय खाद्य मंत्री, श्री एस० के० पाटिल साहब ने एक बात कही कि लोगों को अपनी फूड हैबिट्स बदलनी चाहिये। जब हम एफ० ए०, बी० ए० वगैरह में पढ़ते थे तो इतिहास में फ्रांस की एक महरानी की कहानी थी। उसमें यह था कि लोगों ने महारानी से शिकायत की कि हम भूखों मर रहे हैं, हमको रोटी नहीं मिलती। महारानी जी ने कहा कि रोटी नहीं मिलती तो मालपुआ और केक्स क्यों नहीं खा लेते। उनको यह मालूम नहीं था कि जब रोटी नहीं मिलती तो केक्स और मालपुआ कहां से आयेंगे। उसी तरह से हमारे केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने कहा कि अनाज के बजाय दूध, दही, सब्जी, घी, मक्खन, फल, ये सब चीजें खानी चाहिये। मैं माननीय लक्ष्मीनारायण बंसल जी से पूछता हूं कि आज दूध और घी का क्या दाम है? वह घटा है या बढ़ा है? और क्या उनको यह कहावत मालूम है कि—

"अन्धेर नगरी, अनबूझ राजा,
टका सेर भाजी, टका सेर खाजा।"

मेरा कहने का मतलब यह है कि राज्य में आज यह दशा हो रही है कि लखनऊ में समर बहिश्त चौसा आम १२ आने सेर बिक रहा है और तोरई १ रुपया सेर, टमाटर ढाई रुपये सेर और हरी मिर्च २ रुपये सेर। और हमारे खाद्य मंत्री कहते हैं कि फूड हैबिट्स बदलिये। इस तरह से जब बातें कही जाती हैं तो मेरी प्रार्थना यह होगी कि दोनों ही तरफ से संतुलित बातें की जानी चाहिये। केवल हमसे ही सीता बनने को न कहा जाय, खुद भी राम बनें।

इसी तरह से औद्योगीकरण की बात कही जाती है। इस दिशा में हमारे देश में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। कुछ बड़े-बड़े उद्योग कायम किये गये हैं लेकिन उनसे बेकारी की समस्या तो हल नहीं होती। दो बातें आज भी हमारे प्रदेश में दिखायी देती हैं और वह यह कि गांवों से नर-नारी काम की तलाश में शहरों में आते हैं लेकिन वहां भी उनको काम नहीं मिलता। दूसरे यह कि हमारे प्रदेश में जिन लोगों को टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन मिलता है वे भी सरकारी नौकरी तलाश करते हैं। एक प्रिन्सिपल ने मुझसे कहा कि कुछ विद्यार्थियों ने कार का आर्मेचर बनाने की शिक्षा ली। एक विद्यार्थी से उन्होंने कहा कि अगर तुम खुद अपना काम शुरू कर दो तो बहुत से मिस्त्री सैकड़ों रुपये माहवार इसमें कमाते हैं। हम तुमको ५०० रुपये देते हैं और तुम इस काम को शुरू करो। लेकिन उसने काम शुरू नहीं किया और सरकारी नौकरी चाहता रहा। यह इस बात को साबित करता है कि बेकारी की समस्या को आप हल नहीं कर पाये। और जैसी कि मेरी आदत है, मैं विरोधी दलों की आलोचनाओं से कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आप खुद ही जो कहते हैं उसी के उदाहरण पेश करता हूं जिससे कहीं तो मीटिंग प्रोडक्टिव हो जाय और मैं यह कह सकूं कि या तो आप खुद गलत कहते हैं या आप मान लीजिये कि आप में कुछ कमी है।

प्रधान मंत्री, माननीय जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा कि यू० पी० में इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्लाइमेंट नहीं है। तो जब क्लाइमेंट ही नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो सकेगा, यह सोचने की बात है। कोयले की इन दिनों बहुत कमी है। हमारे माननीय जगमोहन सिंह नेगी जी बैठे हुये हैं। ये क्या करते हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन बहुगुणा जी चले गये। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि प्रदेश के उद्योगों की यह हालत है कि किसी कारखाने के पास

तीन दिन से ज्यादा का कोयला नहीं है और निकट भविष्य में उसके मिलने की आशा भी नहीं है इसलिये उनके बंद होने की बात आ रही है और कहा जा रहा है कि हम औद्योगीकरण कर रहे हैं और प्रगति हो रही है ।

अब जनता में उत्साह की बात रही । जब तक पंचवर्षीय योजना में जनता में उत्साह न हो और जनता का सहयोग न मिले तब तक वह कभी भी सफल नहीं हो सकती है । यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि आपके हर नेता और प्राइम मिनिस्टर तक दुहरा चुके हैं कि हम जनता में वह उत्साह और सहयोग पैदा नहीं कर पाये हैं और अपने नियमों के अनुसार आपने ही इसी प्रदेश में गोविन्दसहाय जी की चेयरमैनी में जो मूल्यांकन समिति कायम की थी उसके प्रतिवेदन में देखिये कि कहा गया है कि अधिकांश किसानों और गांव के लोगों को अभी तक पता तक नहीं है कि गवर्नमेंट की ओर से विकास के क्या क्या काम हो रहे हैं । जब यह हालत है तो जनता का सहयोग कहां से मिले, जनता में उत्साह कहां से आये, यह स्थिति है । गोविन्दसहाय जी की बात पुरानी हो सकती है तो कल भी कांग्रेस पार्टी के माननीय देवकीनन्दन विभव जो ऐस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन हैं, ने कहा था कि जनता का उत्साह नहीं बढ़ रहा है और जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है । जो बातें आपकी मर्जी के खिलाफ हों उनके लिये आप कह दें कि यह सब गलत है, वह दूसरी बात है लेकिन जो बात उन्होंने कही है उसको आपको मानना चाहिये ।

आज देश और प्रदेश की जो स्थिति है उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा बल्कि और लोगों ने जो कहा है उसको आपके सामने रखूंगा । माननीय राधाकृष्णन जी का नाम आप जानते हैं, वह हमारे उपसभापति भी हैं, उन्होंने हाल ही में यह कहा है कि जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है । ऐफिशियेन्ट, क्लीन एन्ड डिसेन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन (efficient , clean and decent administration) कायम करने के लिये अभी ठोस कदम उठाने हैं । अभी तक ठोस कदम तक नहीं उठाये गये हैं । उनके शब्द ये हैं--"I feel sad, distressed and ashamed of ourselves." देश की स्थिति ऐसी है जिसे देख कर हमें दुख होना चाहिये, लज्जित होना चाहिये और बेचैन होना चाहिये । यह उनकी राय है । ऐसी दशा में सरकार के प्रशासन की हालत यह है, जैसा कि आज एक कामरेड को प्रस्ताव के संबंध में कहा गया था कि रिहन्द बांध के क्षेत्र में ४५,००० किसानों की बहुत बुरी हालत है और प्रशासन ने क्या किया ? इसको सरकार देखे और अभी तक कुछ नहीं किया गया हो तो मानवता के नाते अपना कर्त्तव्य करे और अगर सरकार १९६२ के चुनावों को ध्यान में रखते हुये उनके कष्ट को दूर करेगी तो मैं उसका कृतज्ञ होऊंगा । एटा में जो फार्म खोले गये हैं उनमें किसानों की पूरी जमीन ले ली गई है और उनको जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं दिया गया है तो सरकार सोचे कि किसानों को बरबाद करना नहीं है इसलिये उनको जीविका देने का प्रबन्ध करे ।

अभी जो केंद्रीय सरकार की हड़ताल हुई थी उसके बारे में मैं कहूंगा और मुझे खुशी है कि गृह मंत्री जी मौजूद हैं और वह भी मानेंगे कि जो लोग ऐसे समय पर हड़ताल करते हैं और जो उसके लिये जिम्मेदार हैं उनके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिये जिससे इस तरह की बातें जो प्रदेश के लिये विनाशकारी हो सकती हैं वह दुहराई न जायं लेकिन साथ में ऐसा भी होना चाहिये कि सरकार विक्टिमाइज भी न करे । उसे क्षमाशीलता से काम लेना चाहिये । मैं कुछ उदाहरण आगरे के बताता हूं जिसकी मुझे निजी जानकारी और अनुभव है । वहां कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ११ तारीख की रात को १२ बजे जोश में आकर काम छोड़ दिया । लेकिन दूसरे दिन सुबह होते ही उन्होंने अपनी गलती महसूस की और अपने अधिकारियों को लिखकर दिया कि हम काम पर आना चाहते हैं । वह काम पर नहीं लिये गये और आज तक जेल में बन्द हैं । मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनके मामलों को देखें और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये कि अगर वे उत्तेजनावश कोई काम कर गये और बाद में उन्होंने अपनी गलती महसूस करके काम पर आना चाहा तो उनको काम पर नहीं लिया गया और जेल में डाल दिया । अगर गृह मंत्री जी चाहें तो मैं उनके नाम बता सकता हूं के० के० दीक्षित, बी० एन० शर्मा और बी० एन० श्रीवास्तव तथा उनके कुछ साथी ।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

आखिरी बात यह है कि राज्यपाल महोदय ने जिन खतरों से हमारा देश और प्रदेश घिरा हुआ है उनकी ओर संकेत करते हुये कहा है कि हम सबको संयुक्त होकर अपने देश को मजबूत बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं इस अपील का स्वागत और समर्थन करता हूं। मुझे पता नहीं कि अब जिन व्यक्तियों ने भाषण दिया उस अपील की तरफ उन्होंने अपना ध्यान दिया या नहीं। मैं उनके भाषण के इस भाग को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझता हूं। तो क्यों नहीं दूसरे लोगों ने ध्यान दिया? इसका कारण यह मालूम पड़ता है कि अब तक का अनुभव यह है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अगर सत्तारूढ़ दल चाहता है कि इस पर अमल हो तो उसकी तरफ से पहिले होनी चाहिये। पार्टीबन्दी से परे उठ कर ऐसा काम करना चाहिये जिससे देश की सुरक्षा के लिये देश को सबल और शक्तिशाली बनाने में सब लोग सहयोग दें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—मान्यवर, अपने वयोवृद्ध नेता माननीय पालीवाल जी का भाषण मैंने सुना और उनके संशोधन जो आज की कार्य सूची में छपे हैं उनको भी देखा। माननीय पालीवाल जी का दृष्टिकोण दूसरा है, हम लोगों का दृष्टिकोण दूसरा है, कांग्रेस ने कोआपरेटिव कामनवेल्थ बनाने का संकल्प किया है। मैं एक मिसाल उनके भाषण से देना चाहता हूं। वह कहते हैं कि इनकम टैक्स देने वालों की आमदनी नहीं बढ़ी है इसके मानी यह हुये कि ३०० रु० वेतन पाने वालों की आय नहीं बढ़ी। लेकिन हम तो समाजवादी ढांचा चाहते हैं। हम नीचे वालों को उठाना चाहते हैं। ऊपर वालों को बढ़ाने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि इधर के बैठने वाले लोग कठपुतली की तरह घूमते हैं। मुझे वह क्षमा करेंगे क्या वह पूंजीपतियों की वकालत नहीं कर रहे हैं? मैं यह महसूस करता हूं कि उनका दृष्टिकोण दूसरा है और कांग्रेस का संकल्प दूसरा है।

(इस समय १ बजकर ९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्रीमती बच्छावती, पीठासीन हुईं।)

माननीय विरोधी दल के नेता ने जो भाषण दिया उसको मैंने सुना और उनके संशोधन देखे उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की चर्चा नहीं है। उन्होंने महामहिम राज्यपाल के भाषण को गौर से नहीं पढ़ा। उनका ध्यान मैं उस भाषण के पेज २० की तरफ दिलाना चाहता हूं। उन्होंने बड़े सांकेतिक ढंग से कहा है, कि 'राज्य की जनता को रोजगार दिलाने के सरकार के उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में राज्य के रोजगार कार्यालयों द्वारा जो उपयोगी सेवायें की जा रही हैं, उन पर हम रुचिपूर्वक दृष्टि लगाये हैं। रोजगार दिलाने की समस्या एक ऐसी समस्या है जो सरकार द्वारा तेजी से उद्योगीकरण किये जाने तथा रोजगार के लिये अन्य साधन उपलब्ध कराने पर भी बहुत गम्भीर बनी हुई है।" श्रीमन्, इतनी सी ही व्याख्या में सब कुछ आ जाता है। यह भाषण तो पालिसी स्टेटमेंट है, विस्तृत तथ्य तो इसमें आते नहीं। राज्यपाल महोदय ने यह इशारा किया है कि हम प्रदेश का औद्योगीकरण औद्योगिक केंद्रों की स्थापना द्वारा करना चाहते हैं और नवयुवकों को रोजी देना चाहते हैं साथ ही कृषि में कितने लोग लगाये जा सकते हैं, इसको जब हम देखते हैं तो इसमें सफलता नजर नहीं आती। हमारे वयोवृद्ध नेता ने संभवतः इस तरफ ध्यान नहीं दिया।

एक बात उन्होंने यह कही कि जूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ। इसी भाषण के पेज २३ पर लिखा हुआ है कि "३४ जिलों में यह कार्यान्वयन हो चुका है और शेष जिलों में ६१–६२ तक करने जा रहे हैं।" अब पता नहीं एक दिन में वह कराना चाहते हैं या किस तरह का स्पष्टीकरण चाहते हैं, यह मैं समझ नहीं पाया।

अब मैं भाषण के कुछ मुख्य अंगों पर आना चाहता हूं। हमारा यह राज्य कृषि-प्रधान प्रदेश अब तक रहा है। हमें इसके औद्योगीकरण की तरफ दृष्टि डालनी है। इसीलिये हमारे मुख्य मंत्री ने एम० पीज० कांफ्रेंस में अपने भाषण में यह बात कही थी कि हमको अपने प्रदेश का औद्योगीकरण करना है और उसमें उन्होंने सिद्धांत यह माना है कि जितनी हमारी आबादी है

उसी दृष्टि से हमको केंद्र से सहायता मिलनी चाहिये, इसके लिये हमको प्रयत्न करना चाहिये। यह सिद्धांत उन्होंने रखा है तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि केंद्र से जब ऐसी सहायता मिले तो इस प्रदेश में भी आवश्यकतानुसार आबादी को ध्यान में रखकर भिन्न-भिन्न मदों में उसका बटवारा करना चाहिये। मैं इसको भी मानता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से जो उत्तराखंड बना हुआ है या जो पिछड़े हुए जिले हैं या अभावग्रस्त जिले हैं वहां रीजनल प्लानिंग करनी चाहिये। उससे फायदा यह होगा कि हमारे प्रदेश के सारे जिले बराबर के स्तर पर आ जायेंगे और उससे सारे प्रदेश का नक्शा एक हो जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आबादी का ध्यान जरूर रखा जाय साथ ही साथ विशेष रूप से योजना में से रुपया निकालकर उनको इंडस्ट्रियलाइज किया जाय। अगर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वहां न बनाये गये तो वहां के लोगों को यह शिकायत हो सकती है कि वह यह कहे कि और लोग तो आगे बढ़े हुये हैं और हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये मैं इस तरफ ध्यान आकृष्ट करता हूं कि पांच खंड जो बनाये गये हैं उनमें धन का वितरण करते समय यह ध्यान रखा जाय कि वहां की आबादी कितनी है और साथ ही साथ सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और वहां की विशेष परिस्थिति का ध्यान रखते हुए धन का बटवारा होना चाहिये।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इंटरमीडिएट एजूकेशन अमेंडमेंट ऐक्ट १९५८ जो पास हुआ उस पर स्कूलों के कुछ मैनेजर्स ने अखबारों में तथा और तरीकों से उसका बहुत विरोध किया और विरोध करते हुये कहा कि शासन हमको मुआवजा देकर इन संस्थाओं को ले ले। उन्होंने धमकी दी कि हम प्रशासकीय योजना नहीं मानेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कुछ स्पष्ट नहीं बोल रही है। तो अगर मैनेजर लोग यह समझते हैं और चाहते हैं कि यह उनकी स्टेट थी, जायदाद थी, और उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिये तब तो वह मुआवजा मांगें और मुआवजा मांग कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि इन संस्थाओं को चलाने में वह बिलकुल अपने स्वार्थ से भरे हुये थे। वरना सार्वजनिक काम में मुआवजे का क्या प्रश्न होता है? तो मैं आपके द्वारा यह प्रशासन से निवेदन करूंगा और शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सरकार की दृष्टि को स्पष्ट कर दें और कह दें कि मैनेजरों की धमकी में वह नहीं आयेंगे। तीस पैंतीस हजार अध्यापकों के हितों की रक्षा वह बराबर करेंगे।

एक बात और कहनी है और वह यह है कि जो हिन्दू यूनिवर्सिटी है, वह केन्द्र के प्रशासन के अन्दर है। मैं इस बात को मानता हूं कि सारी जो वहां की व्यवस्था है वह केन्द्रीय सरकार करती है। अभी हाल ही में हिन्दू विश्वविद्यालय से ९ अध्यापकों को अलग कर दिया गया है। जिन लोगों की सर्विस १८, १९ और २० साल की थी ऐसे अध्यापकों को वहां से अलग कर दिया गया है। उनको इसलिये अलग कर दिया गया है कि उनके सर्विस रूल में यह लिखा था कि तीन महीने की तनख्वाह देकर उनको अलग किया जा सकता है। इतने आर्डिनेन्स बने, मुदालियर कमेटी बनी लेकिन उनमें इनके लिये कोई जिक्र नहीं आया। ये लोग पुराने सर्विस रूल के आधार पर निकाल दिये गये। इससे इस प्रदेश की सारी शिक्षित जनता को क्षोभ है और सारे शिक्षित समाज ने इसका विरोध किया है। मैं समझता हूं सरकार को इस प्रदेश की जनता के दृष्टिकोण से केन्द्रीय सरकार को अवगत कराना चाहिये कि हम इस प्रकार के तरीके को पसन्द नहीं करते हैं। यह तो इन अध्यापकों के साथ वही व्यवहार किया जाता है जैसे कि म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के साथ व्यवहार किया जाता है। यह विश्वविद्यालय तो आटोनमस बाडी है और केन्द्रीय विश्वविद्यालय है तो उनके साथ उसी प्रकार से सम्मान का व्यवहार होना चाहिये। यदि यही दशा जारी रही तो मान्यवर, मुझे डर है कि इन विश्वविद्यालयों के अन्दर किसी अध्यापक का जीवन सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। १८,२० वर्ष तक जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी की सेवा की हो, जो सीनेट और कोर्ट में चुन कर आये हों उनको इस प्रकार से अलग कर देना, मैं समझता हूं यह हमारे प्रदेश के लिये एक कलंक की बात है। केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों में यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो तो यह बड़े दुख की बात है। हमारे

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

प्रदेश के मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को केन्द्रीय सरकार से यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इस प्रकार के तौर तरीके का हम विरोध करते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था इन विश्वविद्यालयों के अन्दर से समाप्त होनी चाहिये ।

अब मैं स्ट्राइक के बारे में दो एक बातें निवेदन करना चाहता हूं । पिछले दिनों हमने देखा कि हमारे प्रदेश की सारी पुलिस, कलेक्टर और एस० पी० रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे । गोरखपुर में भी देखा और लखनऊ में भी देखा कि स्टेशन पर रहे और बहुत परिश्रम किया । इन लोगों ने रात दिन परिश्रम करके स्ट्राइक को दबाने में बड़ी मेहनत से काम किया । उनकी मांगें उचित थीं या नहीं यह तो दूसरा प्रश्न है । उस पर मैं आना नहीं चाहता लेकिन एक बात जरूर है कि जो कार्य जनता को सुरक्षित रखने का इन लोगों ने किया है वह प्रशंसनीय है । हमारे गोरखपुर में भी बड़ी मेहनत से इन लोगों ने अपना काम किया है ।

मान्यवर, मैं इस बात का सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन लोगों को भी उसी प्रकार से सुविधा मिलनी चाहिये । मैं जानता हूं कि गोरखपुर में रेलवे में लगभग २५० कर्मचारी ऐसे हैं जो कलेक्टर एवं एस० पी० से अधिक वेतन पाते हैं । किन्तु जब हड़ताल होती है तो वे सब निहत्थे होकर बैठ जाते हैं । उस समय सारी जिम्मेदारी शान्ति को स्थापित करने या हड़ताल को दबाने की कलेक्टर या एस० पी० की हो जाती है । इस प्रदेश के प्रशासन के कर्मचारियों की जिम्मेदारी उस समय आ जाती है । तो इस प्रशासन को केन्द्र से यह मांग करनी चाहिये कि इन लोगों का वेतन भी उन केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर होना चाहिये । ५५ पये अब हमारे यहां हुआ है और केन्द्र में वह ८५ रुपया मिलता है । यदि कोई इस प्रकार की स्ट्राइक आदि होती है तो सारी व्यवस्था यहां के प्रशासन को करनी पड़ती है । इस कारण यहां के कर्मचारियों का वेतनक्रम उनके कर्मचारियों के बराबर होना चाहिये और हमारी सरकार को केन्द्र से यह मांग करनी चाहिये कि इतना रुपया हमको दिया जाय जिससे हम उनके बराबर अपने लोगों का वेतन करें । नहीं तो मुझे डर है कि १० या ५ वर्ष के बाद इस प्रदेश के कर्मचारी, जो रात दिन मरते हैं शासन को चलाने में और जनता को सुरक्षा देने में सारी जिम्मेदारी लेते हैं, उन कर्मचारियों के साथ सहानुभूति प्रकट करें । तब उस वक्त कोई चारा नहीं रहेगा और देश को घुटना टेकना पड़ेगा । इसलिये मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि यदि हमारे प्रशासन के पास धन नहीं है तो केन्द्र से धन मांगें और हमारे कर्मचारियों के लिये इस बात को सोचें जो कि यहां पर सुरक्षा और शासन के जिम्मेदार हैं । उनको उनकी बराबरी में लाना चाहिये ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में गवर्नर महोदय के भाषण में यह संकेत किया गया है कि नवीन शाखायें वहां पर स्थापित की जायंगी । आर्ट और साइन्स की व्यवस्था वहां पर है किन्तु टैक्नीकल शिक्षा की नहीं है । यदि वहां पर इस प्रकार से टैक्नीकल शिक्षा के लिये प्रयोगशाला हो जाय तो उससे १४ जिले, जो आसपास के हैं, उनके लिये बड़ी सुविधा हो जायगी । गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिये धन की व्यवस्था होने पर जो वहां पर कमी है उससे वह दूर हो सकेगी वहां पर रूरलयूनिवर्सिटी न होने से वहां के लड़कों की टैक्नीकल शिक्षा रुकी हुई है । तो इस तरह की व्यवस्था है वहां पर । अगर हम वहां से सम्बन्ध स्थापित करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वह हमने नहीं किया । वहां पर कृषि का कोई डिपार्टमेन्ट नहीं है । इसी तरह से और भी टैक्नीकल डिपार्टमेन्ट्स की वहां पर कमी है । तो कठिनाई यह है कि वहां कोई ठीक व्यवस्था नहीं है । एक टम्पोरेरी बाडी वहां पर काम कर रही है । नतीजा यह होता है कि वहां का इंतजाम ठीक नहीं हो रहा है ।

एक सदस्य---अधिष्ठात्री महोदया, यह क्या कह रहे हैं यह तो कुछ अब तक समझ में नहीं आया है । कुछ साफ-साफ बोलें तो समझ में भी आये ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---आप सुनते जाइये, सब समझ में आ जायेगा । आप सुनने की कोशिश ही नहीं करते ।

माननीया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये जिससे कि वहां कि व्यवस्था सुधरे। वहां पर हर प्रकार के टैक्नीकल विषय खोले जाने चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं माध्यमिक अध्यापकों के विषय में। उत्तर प्रदेश में करीब ३० हजार के ऐसे माध्यमिक अध्यापक हैं जिन्हें महंगाई नहीं मिलती। हमारी सरकार को इसकी व्यवस्था भी करनी चाहिये। यदि हम देखें तो और सभी प्रान्तों में करीब करीब इस प्रकार की व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश में उनको ३८ रुपये तक महंगाई भत्ते के दिये जाते हैं जिसमें से आधी रकम सरकार देती है। इसी तरह आसाम में २५ रुपये दिये जाते हैं और यह पूरी मंहगाई सरकार देती है। बिहार में ३० या ३५ रुपये दिये जाते हैं जिसमें से १२ फीसदी सरकार देती है। बम्बई में भी ३० या ३५ रुपया है जिसमें से शायद आधा भाग सरकार देती है। पंजाब में ४० रुपया मंहगाई है। राजस्थान में भी ३० या ४० रुपये तक है। दिल्ली में मंहगाई की पूरी रकम केन्द्रीय सरकार देती है। तो फिर क्या बात है कि यहां कि सरकार इसका प्रबन्ध नहीं कर पाती है। यहां पर भी शिक्षकों को यह महंगाई मिलनी चाहिये।

इन शब्दों तथा सुझावों के साथ मान्यवर, मैं महामहिम के धन्यवाद का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, बहुत गौर करने के बाद भी मैं अपने को इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ पा रहा हूं। आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त प्राय और तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू होने जा रही है। लेकिन इन १० वर्षों के बाद भी अगर गौर करके देखा जाय तो जनता का जीवन स्तर नीचे गिरा है और साथ ही जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमत भी दिन प्रति दिन बढ़ी है। इसके अलावा आज जनता को किसी प्रकार की भी सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसी दशा में मैं सबसे पहले पुलिस विभाग को लेता हूं।

यूं तो हर विभाग में ही अव्यवस्था बढ़ी है, लेकिन पुलिस विभाग में सबसे अधिक है। अंग्रेजों के जमाने में भी वह बातें नहीं दिखाई पड़ती थीं जो आज अपनी सरकार के जमाने में देखने को मिल रही हैं। सिवाय इसके कि यूनियन जैक के बजाय थानों ने तिरंगा झंडा लगा लिया है और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही अंग्रेजों के जमाने के पुरानी नीति चली आ रही है, वही आफिसरों का रवैया है, वही पुराने कायदे और कानून हैं। आज भी जनता की गरदन के ऊपर तलवार लटकी हुई है। कोई भी बात हो, थाने के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी जेब काट ली जाती है। गांव में मौत हो जाय, मां बहिनों की इज्जत चली जाय, कोई झगड़ा हो जाय, चोरी डकैती हो जाय, मगर थाने में रपट जब तक नहीं लिखी जाती है जब तक थानेदारों की जेब नहीं भर दी जाती। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसकी रपट ही नहीं लिखी जाती है। यही नहीं, जो गांवों में मैं देखता हूं और जो अनुभव बताता है, वह यह है कि रिपोर्ट भी सही नहीं लिखी जाती है। डकैती की रपट चोरी में लिखी जाती है, डकैती में कभी नहीं लिखी जाती। रिपोर्ट चोरी की लिखी जायगी और साथ ही साथ चोरी के केस को भी छिपाने की कोशिश की जायगी। अगर हम जबरदस्त हैं, पैसे वाले हैं तो हम कत्ल भी करें, और थानेदार को पैसा काफी दे दें तो हमारी रिपोर्ट ठिकाने से लिखी जायगी और वह केस हमारे ऊपर कायम नहीं हो सकेगा। यहीं तक नहीं अपराध को भी छिपाने की कोशिश की जाती है, सही अपराधियों का पता नहीं लगाया जाता, उनकी जगह पर गलत लोगों को पकड़ा जाता है, उनके ऊपर नाजायज तरीके से दबाव डाला जाता है, मारा-पीटा जाता है और इसमें कितने ही लोग मौत के घाट उतर गये हैं। मैं अपने ही जिले की मिसाल, जमानियां थाने की, देता हूं। साल भर में दो कत्ल उस थाने पर हुए और इसलिये हुए कि गलत लोग पकड़े गये, उनको थाने में बुरी तरह से पीटा गया और इतना पीटा गया कि वह मर गये।

अभी-अभी हाल की घटना है, २५-३० दिन पहले की, गाजीपुर में नन्दगंज थाने के सिरगिथा गांव की एक गर्भवती औरत को इसलिये जलना पड़ा कि वहां थानेदार पहुंच गया था। थानेदार को मालूम हो गया था कि इस औरत को गर्भ है। वह औरत ऐसी जाति

[श्री पब्बर राम]

को थी जिसमें दूसरी शादी भी होती है। हुआ यह कि वह अपने देवर से शादी कर चुकी थी और बिरादरी पंचायत ने उसे मान्यता दे दी थी, लेकिन जब थानेदार को मालूम हुआ तो उसने घूस लेने के लिए औरत को परेशान करना शुरू किया। घंटे भर परेशान होने के बाद वह औरत प्यास के बहाने अपने घर में जाती है और अन्दर से दरवाजा बन्द कर लेती है तो पुलिस के सिपाही बाहर से जाकर दरवाजा बन्द कर देते हैं जिससे वह भागने न पाये। नतीजा यह हुआ कि वह मिट्टी का तेल छिड़ककर जल मरी और जब धुआं उठने लगा तो गांव वाले और पुलिस के सिपाही छत खोद कर नीचे पहुंचे, तब तक वह जल मरी थी। जल मरने के बाद थानेदार ने एक गलत पंचायतनामा बनाया कि इस औरत ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद वह तो थाने पर पहुंच गया और दूसरे दिन भी गांव में उसकी जली हुई लाश पड़ी रही और दूसरे दिन सिपाही भेज कर गांव के पोखरे पर उसको जलवाया गया। इस तरह की घटनाएं अंग्रेजों के जमाने में भी देखने में नहीं आती थीं। उस घटना के बाद दरख्वास्तें पड़ी, काफी शिकायतें हुईं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर डेमोक्रेसी और जनतंत्र की बहुत बातें कही जाती हैं, जनतंत्र का नमूना अगर देखना हो तो मैं दो-चार शब्दों में उसके बारे में कहना चाहता हूं। जनतंत्र के नाना रूप यहां पर हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर जितने रूप हैं उतने शायद दुनिया में कहीं भी नहीं हैं। वोट देने का तरीका गांव के अन्दर दूसरा है। गांव की पंचायत में हाथ उठाकर वोट लेते हैं और हाथ उठाकर वोट लेने का नतीजा यह होता है कि जब तक पंचायत २-४-५ वर्ष तक जीवित रहती है तब तक जो विरोध में खुल्लमखुल्ला वोट देते हैं उनको सभापति सताता रहता है और कहां तो अमन चैन की उम्मीद करते थे, उसके बजाय वहां गांव में दो पार्टियां हो जाती हैं। टाउन एरिया में, म्युनिसिपल बोर्ड में जो चुनाव होते हैं, पहले चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट होता था, जनता डायरेक्ट चुनती थी, उसको खत्म किया गया इसलिये कि कांग्रेस पार्टी की उन चुनावों में जबरदस्त हार हुई। और हार होने के बाद कानून में एक नया अमेंडमेंट किया गया जिसके जरिये चेयर पर मेम्बरों द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। आप सोचें कि एक व्यक्ति जो कि पचास हजार वोटों से चेयरमैन बना हो उसको १६ या १८ व्यक्ति प्रस्ताव पास करके एकदम हटा दें, यह कहां तक उचित है। एक सदस्य ने मिर्जापुर का जिक्र किया। उसी तरह शामली में एक नगरपालिका है वहां पर बहुमत कम्युनिस्टों का है। उसको लेने के लिये भी सरकार पचासों किस्म की साजिशें कर रही है। पुरानी बातों को उखाड़कर उसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन की दूकान के सामने एक गुंडे से दूसरे गुंडे को गोली मरवाकर चेयरमैन को गिरफ्तार करके नाजायज मुकदमा चलवाकर उस बोर्ड को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार से रसड़ा बहादुरगंज, शामली में गोपागंज और मुबारकपुर में भी साजिशें की जा रही हैं। आखिर में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही हालत रही तो दशा और भी बिगड़ती चली जायगी।

अभी केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में नाना प्रकार की बातें उठाई गईं। यहां तक कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल देशद्रोहिता है। यहां की सरकार तो खुद ५ रुपया अपने कर्मचारियों का भत्ता बढ़ा देती है तो वह बहुत बड़ा कार्य हो जाता है लेकिन अगर वह मुसीबत में फंसे हुये लोग खुद मतालबा करते हैं तो उसको देशद्रोहिता कहा जाता है। आज बाबू लोगों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। वह साइकिल पर लकड़ी और कोयला और अपनी स्त्रियों को ढोते हैं जिसे देखकर आदमी का सिर शर्म से झुक जाता है। अगर उन लोगों की मांग का कोई समर्थन करता है तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। अपनी सुविधाओं के बढ़ाने में तो कोई रोक-टोक नहीं है। इसी सेशन में प्रस्ताव आने वाला है कि एम० एल० एज० की तनख्वाह बढ़ाई जाय, भत्ते बढ़ाये जायं और अन्य सुविधायें बढ़ाई जायं। एक ५० रुपये पाने वाले छोटे कर्मचारी को तो अस्पताल से मुफ्त दवाई नहीं मिलेगी लेकिन

एम० पी० और एम० एल० ए० के लिये अस्पतालों में दवाइयां रिजर्व रखी जाती हैं। हजारों रुपयों की दवाइयां जिलों में भेज दी जाती हैं रिजर्व रखने के लिये। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी सुविधायें तो बढ़ाते चले जायेंगे हजारों रुपये की सुविधायें हमारे लिये कम हैं लेकिन छोटे-छोटे कर्मचारी जो हैं वह यदि मांग करें तो वह देशद्रोहिता का कार्य हो जाता है।

आने वाला जमाना बतायेगा कि कौन देशद्रोही है कौन नहीं है। अगर मुसीबत में फंसे लोगों के लिये आवाज उठाने वाले देशद्रोही हैं तो ऐसे देशद्रोही बनने वाले बहुत से लोग तैयार हैं और तैयार रहेंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हम ऐसी ऐसी बातों को उठाकर मुसीबतजदों पर तरस नहीं खायगे, अपनी सुविधाओं को कम करके उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आने वाले जमाने में हमें इन करमों का फल मिलेगा जनता की जिन्दगी के साथ जब-जब खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है तब-तब उसका फल मिला है। एक कविता में है कि

"जनता अजर अमर होती है, अन्यायी मिट जाते।
इतिहासों के पृष्ठ युगों से हमको यही बताते।"

जनता ने ऐसे करमों के लिये जिम्मेदार लोगों को कभी माफ नहीं किया है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप जनता के साथ इस तरीके से खिलवाड़ न कीजिये बल्कि नये जमाने को देखिये। हर मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। चाहे कोई मिनिस्टर हो या राजा हो या फकीर हो, सबको खाने-पहनने, दवाई-पढ़ाई वगैरह की जरूरत होती है। ये चीजें आम जनता को सुलभ होनी चाहिये। तभी सही मानों में डैमोक्रेसी पनप सकती है और हमारी योजनाओं का स्वागत होगा। अगर हम ७५ फीसदी लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करेंगे और अपने लिये सुविधायें बढ़ाते चले जावेंगे तो इसका नतीजा हमारे देश के लिये अच्छा नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रामचन्द्र उनियाल (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। महामान्य राज्यपाल ने छोटे कर्मचारियों की महंगाई भत्ता वृद्धि के बारे में जो घोषणा की है वह स्वागत करने योग्य है क्योंकि उनके वेतन बड़े ही न्यून थे। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे छोटे कर्मचारी अपना कर्त्तव्य पालन ठीक से करेंगे। महंगाई भत्ते में वृद्धि जनता से ही वसूल होती है।

मैं खासकर जो हमारे यहां उत्तराखंड नया डिवीजन बना है उसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत-चीन सीमा पर तीन जिलों के उत्तराखंड बने हुये ५,६ महीने हो गये हैं, किन्तु काम अब तक शुरू नहीं हो पाया और वहां पर विकास और निर्माण के कार्यों के लिये जो जोश सरकार द्वारा पहले व्यक्त किया गया था वह अब दिखलाई नहीं देता है। वहां कर्मचारियों का तांता तो लगा हुआ है मगर वे हाथ पर हाथ धरे हुये बैठे हैं। यह ज्ञात नहीं किस अधिकार में किसको क्या करना है। घोषणा की गई थी कि वहां की शासन प्रणाली अन्य जिलों से भिन्न होगी। वहां के जिलाधीश और अन्य अधिकारियों को विशेष अधिकार दिये जावेंगे। लेकिन समझ में नहीं आता कि ५,६ महीने की इन्तजारी के बाद भी अभी तक वे खामोश ही बैठे हुये हैं और सरकार का अभी तक उनके कर्त्तव्यों और अधिकारों की ओर ध्यान नहीं गया है तथा स्पष्टीकरण नहीं हुआ, तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि खासकर तीन नये जिलों में कैसे कार्य तीव्रता से होगा। मैं मानता हूं कि वहां अधिकारी और कर्मचारी तो अच्छे आये हैं और मुझे उनसे जब सम्पर्क में आने का मौका मिला तो मैंने पाया कि वे अच्छी-अच्छी योजनायें सामने रख रहे हैं। लेकिन वे योजनायें अभी तक कागजी ही हैं।

मैं उस क्षेत्र से अभी दौरा करके आ रहा हूं। वहां बार्डर अलाउन्स के बारे में कर्मचारियों में बड़ा असंतोष है। एक ब्लाक (भटवाड़ी) में यह अलाउन्स सेंट पर-सेंट रखा गया है। हमारे जिले के अन्य ब्लाक्स में कुछ भी अलाउन्स की घोषणा नहीं की गई है। खासकर जिले के अन्य ब्लाक्स में सेंट-पर-सेंट अलाउन्स होना चाहिये चूंकि वहां यातायात के साधन

[श्री रामचन्द्र उनियाल]

बहुत कम हैं और वहां आसानी से कोई कर्मचारी अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। मेरा सुझाव है कि वहां पर सारे उत्तराखंड यानी तीनों जिलों में सेंट-पर-सेंट बार्डर अलाउन्स होना चाहिये। खासकर उत्तर काशी जिले में ऐसे स्थान भी देखने को मिले हैं कि जहां पर पशुओं को भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। फतेपर्वत में ऐसे भी हिस्से हैं जहां पशुओं के बच्चों को उठा कर गांवों में ले जाया जाता है और जब वे वहां बड़े हो जाते हैं तभी दूध आदि के उपयोगी बन सकते हैं। वहां बड़े जानवर नहीं जा सकते हैं। वहां की यातायात की कठिनाई को सरकार को देखना चाहिये और इस तरह की सुविधा बार्डर अलाउन्स की यहां देनी चाहिये न कि जहां पर मोटर आदि की सुविधायें हों। यह बड़ी आश्चर्य-जनक बात है। इस ओर ध्यान देना चाहिये।

जैसा मैंने पिछले साल भी ध्यान आकृष्ट किया था, वहां के जंगलों से वन-सम्पदा एक ऐसी चीज है जिससे उस क्षेत्र का लाभ हो सकता है। खास कर जिस जिले से मैं आता हूं उत्तर काशी और टेहरी जिले से, वहां जंगलात की समस्या बड़ी विचित्र रही है और सन् १९३० से ६० तक, ३० सालों से वे समस्यायें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। सन् १९४९ में वह जो अलग राज्य था वह यू० पी० में मर्ज हो गया। वहां की जनता उम्मीद करती थी कि उत्तर प्रदेश में विलीन होने से जंगलात के लिये उन्हें पूर्ण सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी, जिसके लिये वहां पर जनता ने बड़ा तीव्र आन्दोलन भी किया था। लेकिन मुझे खेद है कि अभी तक पूर्ण सुविधायें और साधन नहीं मिले हैं। पिछले साल माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक फारेस्ट्स फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी उस क्षेत्र के लिये बनाई थी। बजट सेशन में कहा गया था कि उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है लेकिन अब तो जुलाई का सेशन आ गया है और अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ। यह बड़ी ही दुःख की बात है मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खासकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की कठिनाइयों को देखते हुये उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र ही वहां सुविधायें प्रदान की जावें।

जिला उत्तर काशी में ऐसे भी इलाके हैं जहां पर दूर-दूर गांव हैं, इसलिये वहां पर स्कूलों की बड़ी आवश्यकता है। नये जिलों के अधिकारियों ने कहा था कि स्कूलों के लिये उनकी योजनायें सरकार के पास भेजी गयी हैं और आवश्यक स्थानों में जूनियर हाई स्कूल खोले जावेंगे। लेकिन वे अभी तक नहीं खुले हैं। केवल २,३ खुले हैं। एक स्कूल जो खासकर डुंडा ब्लाक में खोला गया है वह जंगल में खोला गया है, जब की आवश्यकता भुस्टीका सौड़, मातली, धोन्तरी, केडारो आदि और हाई स्कूल, भरवाड़ी और देवाई में आवश्यकता थी। वहां कोई परामर्शदात्री समिति या नियोजन समिति नहीं बनाई गई है—जैसे पिथौरागढ़ में जो कि जिला स्तर पर वहां की बातों को सामने रख सके। वहां के अधिकारियों के अधिकार विशेष होने चाहिये जैसा कि शुरू में कहा गया था ताकि वहां का विकास जल्दी हो सके। साथ ही परामर्शदात्री समिति या नियोजन समितियां भी होनी चाहिये जिससे स्थानीय लोगों को परामर्श करने का मौका मिले।

अधिष्ठात्री महोदया, हमें उम्मीद है कि नये जिले बन जाने से वहां हायर सेकेंड्री स्कूल भी काफी संख्या में कायम किये जावेंगे। कई स्कूल वहां के लिये प्रपोज किये हुये हैं और वे भी अभी तक नहीं खुले हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं, अधिष्ठात्री महोदया, आपके द्वारा, कि जिस जोश से वहां नया डिवीजन बनाया गया उसी जोश से वहां काम भी होना चाहिये खास कर वहां पर जो बेरोजगारी की समस्या है उस को भेड़ आदि पशुओं, वन सम्पदा, टूरिष्ट इण्डस्ट्रीज के द्वारा हल किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त वहां पर ऐसे अधिकारी जाने चाहिये जिनको पहले से पहाड़ी इलाकों का अनुभव हो। देखने में ऐसा आता है कि वहां पर ऐसे अधिकारी भेज दिये जाते हैं जिन्होंने पहले कभी पहाड़ देखा ही नहीं है। ऐसे अधिकारी वहां पर ठीक काम नहीं कर सकते। अतः वहां पर ऐसे अधिकारी भेजे जायं जिनको पहाड़ी इलाके का अनुभव हो।

वन विभाग में भी बहुत भ्रष्टाचार फैल रहा है। जो उनको घूस देते हैं केवल उन को ही लकड़ी मिल सकती है। ऐसे भी जंगल वहां पर हैं जिन्हें 'घिया जंगल' कहते हैं। यदि घी दोगे तो लकड़ी पाओगे। इस तरह से भ्रष्टाचार का बोल-बाला है। इस तरह की परिपाटी लोगों को बड़ी दुःखदायी है। कितने आश्चर्य की बात है कि गांव के पास भी जंगल है लेकिन जरूरत भर को भी लकड़ी जनता को नहीं मिल पाती। वहां पर जो अधिकारी हैं उनका रवैया ठीक नहीं है। उनको ऐसे आदेश दिये जायं जिससे लोगों को काम लायक लकड़ी मिल सके। अभी तक जो लकड़ी मिलती है वह ६० साल पहले हुए सेटिलमेंट के अनुसार मिलती है जब कि आजकल आबादी पहले से बहुत ज्यादा हो गयी है। देश में १३·५ वन हैं यह खेद की बात है देश की पर्वतीय तथा मैदानी भागों में क्रमशः ६० और ८० प्रतिशत जंगल होने चाहिये तभी खुशहाली हो सकती है। राज्यपाल ने भी इस ओर संकेत किया, इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक सिंचाई विभाग का ताल्लुक है बहुत-सी छोटी-मोटी योजनायें बनायी गयी हैं। दो-दो, तीन-तीन लाख रुपया उन पर खर्च किया जा रहा है तथा किया गया। बड़ी योजनायें तो वहां पर बेकार साबित हो चुकी हैं। हमारे क्षेत्र की नहर मातली व पड़ती पर भी बहुत सा रुपया खर्च किया जा रहा है किन्तु सिंचाई नाम मात्र भी नहीं होती। मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों की अलग से ही प्लानिंग होनी चाहिये। क्योंकि देखा यह जाता है कि वहां पर बहुत-सी छोटी-छोटी सिंचाई की स्कीम्स कामयाब नहीं हुई। इसका कारण यह है कि आप के पास ऐसे टेक्नीकल आदमी नहीं हैं जो वहां की हालत को ठीक प्रकार से समझते हों, नतीजा यह होता है कि ये नहरी सिंचाई की वह योजना समाप्त हो जाती है और कच्ची नहर से भी खराब हो जाती है। इसलिये मेरा फिर निवेदन है कि पहाड़ी भागों की प्लानिंग अलग से होनी चाहिये। जो पहाड़ी हालत से परिचित नहीं हैं उनको वहां की बातों को समझने में दिक्कत होती है। फारेस्ट मिनिस्टर साहब को भी पहाड़ का अनुभव नहीं है इसलिये उनको भी हमारी दिक्कतों के समझने में दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त एक्साइज विभाग ने श्रीनगर में एक शराब की दुकान खोली है जिसके कारण वहां बड़ा भारी असंतोष है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे नये जिलों में शराब की भट्ठी न खोली जाय और असंतोष पैदा न किया जाय।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, महामहिम राज्यपाल के लम्बे अभिभाषण को देखने के बाद न मालूम और मित्रों की क्या प्रतिक्रिया हुई हो, मुझे तो ऐसा लगा कि अगर इस भाषण को महामहिम राज्यपाल के मुंह से सुना न गया होता और उसके ऊपर के पन्ने पर यह न लिखा गया होता—"महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण" तो मुझे ऐसा लगता कि यह इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की इन्फार्मेशन मेगजीन के लिये कोई लेख कहीं से प्राप्त किया गया है। ऐसा इसलिये लगा कि, जैसी कि आशा की जाती है कि भविष्य के कार्यक्रम की ओर कोई संकेत होगा कि अगले वर्ष राज्य की तरफ से क्या होने वाला है, इसके सम्बन्ध में कोई निर्देश, आदेश, सन्देश, संकेत कुछ भी होता तो बात मेरी समझ में आती। ऐसे तो हमारे मित्र राजनारायण जी जो इस समय जेल में हैं, वे कहा करते हैं कि यह ऐसा लगता है कि जैसे अभिनन्दन ग्रन्थ हो। तो इस प्रकार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की अपेक्षा नहीं थी। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे समय पर जब राज्यपाल महोदय प्रदेश के विधान मण्डल को सम्बोधन करें तो उस समय प्रादेशिक सरकार की जो सारी नीति है और उनको जो नये नये काम करने हैं, उसके सम्बन्ध में कोई न कोई संकेत होना चाहिये। उसके पीछे के कार्यों का अगर सिंहावलोकन करना आवश्यक हो तो उसका संक्षिप्त विवरण होना चाहिये। हमारे उधर के बैठने वाले दोस्त तो केवल यह चाहते हैं कि हम सरकार का स्तुति पाठ करके ही रह जायं। अगर राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में उन कार्यों का भी जिक्र किया होता जिन कार्यों को करने से प्रदेश के आगे बढ़ने की बुनियाद पक्की होती तो मुझे प्रसन्नता होती।

[श्री गौरीशंकर राय]

अधिष्ठात्री महोदया, इस समय एक मंत्री जी हमारे सामने उपस्थित हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में परस्पर सहयोग की बात कही गयी है। योजना के सम्बन्ध में ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे प्रजातंत्र और समाजवाद की भित्ति बलवती हो, सरकार की तरफ से ऐसे उपदेश बराबर दिये जाते हैं। मेरे सामने जो एक बेगुनाह मंत्री बैठे हुए हैं उन्हीं के विभाग से सम्बन्धित कुछ बातें मैं बतला देना चाहता हूं जिससे इस सरकार का सारा रूप आप के सामने आ जायगा। इसका स्पेसिफिक एक्जाम्पुल मैं देना चाहता हूं—लखीमपुर जिले के धरौहरा टाउन एरिया के अध्यक्ष के चुनाव के लिये नामिनेशन की तिथि निश्चित हो गयी थी जहां पर पी० एस० पी० के एक सज्जन का नामिनेशन फाइल हो गया, स्क्रूटनी हो गयी और केवल रिजल्ट डिक्लेयर होने की बात रह गयी थी तब तक सरकार की तरफ़ से सन्देश गया कि अभी चुनाव की तिथि टाल दी गयी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई आदमी चुनाव का पर्चा न दाखिल कर सका था।

मैं बलिया जिले से आता हूं। बलिया जिले में सिकन्दरपुर एक टाउन एरिया है जहां और किसी पार्टी की पार्टीबन्दी न होकर इस शासक दल के अन्दर ही दो पार्टी है जिसमें से एक डिसिडेंट ग्रूप के नाम से प्रख्यात है। उस ग्रूप का आदमी चूंकि सिकन्दरपुर टाउन एरिया का चेयरमैन था इसलिये उस दलादल के चक्कर में पड़ कर सरकार ने उस टाउन एरिया को ही सुपरसीड कर दिया। इसी तरह से फर्रुखाबाद की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन पी० एस० पी० के एक सज्जन हैं और उनके पहले वहां के चेयरमैन एक कांग्रेस पार्टी के सज्जन थे जिनके ऊपर न मालूम कितने आरोप थे। उनके समय में तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, लेकिन जब मौजूदा चेयरमैन हुए तो उनको लिखा गया कि आपको क्यों न हटा दिया जाय, क्योंकि आप की म्युनिसिपैलिटी में ये ये दोष हैं। वह म्युनिसिपैलिटी चली गयी, उसके चेयरमैन चले गये क्योंकि वे लोग हार गये और अब पिछली कसर इनसे निकाली जा रही है।

इसके बाद मैं एक नग्नतम रूप आप के सामने पेश करना चाहता हूं जिससे सारी बातें स्पष्ट हो जायंगी। श्री मोहनलाल गौतम जो कोआपरेशन के मिनिस्टर हैं उनकी ऐसी पार्टीबाजी की बातें हैं तथा उनके ऐसे कर्म हैं जिससे लोग परेशान हैं। उम्मीद यह की गयी थी कि सहकारिता की भावना लोगों के अन्दर बढ़ेगी जिससे यहां की जनता में विश्वास बढ़ेगा, लेकिन सहकारिता मंत्री के कारण हो उससे उल्टा ही रहा है। जो सामने मंत्री महोदय बैठे हुए हैं वे वैसे नहीं हैं, सारे मंत्रिमंडल में ये ही बेगुनाह हैं और ऐसे मंत्री के मुहकमे के सम्बन्ध में भी जब कोई बात सुनने में आती है तो परेशानी होती है और तबियत होती है कि उनके बारे में कहूं। बलिया नगर की म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष एक बहुत ही भले आदमी हैं, सरकार की निगाह में नहीं बल्कि वहां की जनता की निगाह में और उनके ऊपर जो चार्ज है उसको मैं पढ़कर सुना दूं ताकि पूरे नकाब के पीछे की बात समझ में आ जाय। कलक्टर लिखता है, कि—

"I am desired by Government to enclose herewith G. O. no. 1688-F (ii)/XI—A-573/59, dated June 27, 1960, calling upon you to show cause within 15 days of the receipt of this letter against your removal from the office of the President, Municipal Board, Ballia."

अब उस पर जो सरकार का खत है वह भी देखिये, २ मिनट में पढ़े देता हूं :—

"I am directed to ask you to show cause within fifteen days of the receipt of this order as to why you should not be removed from the office of the President, Municipal Board, Ballia, under clause (*a*) and sub-clause (vi) of clause (*b*) of sub-section (2) of section 48 of the U. P. Municipalities Act, 1916, on account of the charges mentioned in the enclosed charge-sheet which shows that you not only failed in the performance of your duty but were also guilty of gross misconduct in its discharge.

2. You should submit your explanation....."

अब वह चार्ज शीट जो थी उसके बारे में मैं २ मिनट में बता दूं, उसमें यह था कि किसी उनके दोस्त के यहां विवाह के दिन बलिया का वाटरवर्क्स समय से अधिक देर तक खुला रहा। जब इस विषय में इंजीनियर से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उस दिन मशीन में कुछ माइनर खराबी हो गई थी। मैं नहीं कहता कि बात क्या थी और न मैं उनकी तरफ से कोई सफ़ाई ही पेश कर रहा हूं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से ईमानदारी के साथ पूछना चाहता हूं कि उन्होंने तो अपनी सफ़ाई दे दी, मैं किसी सत्य या असत्य की बात नहीं करता, लेकिन क्या ऐसे चार्जेज किसी म्युनिसिपैलिटी के प्रेसीडेंट को हटाने के लिये काफ़ी हैं जब कि हमें मालूम है कि चीफ सेक्रेटरी के यहां २२ मई को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर पानी का और तमाम इंतजाम किस प्रकार था? क्या यहां के २ मिनिस्टरों के यहां शादी के मौक़े पर तमाम प्रबन्ध नहीं हुये थे? मेरा नम्र निवेदन है कि आप चाहें किसी को म्युनिसिपैलिटीज़ में रखें या निकालें, लेकिन आप कृपा कर के यह अनाचार और अत्याचार प्रजातंत्र के साथ न करें। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से आशा करता हूं क्योंकि कहा जाता है कि गांधी जी में बड़ा विश्वास उन का है कि वह तो प्रजातन्त्र पद्धति के साथ अन्याय न होने दें। अगर बसंत पंचमी के दिन पानी खुला रहा तो वहां मीटर लगा हुआ था, उसमें अधिक चार्ज हो जायगा, उसमें कोई विशेष नुक्सान की बात नहीं थी। जब कि दूसरी तरफ़ यहां की मुझे मालूम है कि मुख्य मंत्री के घर विवाह था और कहां कितना पानी और बिजली का चार्ज हुआ है और किसके द्वारा कैसे प्रबन्ध तमाम किया गया, किस तरह से पी० डब्लू० डी० की मोटरें और ट्रक्स और इरिगेशन की लगी हुई थीं सब को मालूम है कि किस तरह से चीफ सेक्रेटरी के यहां काम हो रहा था। लेकिन अगर यही बात किसी भले आदमी के घर हो और पानी जरा ज्यादा चला जाय जब कि मीटर भी मौजूद है और अधिक प्रेशर का पानी का पैसा भी मिल जाता है तब भी चेयरमैन के खिलाफ चार्ज लगाया जाता है। मंत्रियों और अधिकारियों के लिये यह चीज जायज रहे और एक चेयरमैन को निकाला जाय यह कौन-सा प्रजातंत्र है?

दूसरी तरफ उसी म्युनिसिपल बोर्ड के एक पूर्व सदस्य जो आज भी सदस्य हैं जिनके खिलाफ तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप थे गले तक, लेकिन उन को आशीर्वाद प्राप्त था किन्हीं बाबू जी का या पंडित जी का या शासन के किन्हीं लोगों का हो इसलिये वह साफ़ निकल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पार्टीबाजी की भी कोई सीमा होनी चाहिये, उस में भी सीमा का अतिक्रमण अनुचित होता है। अगर यह चीजें चलती रहेंगी तो आप को इतिहास क्षमा नहीं करेगा और आप को इन बातों पर यश नहीं प्राप्त होगा। जिनके खिलाफ़ भ्रष्टाचार की सैकड़ों शिकायतें हैं उनको प्रोटेक्शन यहां मिलता है। कलेक्टर से कहा जाता है कि फाइल एस० डी० ओ० को दो, एस० डी० एम० बलिया ने चार्ज दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस फाइल का चार्ज नहीं दिया। इस तरह की मनमानी चलती है।

अब मैं महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में एक और चीज की तरफ संकेत करूंगा। प्रदेश की बहुत सी जटिल समस्यायें हैं जिनके बारे में उन्होंने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है। एक यू० पी० और बिहार की सीमा की समस्या भी है, बहुत दिन से स्थायी सीमा की बात चलती है, लेकिन एक कदम भी इस दिशा में वह आगे नहीं बढ़ा सके हैं। कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन आज तक कोई सीमा निर्धारित न हो सकी, हर साल हत्यायें होती हैं, किसानों में झगड़े होते हैं, उन सब को बयान करने का समय नहीं है वर्ना आपको मैं बता देता। बड़ी समस्या उससे पैदा होती है। हम विश्वास करते थे कि राज्यपाल महोदय यह घोषणा करेंगे कि इस वर्ष में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा अन्तिम रूप से तय हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो "नो मेन्स लैंड" में हैं। पोस्ट आफिस बलिया लिखते हैं और थाना लिखते हैं बक्सर जो आरा जिले में है। वहां पर डकैती होती है, पुलिस यहां से नहीं जा सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जूरिस्डिक्शन बिहार का है। इस प्रकार की शिकायतें हुई हैं, लेकिन सरकार उदासीन है।

[श्री गौरीशंकर राय]

नदियों के कटान का सवाल है। यह ऐसा सवाल है जिसके कारण विकास का कार्यक्रम नहीं चल सकता अगर कुछ इसकी दवा नहीं करते हैं। कटान के इलाके में ट्यूबवेल नहीं बन सकते। वहां सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं हो सकता। मेरा सुझाव था कि जहां ऐसे कटान हैं और जहां हम रोक सकते हैं वहां विकास में जो रुपया खर्च होने वाला है वह वहां खर्च हो। उस इलाके के लोगों की तरफ से कहा गया कि अगर इंतजाम हो तो उस इलाके के लोग कुछ दिनों तक उसके खर्चे का कुछ हिस्सा देने को तैयार हैं। इस प्रकार के आफर बराबर हुए हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बिजली का बड़ा जिक्र है और यह भी है कि बड़ा इंडस्ट्रियेलाइजेशन होगा। समय होता तो मैं बताता। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारे लोगों की आशा रिहन्द डैम पर थी। लोगों को उम्मीद थी कि बिजली मिलेगी। उसकी कथा क्या है, वह आपको और सारे प्रदेश को मालूम है। १७५ रुपये पर जो बिजली बेची गई है उसके दुगने से अधिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के किसानों के लिये बिजली की दर है। बिड़ला को आप जिस दर से बिजली देते हैं उससे दुगने से भी अधिक रेट पर आप किसान को देते हैं। मेरठ, कानपुर और बुलन्दशहर में जो बिजली का रेट है उससे दुगने से अधिक उधर है। अगर बिजली का रेट यही रहा तो किसान पानी नहीं लेगा। इस संबंध में केन्द्रीय योजना आयोग ने यह सुझाव दिया था कि सिंचाई की योजना बने तो दो-तीन साल तक रेट सिंचाई का न लिया जाय और लिया जाय तो कम लिया जाय।

दोहरीघाट से किसी को पानी नहीं मिला। एक पानी मिला और पूरा रेट जो चार-पांच पानी के बाद होना चाहिए, वह सरकार लेने जा रही है। एक इंजीनियर साहब से मैंने कहा कि किसान ने इतनी मेहनत की है, आपने एक पानी दिया है, आप पूरा रेट न लीजिये। उन्होंने कहा कि किसान का खेत तो हरा है। किसान ने अपनी मेहनत से खेत को जिन्दा रखा है तो उससे पूरा रेट लिया जाएगा। अगर गन्ना सूख जाता तो सरकार की ओर से रियायत मिलती। मैं समझता हूं कि यह सोचने का तरीका बदलना चाहिए। उन लोगों की परेशानियों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

एक चीज की बड़ी चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के सिलसिले में हमारे दीनानारायणमणि जी ने कहा कि काशी विश्वविद्यालय के ८-१० प्रशिक्षक निकाल दिये गये हैं जिनका बड़ा सम्मान था, जिन्हें हम चाहते थे कि रहें तो हमारा भला हो। वह तो केन्द्र का विश्वविद्यालय है। जिस प्रकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पार्टीबाजी को प्रोत्साहन दिया जाता है उसी तरह केन्द्र में भी वह मर्ज लगा हुआ है। वहां से भी पालिटीकल विचार होते हैं और उसके अनुसार लोग निकाले और रखे जाते हैं। अब समय आ गया है जबकि यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर को नहीं होना चाहिए। गवर्नर का जो स्थान है, सरकार से उसका एक ऐसा संबंध है जो अविच्छिन्न है और जिसे अलग नहीं किया जा सकता, उसका भी इस्तेमाल पार्टीबाजी के लिये होता है। पिछली बार मेरा पिटीशन हटा दिया गया लखनऊ यूनिवर्सिटी के उप-कुलपति के संबंध में लोगों ने कहा कि वे सरस्वती मन्दिर के लिये कलंक होंगे, लेकिन वही वाइस-चांसलर हुए। इसके पीछे सरकार का हाथ होगा। विद्यार्थियों के साथ विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है, एडमीशन नहीं हो रहे हैं, फेल करने का प्रयास हुआ है। तो इस तरह की पार्टीबाजी सरकार की वजह से है, और लोग भी इसमें हैं, लेकिन सरकार का मुख्य हाथ है।

*श्री मुहम्मद फारूक चिश्ती (जिला देवरिया)--आलीजाह अधिष्ठात्री महोदया, महामान्य राज्यपाल जी ने जो तकरीर इस सदन में फरमायी है और उससे हमें रोशनी पहुंचायी है तथा जिसके शुक्रिया की तजवीज पेश की गई है मैं उसकी ताईद करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज्यपाल जी की तकरीर से पता चलता है कि उन्हें हमारी जरूरियात की पूरी-पूरी वाकफियत है, उन्हें एहसास उतना है जितना गालिबन हमको खुद भी नहीं है। मैंने लर्नेड लीडर आफ दी अपोजीशन की तकरीर सुनी जिस से पता चला उन्होंने इस तकरीर को पसन्द नहीं फरमाया है और उन्हें इस में बहुत-सी कमियां नजर आयी हैं। मैं यह देखता हूं कि हमारी जितनी जरूरियात बलिहाज सूरतहाल के हैं उन सब पर उन्होंने रोशनी डाली है और उनकी तरतीब अपनी तकरीर में बलिहाज अहमियत के है। हमारे लिये सबसे जरूरी चीज ऐग्रिकल्चर और प्रोडक्शन का इनक्रीज है चुनांचे इसको उन्होंने पहला नम्बर दिया है। कोआपरेशन और सिंचाई प्रोडक्शन बढ़ाने से लिन्क्ड हैं लिहाजा उसे ऐग्रीकल्चर के साथ साथ रखा है। मैं आपके द्वारा सदन के सामने यह बात पेश करना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चर के लिये कोआपरेशन कोई नई चीज नहीं है बल्कि पुराने जमाने से ऐग्रीकल्चर बिना कोआपरेशन के नामुमकिन रहा है। हर छोटा काश्तकार जिसके पास एक बैल है वह दूसरा बैल अपने साथी से मांग कर लाता है। मैन पावर की जरूरत पड़ती है तो अपने मोहल्ले वालों को बुला कर खेत बुवाता है, सिंचाई करता है, काटता है। अच्छे बीज की जरूरत पड़ती है तो अपने साथी से मांगता है। यह तरीका रायज है। अब दुनिया तरक्की कर गई है लिहाजा हमें इस तरीके को सिस्टेमेटाइज कर देना है।

(इस समय २ बजकर ७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुहम्मद फारूक चिश्ती—हमारी समझ में नहीं आता कि अपोजीशन हमारे इस पुराने तर्ज व तरीके से क्यों भड़कता है। हर शख्स की जबान पर कोआपरेटिव फार्मिंग के खिलाफ एक दास्तान मौजूद है। मैं तो यह समझता हूं कि प्रोडक्शन में तरक्की हो ही नहीं सकती जब तक कोआपरेटिव फार्मिंग को रायज न किया जाय।

सबसे पहले हर मौजे में कोआपरेटिव बेसिस पर एक फंड कायम किया जाय ताकि हर काश्तकार के लिये यह इंश्योर्ड रहे कि वक्त पर उसको उम्दा बीज मिल जायगा, वक्त पर वह अपनी बुवाई कर सकेगा और वक्त पर वह सिंचाई करने में कामयाब रहेगा। इस तौर से मुझे यकीन है कि प्रोडक्शन में खातिरख्वाह तरक्की हो जायगी जिसे काश्तकार अपनी आंख से देखेगा। जब इस स्फीयर में तरक्की की कोई गुंजायश नहीं रहेगी तब वह मजीद तरक्की के लिये रास्ता तलाश करेगा। वह रास्ता क्या हो सकता है? वह होगा मेकेनाइज्ड फार्मिंग जिसके लिये उसकी छोटी-छोटी होल्डिंग्स नाकाफी होंगी। चुनांचे काश्तकार खुद तजवीज पेश करेगा कि कोआपरेशन का नतीजा उसने देख लिया है और उससे उसको नफा पहुंच चुका है और आगे तरक्की करने के लिये उसके लिये यह जरूरी है कि दूसरे की होल्डिंग्स को अपनी होल्डिंग्स में मिलाये। चुनांचे हमको यकीन है और उम्मीद है कि अगर हम सब लोग मिल कर उसे समझायेंगे और पहले उसे अमली मुशाहदा हो जाय कि मिल कर काम करने में, खेती-बाड़ी करने में उसे नफा है तो आगे बढ़ने के लिये उसके सामने सिवा कोआपरेटिव फार्मिंग के कोई चारा नहीं रहता।

लोग क्यों डरते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग नाकामयाब रहेगी, उसूल से तो गालिबन कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मिल-जुल कर अच्छी पूंजी के साथ अगर फार्मिंग की जाय तो पैदावार में काफी तरक्की हो जायगी। आखिर पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, फिर इस नुक्ते को क्यों नहीं समझते। मैं समझता हूं कि वह इससे वाकिफ हैं कि तरक्की का यह एक जरिया है। फिर यह समझ में नहीं आता है कि इससे क्यों इख्तलाफ किया जा रहा है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गयी तथा कोरम पूरा होने पर।)

[श्री मुहम्मद फारूक चिश्ती]

अब, जनाबवाला, आपके तवस्सुत से मैं और एतराजात का जबाब देना चाहता हूं। अपोजीशन की तरफ से जो तकरीरें हुई हैं समझ में नहीं आता है कि आखिर वह किस उसूल पर हैं और क्या उनकी मन्शा है। मसलन यह कि एग्रीकल्चर में तरक्की नहीं हुई है, पैदावार में कमी है। आंकड़ों का मैं भी कायल नहीं हूं, लेकिन बहुत सी असलियतें को सामने रख के हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। हजारों ट्यूबवेल्स लगाये गये हैं, हजारों सबसिडाइज्ड ट्यूबवेल्स लगाये गये हैं, खाद की फैक्टरियां कायम की गयी हैं, जहां तक मुमकिन हो सका है काश्तकारों को उम्दा बीज देने की कोशिश की गयी है। क्या जितने ट्यूबवेल्स लगाये गये हैं या जितने कुएं बनाये गये हैं उन सब का पानी समुद्र में किसी नलकी के जरिये बहा दिया गया है या जो खाद फैक्टरियां बनायी गयी हैं उनकी खाद कहीं डम्प कर दी गयी है? यह कैसे मान लिया जाय कि इसका नतीजा यह निकला है कि पैदावार पहले से घट गयी? यह बात समझ में नहीं आती है। चाहे शानदार अल्फाज में अपोजीशन की तरफ से यह कहा जाय, लेकिन यह बात समझ में आने की नहीं है। मैं तो यह अर्ज करूंगा कि यकीनन पैदावार में तरक्की हुई है।

मैं इस मौके पर अफसोस जाहिर करता हूं कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि अपोजीशन जो कि गवर्नमेंट के लिये एक बून होना चाहिये था---हर जंजीर में कोई कड़ी कमजोर होती है--उसका यह फर्ज होना चाहिये था कि सरकार की तवज्जह उस कमजोर कड़ी की तरफ दिलाता और उम्दा सुझाव देता। और इसीलिये मैं यह कहता हूं कि अपोजीशन एक बून है कि हम में जो कमी हो उसकी तरफ इस खयाल से कि मुल्क में तरक्की हो और सरकार जिसके हाथ में इनाने हुकूमत है वह मजबूत रहे, उम्दा सुझाव पेश करे। लेकिन हमारे अपोजीशन का यह तरीका है कि बजाय इसके कि उस कमजोर कड़ी की तरफ तवज्जह दिलाये और कोई अच्छे सुझाव पेश करे वह उन आला दर्जे की स्कीम्स को कन्डेम करता है और उसका नतीजा यह होता है कि सरकार पब्लिक की नजरों में गिरती है। कम से कम अपोजीशन की यह कोशिश नजर आती है यह फर्ज नहीं है अपोजीशन का। अपोजीशन तो इसलिये फार्म किया गया है कि हमारी इसलाह करे न कि इसलिये कि हमारी टांग पकड़ पकड़ कर खींचे और हमारे आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा करे। मैं मिसालें पेश करता हूं। कल यह अपोजीशन की तरफ से कहा भी गया है कि पारसाल ५१ परसेंट रिजल्ट हाई स्कूल का हुआ था और इस साल ४१ परसेंट हुआ है। अफसोस होता है वाकई इस पर। लड़कों को आप भड़कायें, उनसे स्ट्राइक करायें, उनसे पार्टीबाजी कायम करायें और फिर यह उम्मीद की जाय कि नतीजा अच्छा हो तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर वाकई तालीम में खामियां हैं जो मुमकिन हैं कि हों और मैं खुद यह समझता हूं कि कुछ कमियां हैं, उनकी तरफ आप तवज्जुह दिलाते और शाने से शाना मिलाकर हमारे साथ काम करते तो नतीजा ५१ फीसदी के बजाय इस साल ६१ फीसदी होता, लेकिन शक्ल बिल्कुल दूसरी है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका वक्त खत्म हो गया।

श्री रूपसिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने महामान्य राज्यपाल महोदय का भाषण अच्छी तरह से पढ़ा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आज की सरकार से गरीबों की या प्रदेश की हालत सुधारने के लिये कोई आशा नहीं रखनी चाहिये बल्कि माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण से यह अच्छी तरह से सिद्ध हो गया कि यह सरकार गरीबों की नहीं है बल्कि यह अफसरों और अमीरों के लिये सुख तथा सुविधा के साधनों के जुटाने में अग्रसर हो रही है। हमारे प्रधान होने की हैसियत से राज्यपाल महोदय का कर्त्तव्य था कि वह सरकार को कम से कम भविष्य के लिये संकेत करते कि गरीबों के लिये उसे यह करना है और पिछले साल जो यह गलती की है उसको भविष्य में न दुहराया जाय। लेकिन राज्यपाल महोदय ने जनता के जान

माल की हिफाजत के ऊपर भी प्रकाश नहीं डाला है। आज प्रदेश में चोरी, डकैती, राहजनी, कत्ल, नकबजनी आदि आये दिन होती रहती है और गरीब जनता इतनी बरबाद हो रही है कि गरीबों के लिये कोई ठिकाना ही नहीं रहा है। आज सायंकाल के बाद कोई व्यक्ति रास्ता तक नहीं चल सकता है। मैं यहां तक कहता हूं कि शाहजहांपुर जिले में लोगों को दिन दहाड़े लूट लिया जाता है। गुलडिया नरवासे आते हुये २०, २५ व्यक्तियों को रास्ते में लूट लिया। यह मैं जैतीपुर थाने की बात बता रहा हूं। इसी तरीके से बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद व शाहजहांपुर की सरहद पर रोज सैकड़ों वाकयात होते रहते हैं।

दूसरी बात भुखमरी की है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि लाखों व्यक्ति १०,१५ मील से शीरा लाते हैं और अपना काम चलाते हैं। यहां तक कहा जाता है कि गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों को दोनों वक्त शीरे का शरबत तक भरपेट खाने को नहीं मिलता है।

इसी तरीके से कृषि के संबंध में कुछ संकेत नहीं किया गया है और शिक्षा को तो बिल्कुल ही अछूता छोड़ दिया गया है। आज हमारे देश के नौजवान फैशन के शिकार हो रहे हैं और हमारे विद्यार्थी अपना सारा समय इसी में लगाते हैं। इस ओर प्रकाश नहीं डाला गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने एक गंभीर बात छोड़ दी कि हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने ५ बातों को लेकर सत्याग्रह किया और पांच हजार से ज्यादा आदमी गिरफ्तारी के लिये पेश किये और पौने तीन हजार आदमियों को जेल में डाल दिया गया और १७,१८ विधान सभा के सदस्य जेल में डाल दिये गये। आठ तो अभी भी बंद हैं। श्री राजनारायण जी के बारे में कांग्रेसी सदस्य अक्सर कहते हैं कि जिस रोज वह नहीं होते असेम्बली सूनी-सूनी मालूम होती है। ऐसी हालत में भी सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रह की चर्चा नहीं की गई। उनमें हिम्मत नहीं थी कि वह सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रह को गलत बतलाते क्योंकि उनके पास कोई औचित्य नहीं था सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रह को गलत बताने के लिये। साथ ही साथ उन्होंने चर्चा इसलिये नहीं की कि अगर हम सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रह की चर्चा करते हैं तो जनता में इसकी चर्चा होगी। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी ने जिन पांच बुनियादी मांगों को लेकर सत्याग्रह किया अगर सरकार उन बुनियादी मांगों पर तवज्जह देती तो जो आज डाक और रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हुई है वह न हुई होती। मैं थोड़े में उन मांगों के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं।

सबसे पहले दाम नीति का सवाल बड़ा ही मोटा सवाल है। हर किसी अच्छी भली सरकार को बहुत ही अच्छे तरीके से इस सवाल पर तवज्जह देनी चाहिये और इसको मानना चाहिये। आज अरबों रुपये की लूट कारखाने की बनी हुई चीजों के दामों को लेकर हो रही है। गल्ले के सवाल को लेकर अरबों रुपये की लूट हो रही है। यह सरकार काश्तकारों को मजबूर करती है कि वह अपनी पैदावार को सस्ते दामों पर बेचें और जब जरूरत पड़े तो उसी गल्ले को महंगे दामों पर खरीदें। सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत मोटे तौर पर कहा था कि दो फसलों के बीच में किसी भी अनाज का दाम एक आना सेर से ज्यादा न बढ़े। अगर गेहूं का भाव अप्रैल में ५ आना सेर है तो दूसरी अप्रैल आने तक ६ आने सेर से ज्यादा न बढ़े। इसमें शहरी जनता को, कर्मचारियों को सभी को फायदा है, काश्तकारों को भी फायदा है। चन्द बड़े-बड़े आदमियों को जरूर नुकसान है, बाकी सारी जनता को फायदा है। इसी तरह से कारखानें की चीजों का दाम लागत खर्चे के डेढ़ गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिये। मिसाल के तौर पर गन्ने की कीमत, मजदूरों की मजदूरी, मशीन की छीजन आदि सभी को मिलाकर शक्कर की कीमत आठ आने सेर आती है तो सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि किसी भी उपभोक्ता को १२ आने सेर में शकर मिल जानी चाहिये। लेकिन आज हम देखते हैं कि राजधानी के अन्दर १८ आने सेर शकर हमको मिल रही है। तो यह जो ६ आने सेर का फर्क है यह कहां जाता है? यह पूंजीपतियों की, करोड़पतियों की जेब में पहुंचता है और यह सरकार तो उन पूंजीपतियों की लाडली सरकार है ही, उन्हीं की हमदर्दी से सारे काम करती है। यह उसूल, कपड़ा, दियासलाई, लोहा वगैरह कारखाने से तैयार होने वाले प्रत्येक सामान पर लागू हो। तीसरा सवाल है इसी

[श्री रूर्मासिह]

के अन्दर कि किसान के कच्चे माल और अनाज के दाम इस तरह से लगाये जायं कि खेतिहर पैदावार और कारखानों की पैदावार में सन्तुलन स्थापित हो जाय, समता कायम हो जाय। यह दाम नीति के सम्बन्ध में सोशलिस्ट पार्टी ने तीन बातें पेश की हैं, हमारा खयाल है कि इन तीन बातों को सरकार मान ले तो आज सारा देश सुखी बन सकता है और मुसीबत दूर हो सकती है।

दूसरा सवाल भाषा का है। आज राज्यपाल महोदय ने भी संकेत किया है कि प्रान्तीयता है हमारे प्रदेश के अन्दर, दलबन्दी है, जातीयता है। तो इन चीजों को अगर सरकार खत्म करना चाहती है तो भाषा के सवाल को हल करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं शिक्षा क्षेत्र में दूसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा हमारे स्कूलों में, कालेजों में, विश्वविद्यालयों में उपस्थित है। सरकार अगर इस बात का बन्दोबस्त करती कि अंग्रेजी को हटाकर उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में और कालेजों में राष्ट्र भाषा हिन्दी के साथ तामिल, बंगाली, गुजराती, मलयालम आदि भाषायें पढ़ाई जातीं दूसरी भाषा के रूप में तो आज मलयालम, तामिल आदि वाले भी कम से कम एकता के सूत्र में बंधते और हमारे उत्तर प्रदेश वाले भी तामिल, बंगाली, गुजराती, गुरमुखी आदि भाषाओं का ज्ञान रखते जिससे देश में एकता स्थापित होती। लेकिन यह हमारी सरकार अंग्रेजी के पीछे सारे देश को बरबाद किये हुये है और सारे देश में अनेकता अर्थात् अलगाव पैदा किये हुये है। तो सोशलिस्ट पार्टी ने एक बहुत ही सफाई के साथ इस सरकार के सामने मांग रखी थी कि अब विदेशी भाषा को हटाइये जिससे कि करोड़ों आदमी अपने देश की भाषा सीख कर कमाल दिखा सकें, लेकिन यह सरकार चन्द लोगों के फायदे को लेकर हिन्दुस्तान को चौपट करना चाहती है और बरबाद करना चाहती है। यह सरकार चन्द लोगों को मौका देती है कि वे लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बनते चले जायं। यह इस प्रदेश में हो रहा है। इससे किसी की आंख मुंदी हुई नहीं है।

इसको सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी भाषण दिया जाय उसमें सुधार की बात कही जाती है। सुधार करके आगे बढ़ने के लिये राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का हमको इन्तजार करना चाहिये और उसके लिये तकलीफ उठानी चाहिये। इस सरकार ने भविष्य के वादों पर जनता का खून किया और हमेशा जनता को लूटा है। भविष्य के वादों में जनता को फंसा रखा है। १२, १३ साल से भविष्य के वादों के भ्रम में जनता को डालने की कोशिश की जा रही है और उन वादों में जनता को डालकर ज्यादा से ज्यादा टैक्स जनता से वसूल किया जा रहा है और शासन के चन्द लोगों पर उस टैक्स के रुपये को खर्च किया जाता है।

तीसरा सवाल सोशलिस्ट पार्टी ने यह उठाया कि अलाभकर जोत का लगान हटा दिया जाय। उसके लिये सरकार कहती है कि धन का सवाल है। गन्ने की पैदावार के लिये प्रचार किया जाता है और लाखों रुपया उसमें व्यय किया जाता है किन्तु जिन गरीबों के पास साधन नहीं हैं उन गरीबों को साधन देने के लिये सरकार तैयार नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि जब बड़े लोगों के लिये ३,६०० या ३,००० रुपये पर छूट दी गई है कि उन पर टैक्स न लेंगे तो क्या वजह है कि जो बेचारे गरीब किसान हैं और जिनके पास साढ़े सैंतीस बीघे से कम जमीन है उन पर लगान माफ न हो। यह सरकार उनके लिये लगान माफ नहीं करती है। इस सिलसिले में मैं बतलाऊं कि ज्यादा से ज्यादा १०, ११ करोड़ की कमी पड़ेगी जो दूसरी मदों में किफायतशारी करके पूरी की जा सकती है और इतनी रकम बचाई जा सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है।

चौथा सवाल जाति-नीति के सम्बन्ध में है। अब समय आ गया है कि जो पिछड़े लोग, हरिजन और मुसलमान आदिवासी हैं उनको अनेक स्थानों पर व्यापार, पलटन, अफसरी, नेतागिरी आदि में ६० प्रतिशत जगह दें। अक्सर सरकार सवाल करती है कि जब तक योग्य न बन जायं जगह कैसे दें। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका इन्तजार करने की क्या जरूरत है?

आपके डाइरेक्टर, आपके आई० जी० पुलिस, आपके मिनिस्टर, आपके प्रधान मंत्री यह सब तो बड़े योग्य हैं तो फिर क्यों रुपये का गबन होता है ? आज क्यों लेखपाल, बी० डी० ओ०, एस० पी०, कलेक्टर यह सब रिश्वत लेते हैं ? यह सब तो योग्य हैं। आपके बड़े-बड़े अफसर तो योग्य हैं, सब पढ़े लिखे हैं, एम० ए० हैं और डबल एम० ए० हैं, अंग्रेजी में सब काम करते हैं, उसके पंडित हैं तो क्या वजह है कि फिर भी यह शासन ढीला है और सारे प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उनकी योग्यता कहां गई ? उनको अपनी योग्यता का परिचय देना चाहिये था। जब पिछड़े लोगों को सर्विस देने का सवाल आता है तो योग्यता का राग अलापा जाता है। सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि कम से कम ७ प्रतिशत इन लोगों को स्थान मिलना चाहिये ताकि ये लोग आयें और सारे हिन्दुस्तान के लोगों के बराबर ये लोग उठें और इनके अन्दर हिम्मत पैदा हो और उनके अन्दर से हीन भावना निकले।

पांचवां सवाल है विदेशी हमलावरों से जनता की हिफाजत करना। इस सवाल को लेकर ही सोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह किया, लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसकी चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा है। इसी विधान सभा के विधायक, जो विधान बनाने के अधिकारी हैं और सलाह देने का अधिकार रखते हैं, उनके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने कुछ नहीं कहा। इस विधान सभा के ८ विधायक अभी तक जेल में पड़े हैं। उन्होंने क्या गलती की है ? उन्होंने गरीबों के लिये आवाज उठाई, लेकिन इस अभिभाषण में उनका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो मैं इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भले ही इस सवाल को नजरन्दाज किया जाय, लेकिन कभी यह गरीब लोगों का सवाल जरूर गर्मी पकड़ेगा। और इस सरकार को इस सवाल के लिये जवाब देना पड़ेगा और कम से कम इस सरकार को इतिहास में कोई स्थान नहीं मिलेगा क्योंकि इस सरकार ने हमेशा मेहनतकश लोगों को दबाया है, उनका शोषण किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन बातें मैं अपने जिले, शाहजहांपुर के बारे में और कहना चाहता हूं। यहां पर कई बार चर्चा हुई है कि शाहजहांपुर में सूखा पड़ा है, ५ अप्रैल को अन्धड़ आया, आग लगी और तरह तरह की आपदायें वहां के किसानों पर आयीं। सरकार की तरफ से एलान किया गया कि वहां के किसानों को लगान में छूट दी जायेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज तक किसी काश्तकार को कोई छूट नहीं मिली और छूट की पर्चियां नहीं दी गयीं। लोगों से जबरदस्ती लगान वसूल किया गया। तो मैं यह दरखास्त करूंगा आपके द्वारा कि वहां पर इस बात की इन्क्वायरी होना चाहिये कि वहां पर काश्तकारों को छूट की पर्चियां क्यों नहीं मिलीं ? साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी हाल में जो वर्षा हुई और रामगंगा में बाढ़ आई उससे भी वहां के किसानों को बड़ी क्षति पहुंची है। उनके गन्ने की सारी की सारी फसल नष्ट हो गयी। किन्तु आज तक वहां के कलेक्टर ने इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं दी।

महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि जेल में सुधार हुआ है। मैं यह बताना चाहता हूं कि संसार में कैदी से ज्यादा दुखी कोई आदमी नहीं है। मैंने शाहजहांपुर में अपनी आंखों से देखा है कि कैदियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। जिस समय लोग उन कैदियों से मिलने के लिये जाते हैं तो सामान को जेल में ले जाने की छूट देते हैं उनसे मुलाकात होने के बाद मुलाकाती कैदियों को सामान देते हैं उस सामान को जेल स्टाफ नम्बरदार, जमादार कैदियों से छीन कर उनके मुंह से निकाल कर खुद खा जाते हैं। इसलिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है मैं उसका विरोध करता हूं और जो संशोधन पेश हुये हैं उनका समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने महामान्य राज्यपाल के भाषण को बड़े गौर से सुना और पढ़ा और जो पिछले दो दिनों से स्पीचेज हो रही हैं उनको भी गौर से सुनने की कोशिश की। अब मैं इतना ही कह सकता हूं कि इन दोनों बातों का मुझ पर जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसहाय]

प्रभाव पड़ा है वह यह कि मुझे इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी। यह एक रिवाज है। जैसे कि भाषण का रिवाज है, उस पर बहस का रिवाज है और उसी रिवाज को पूरा करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस समय तक दोनों तरफ से जो बहस हो रही है उसमें दोनों तरफ से एक ऐसी तस्वीर खींची जा रही है जो असलियत से दूर है। उधर से कहा जा रहा है कि महामहिम राज्यपाल के राज्य में धोखा है, फरेब है, गरीबी है, बेकारी है, उसमें अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। इसके विपरीत इधर से जवाब में यह कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ है उससे अधिक हो नहीं सकता था। जो कुछ इन्सान सोच सकता है और कर सकता है उतना हमने किया है। इस प्रकार की बहस से क्या लाभ हो सकता है यह मुझ जैसे आदमी की समझ में नहीं आया।

इसमें कोई शक नहीं, यह वाकया है कि प्रदेश में बहुत से काम हुये हैं, प्रोजेक्ट्स खुले हैं, खेती का फैलाव हुआ है, नयी जमीन तोड़ी गयी है, इर्रीगेशन का कार्य भी काफी हुआ है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सत्य है कि पानी की कमी महसूस की जाती है, चारों तरफ बेकारी है, बेरोजगारी है, पानी नहीं मिल पाता है, अस्पताल बढ़े हैं मगर इंसानों की सेहत गिरी है। सेहत को नापने के दो ही सिद्धान्त होते हैं एक तो यह कि जब बच्चा पैदा होता है तो देखा जाता है कि उसका वेट कितना है, यानी अगर उसका वेट साधारण वेट से कम होता है तो यह माना जाता है कि सेहत गिर रही है। इसके अलावा दूसरा यह है कि अगर आदमियों की आंख, कान, नाक, दांत आदि में जल्दी ही कोई बीमारी शुरू हो जाये तो यह समझा जाता है कि बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है।

आज हम देखते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटियां भी बढ़ रही हैं, व्यक्तिवाद भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, यानी काफी इंसानों के अन्दर खुदगर्जी, अपनापन, मेरी जमीन, मेरी मिलकियत, आदि की भावना इतनी पहले नहीं थी जितनी कि बढ़ गयी है। तो समझना पड़ेगा कि स्थिति महज कुछ कानून बनने से या महज कुछ प्रोजेक्ट्स से दूर होने वाली नहीं है, कुछ ऐसी गम्भीर है जिससे इसकी तह में जाने की जरूरत है। मैं नहीं मानता कि कोई भी सरकार यह नहीं चाहती कि उसके राज्य में भूख और गरीबी बढ़े। अगर बढ़ती है तो उसके माने हैं कि कोई ऐसे स्टेप हैं जो लिये जाने चाहिये थे।

कल मैंने जो स्पीचेज सुनीं, इधर से भी कुछ अजीब-सा इकोनामिक उसूल सुना, उधर से तो सुनना ही था कि डेवलपिंग इकानामी में कुछ प्राइसेज जरूर बढ़ती हैं। यह ऐसी बात है, जिसे अंग्रेजी में कहा जायगा कि आधी नालेज बड़ी खतरनाक होती है। जब कैपिटलिस्ट सिस्टम में इकानामी डेवलप होती है तो उसमें जरूर प्राइसेज बढ़ती हैं और आमदनी का वितरण ठीक नहीं होता है, लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम में प्राइसेज भी बढ़ती हैं और जिन तबकों पर वह असर करती हैं उनकी आमदनी भी उस वक्त में बढ़ती है। अगर आमदनी बढ़े तो कोई प्राइस बढ़ने से दिक्कत नहीं होती। हमारी इकानामी का क्राइसेस यह है कि वह पूरे तरीके से सोशलिस्ट ढांचे पर ढल नहीं पा रही है, इसलिये ट्रांजीशन के दौर में वह सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं और हमें उनकी तह में जाकर उनके कारणों को ढूंढना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, मैं समझता हूं कि ऐसी बातों को न उठाना अपने विचारों के साथ विश्वासघात करना होगा। मेरा यकीन होता जा रहा है कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, अगर मजबूती के साथ ध्यान कुछ बातों की तरफ नहीं ले जाया गया तो खतरनाक नतीजे भी हो सकते हैं। जैसे, प्लानिंग का मकसद है कि इंसानों की जिन्दगी में प्लान डेवलप हो, एक सुव्यवस्थित ढंग की तरक्की समाज के हर शोबे में हो।

हमारी प्लानिंग में कोई गलती नहीं है। खराब स्थितियों में भी शुरुआत अच्छी हुई, उससे करोड़ों इंसानों को वाकफियत करायी गयी और काम में जुटाया, लेकिन अब हम उस दौर में पहुंचने लगे हैं जहां हमें सोचना पड़ेगा कि अगर यही स्ट्रक्चर बढ़ता चला गया तो जो मकसद हमारा है कि एक व्यवस्था की तरक्की हो, हमारी इखलाकी तरक्की हो, दिमागी तरक्की,

कल्चरल तरक्की, मैटीरियल तरक्की हो, वह एक आर्डरली ढंग से नहीं होती है। तो सोचना पड़ता है कि क्या हम में कोई खामी है ? मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमारे प्लानर्स को ७-८ साल के तजुर्बे के बाद इन प्रश्नों पर गौर करना पड़ेगा और जो कुछ हुआ है उसके लिये जहां हमको फख्र है कि उससे मुल्क का फायदा भी होता है वहां उसके साथ ही साथ उससे पैदावार होनी है, अगर उसके मुताबिक आदमी नहीं ढल पा रहे हैं तो आप उस मसले को नजरअन्दाज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कल अपोजीशन के कुछ दोस्तों ने तकरीर की कि हमारा चरित्र ठीक होना चाहिये। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो यह न कहे कि चरित्र ठीक होना चाहिये। चोरों की भी राय ली जाय तो वह भी यही होगी कि चोरी नहीं करनी चाहिये। बावजूद इसके अगर हमारे समाज के अन्दर भ्रष्टाचार के कारण पैदा हो रहे हैं तो उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम नहीं चाहते, फिर भी एक तरफ को बढ़ रहे हैं।

मैं इसका मौलिक कारण समझता हूं कि आज नहीं तो कल चाहे वह कांग्रेस सरकार हो, आने वाली सरकार हो, हम उस दौर पर पहुंच गये हैं कि हम जिस जन समाज के जीवन के स्तर का प्लानिंग करते हैं, अपने लोगों के चरित्र का गठन करते हैं उनको नयी आवश्यकताओं के अनुकूल बदलना पड़ेगा। इस दिशा में मेरा खयाल है कि कांग्रेस सरकारों ने अभी मुस्तैदी के साथ कदम नहीं उठाये हैं। यह कहा जा सकता है कि क्यों नहीं उठाये किन्तु मैं यह समझता हूं कि जिन हालात में हमारे यहां प्लानिंग शुरू हुई उस वक्त हम इस तरफ ध्यान नहीं लगा सकते थे। मगर अब इस नतीजे पर हम पहुंचने लगे हैं कि प्लानिंग की तरक्की के लिये, शिक्षा को, न्याय को, शासन को और इन तमाम चीजों के अन्दर हमें आमूल परिवर्तन करना जरूरी है ताकि यह सारे औजार हमारे कैरेक्टर को अच्छा बनाने की तरफ फैल सकें। मिसाल के तौर आज अपनी सोसाइटी का अन्दाजा लगाइये। आज समाज में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो इमानदार आदमी को तरक्की देती हो या ईमानदार आदमी की इज्जत को बढ़ाती हो।

हमारा जितना भी समाज का संगठन है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वह सारे के सारे झूठ, फरेब और बेईमानी को तरक्की देते हैं। मिसाल के तौर पर अदालत का तरीका है। हमारे उस तरीके में अगर कोई सच बोले तो सजा हो जाय। सच्चे आदमी के लिये तो यह खुलकर कहते हैं कि यह तो अदालत है। अदालत में सच बोलना पाप है, अदालत में सच बोलने से नुकसान होता है, व्यापार में सच बोलने से नुकसान होता है, शासन में सच बोलने से नुकसान होता है और राजनीति में सच बोलने से नुकसान होता है। तो फिर सच हमारे समाज का अंग कैसे बन सकता है? जब तक कि हम अपने समाज की सारी व्यवस्था ऐसे ढंग से न डालें जिसके अन्दर जो आदमी सच बोले उसकी समाज इज्जत करे। हमारा इशारा एक तरफ है कि सोशलिस्ट समाज में जो खूबियां होनी चाहिये, अब वक्त आ गया है कि हमें उन खूबियों पर इम्फैसिस डालना चाहिये। राज्यपाल महोदय ने आखिर में हमसे अपील की है कि इस प्रदेश की जनता को चाहिये कि वह तंगदिली से ऊपर उठे, फिरकापरस्ती से ऊपर उठे, दलबन्दी से ऊपर उठे, सही बात है। यह अपील बहुत जरूरी है, लेकिन इस अपील के लिये जो इनीशियेटिव चाहिये वह कहां है ? क्या कारण है कि आज हर आदमी फिरकापरस्ती को बुरा समझता है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि पढ़े लिखे लोगों में जितनी जातीयता है उतना बे पढ़े-लिखे लोगों में नहीं है ? यह महज पायस विशेज की बात नहीं है कि सरमन प्रीच कर दिया जाय बाइबिल की तरह से 'Be honest, Be pious, Be truth ful.'

वैसे इशारतन में जो कुछ हुआ है उसके लिये यही कह सकता हूं कि आज जितना हुआ है उससे अधिक हो नहीं सकता था और मेरा खयाल है कि राज्यपाल महोदय की इस माने में स्पीच पहले राज्यपालों से अच्छी है कि किसी भी राज्यपाल की स्पीच में संगठित ढंग से जो अच्छे काम सरकार ने किये हैं उनका विश्लेषण नहीं होता था जितना इसमें है, और यह फायदेमंद हो सकता है इन बुराइयों को सिलसिलेवार समझने और उनको पेश करने में, लेकिन

[श्री गोविन्दसहाय]

इससे जो हमारे यहां बुराइयां है वह दूर नहीं हो सकतीं। उनके बारे में मैं समझता हूं कि कुछ और मजबूत कदम सरकारों को आज नहीं तो कल उठाने पड़ेंगे। यह मेरे अपने ही विचार नहीं हैं, मेरा ऐसा खयाल है कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री के विचारों का जहां तक ताल्लुक है उनका खुद का भी यही विश्वास है कि हमें प्लानिंग के बारे में आमूल तरीके से सोचने की जरूरत है। यह विचार जोर पकड़ता जा रहा है मगर कैसे हम उसके अनुकूल व्यवस्था को बदलें इस ओर भी हमको ध्यान लगाना होगा। अगर करोड़ों रुपया खर्च हमने कर दिया और उसके खर्च करने के बाद भी जो इमारत समाज की बनी अगर वह इमारत उस काम को पूरा नहीं करती तो महज रुपया खर्च कर देने से पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकती।

बहरहाल, राज्यपाल जी ने कुछ नये बिलों की चर्चा की। खुशी की बात है कि इस सेशन में नये बिल आने वाले हैं जिनका व्यापक असर हमारी आपकी जिन्दगी पर पड़ने वाला है। क्या ही अच्छा हो कि जो बिल आने वाले हैं उनके बारे में हम लोगों को थोड़ी-सी जानकारी पहले से करायी जाय। हमारी एक खामी है और वह केवल कांग्रेस पार्टी की ही नहीं है, हमारी इस पद्धति में वह खामी मालूम देती है कि जो बिल हम पेश करते हैं उस बिल को आम लोग अपना बिल नहीं समझ पाते। यानी अगर जमींदारी उन्मूलन का बिल आने वाला है तो उसके करने के लिये किसानों के अन्दर आन्दोलन भी ऐसा होना चाहिये कि मालूम हो कि क्या उस बिल का असर होने वाला है। जब बाहर का आन्दोलन और लेजिस्लेचर का कानून मिल जाते हैं तो वह लोगों की जिन्दगी का आधार बन जाते हैं। आज हम जो कानून, बड़े क्रांतिकारी कानून बना रहे हैं वह हम जिन लोगों के लिये बना रहे हैं उनमें उतनी आशा और लगन नहीं पैदा हो रही है कि वह समझें कि हमारी तरक्की होने वाली है। मिसाल के तौर पर इस सेशन में कुछ बड़े बिल आने वाले हैं, सीलिंग के बारे में, कोआपरेटिव के बारे में या जिला परिषद् के बारे में। जिला परिषद् के बिल के बारे में देर लगी है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि जितना दिमाग और समय इस पर लगा है उससे कोई नयी चीज हमारे सामने आयेगी ताकि आने वाली संतान सही मानों में यह महसूस कर सके कि सच्ची जनतंत्रीय प्रणाली को दागबेल इस बिल के जरिये पड़े। देर होने में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि मसविदा इस बिल का इस ढंग का होगा जिससे एक नया रास्ता मिल सकेगा।

सीलिंग का बिल भी बड़ा जरूरी है, इस माने में सीलिंग कोआपरेटिव फार्मिंग, एबालिशन आफ जमींदारी और कंसालिडेशन, यह सब के सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इनका साथ है। इन तमाम चीजों को संघटित तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाय तो ज्यादा फायदा हो सकता है। बहरहाल अभी हमारी बदकिस्मती है कि जितने काम इस सरकार के जरिये हुये हैं वह व्यवस्थित ढंग से लोगों के सामने जा नहीं पाये हैं। इस मानी में राज्यपाल महोदय का जो सम्बोधन है वह एक ऐसा डाकूमेंट है जिसमें इन सब चीजों को व्यवस्थित ढंग से पेश किया गया है और मैं समझता हूं कि इसमें निराशा की कोई बात नहीं है।

(लाल बत्ती जलने पर)

अगर आपकी इजाजत हो तो दो मिनट और बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष—बोलिये।

श्री गोविन्दसहाय—तो उधर से बार-बार इस बात का कहा जाना कि इधर के लोग गरीबी बढ़ा रहे हैं, यह प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छी बात नहीं है और इससे लाभ भी कुछ नहीं होता और न बहस का स्तर ही ऊंचा उठता है। हमें यह मानकर चलना चाहिये कि इंसानी तरीके से जितना किया जा सकता है उतना इधर से किया जा रहा है और यह खामियां हैं जिन्हें दूर होना चाहिये। इस तरह की बात हो तो मैं समझता हूं कि हम लोग एक दूसरे को ज्यादा

अच्छी तरह से समझेंगे और एक दूसरे की ज्यादा मदद कर सकेंगे। मैं खुद कह सकता हूं कि इधर या उधर बैठने से कुछ नहीं होता। मेरा खयाल है कि इस जमाने में लाखों आदमी मौजूदा हालत में बेचैन हैं। हमारे अन्दर नयी जिन्दगी के ख्वाब पैदा हो गये हैं लेकिन वह पूरे नहीं हो रहे हैं। जिस काल्पनिक जगत को दुनिया चाहती है उससे अभी हम इस टेक्नोलोजी में ५० साल पीछे के जगत में हैं। इन दोनों को साथ लाने में काफी परिश्रम करना पड़ेगा। अभी लोगों में ट्रेनिंग की बहुत कम भावना है। सोशलिस्ट सोसायटी में जो मान्यतायें होनी चाहिये, जो वैल्यूज पैदा होनी चाहिये उस डेमोक्रेटिक प्लानिंग में यह ज्यादा जरूरी है कि प्लानिंग के उसूलों को इतना आम बनाया जाय कि हर आदमी समझने लगे कि हमारी, औलाद और दर औलाद की तरक्की इस पर मुनहसिर है। महज किसी डाक्टर का यह कह देना कि मेरी दवा अच्छी है उससे मरीज का इलाज नहीं हो सकता, डाक्टर और मरीज दोनों का कोआपरेशन ज्यादा जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आज का जो निराशा का वातावरण है उससे हमें मिलकर लड़ना चाहिये क्योंकि इधर की या उधर की सरकार डेमोक्रेटिक प्लानिंग में एक कामन प्रोग्राम के आधार पर बिना मेल किये हुये और एक ऐसी आबोहवा पैदा किये हुये कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिये जो त्रुटियां हैं वह बहुत-सी आपको मालूम हैं, इधर के लोग भी जानते हैं और वह भी ज्यादा परेशान हैं, लेकिन सोचना यह है कि उनको कैसे हल किया जाय क्योंकि सिस्टम को बदलने का काम मुश्किल होता है, खाली आलोचनाओं से वह नहीं हो सकता, उसके लिये बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं।

आखिर में मैं एक मिसाल देकर खत्म करना चाहता हूं। जो जमानत पर छूटते हैं उनको अरजी देनी पड़ती है कि हम छूटना चाहते हैं और वह तहसीलदार से घूम-फिर कर आती है, इसका एक मामूली इलाज यह निकल सकता है कि वह साथ में ही यह लिख दे कि मेरी इतनी आमदनी है और उसकी जमानत फौरन हो जाय। लेकिन इसमें मौजूदा हालत में बड़ी मुश्किल हो रही है, रूल्स को काफी सिम्प्लीफाई करने की जरूरत है। जो टेक्नोक्रेसी है, जो हमारे यहां तमाम रूल्स बन गये हैं वह हमारे रोजाना के कामों में अड़चन डालते हैं उनको हमें शुरू से देखना पड़ेगा। मामूली बातों को देखने में हमें दस साल लग गये हैं। उनको सिम्प्लीफाई करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरफ हमारा ध्यान जायगा क्योंकि हमारे पास बेशुमार तादाद में इंसान हैं, पहाड़ हैं जिनमें लोहा है, तांबा है और उसके साथ ही साथ दुनियां का अनुभव हमारे साथ है। इसलिये निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है सिर्फ बात यह है कि अभी हमने निश्चय नहीं लिया है, तहैया नहीं किया है और उसके अनुकूल अपने सिद्धान्तों को जोड़ा नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मैं दो दिन से सुन रहा हूं कि धन्यवाद होना चाहिये, यह सरकार हमारी धन्यवाद के काबिल है, धन्यवाद के काम वह करती रही है। जो यह सोचते थे उनकी सारी चीज हमारे सामने आयी सहकारिता के रूप में। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो राम का नाम लिया तो सही। उल्टा ही सही। लेकिन यह सरकार ही सहकारिता नहीं चाहती। सरकार चाहती है सहकारिता नीचे से शुरू हो। सहकारिता पहले हमारे और आपके बीच में होनी चाहिये। लेकिन देखा जाता है कि अगर हम सुझाव देते हैं और कहते हैं कि यह काम करो तो कहते हैं कि नहीं और हम कहते हैं कि यह काम मत करो तो कहते हैं कि होगा। क्या यह सहकारिता है? घर में पिता-पुत्र में झगड़ा, माता-बेटी में झगड़ा, मुहल्ले-खानदान में झगड़ा, गांव में झगड़ा, तहसील में झगड़ा और जिले में झगड़ा, जहां देखिये झगड़ा ही झगड़ा। फिर सहकारिता कहां हो सकती है? तुमने इस सहकारिता को देश से खत्म ही कर दिया। तुम धन्यवाद के लायक नहीं हो और न सदन में बैठने के लायक हो। अरे वाह रे! तेरी सहकारिता।

[श्री टीकाराम पुजारी]

ब्राह्मण, पंडित और पुजारियों की बड़ी भारी भूल रही। बस दावत दे दो और उससे चाहे जो कुछ ले लो। खाना खिला दो, रबड़ी खिला दो और चाहे उसकी २० हजार वर्ग मील की जमीन कर कब्जा कर लो। आपने क्या किया, जो कोई भी नहीं कर सकता था---

सन् ३६ में इन्कलाब कहि, प्रेम से हाथ पसार लई तू।
जनता की शक्ति के बल पर दिल्ली की सरकार भई तू।
अवसरवादी गद्दारों के संग निकाह पढ़ाय गयी तू।
हिन्दी-चीनी भाई-भाई यह कह के भरमाय गयी तू।
कहहिं सचिव सब ठकुर सुहाती, धन्यवाद पर मस्त भई तू।
को तेरा और तू किनकी, जिनकी हती तिनकी न भई तू।

कहां तेरी सहकारिता? तू दुनियां में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हम लोगों को कमजोर बना दिया। आज चीन हो, रूस हो, या अमेरिका हो, सब हम पर उंगली उठाते हैं। हम उनसे आंख नहीं मिला सकते। बेरोजगारी बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, बेकारी में सुधार भी हुआ है। यह कहा गया कि बेकारी बहुत बढ़ गयी है। अगर बेकारी कुछ बढ़ी है तो उसमें कुछ सुधार भी हुआ है और वह इस माने में अपने रिश्तेदार को, रिश्तेदार के रिश्तेदार को, अपने मित्रों को, अपने मित्रों के मित्रों को यानी ए, बी, सी, डी, जिसको चाहा उसको डी० वाई० एस० पी०, कप्तान या और आफिसर बना दिया। क्या यही हमारी सहकारिता है? हमारी पुरानी सहकारिता देखो जिसमें अगर किसी के पास १०० बीघे जमीन होती थी तो दो बैल उसके होते थे और दो बैल गरीब किसान के होते थे और ४ बीघे जमीन वह मजदूरों को दे देते थे जिससे मवेशी का भी पालन हो जाता था और घर में खाने को गल्ला भी हो जाता था जिससे चार परिवार का पालन होता था। उस सहकारिता को तुम ने छोड़ दिया। लेकिन आज की सहकारिता तो यह है कि अगर किसी को हल चलाने के बदले में ४ बीघे जमीन दे दी और उसे लेखपाल ने इन्दराज कर दिया तो वह जमीन हमारे हाथ से चली गयी और इस तरह से सहकारिता छिन गयी। आखिर मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौन-सी सहकारिता तुमने बनायी है?

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, रिश्वतखोरी की बात है, आपका मैजिस्ट्रेट खराब, आपका कप्तान और कलेक्टर खराब, एम० एल० एज० खराब, एम० एल० सीज० खराब, मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स खराब यानी आप बिगड़े और आपने सब को बिगाड़ दिया, सब को खत्म कर दिया। आज की हालत यह है कि पुलिस वाले, थानेदार, कांग्रेस मंडलपति के बिना जांच नहीं करते हैं, कप्तान पुलिस एम० एल० एज० के इशारे पर चलते हैं, कलेक्टर्स मंत्रियों के इशारे पर चलते हैं, वे कम बिगड़े और भले आदमियों को बिगाड़ा। सब अच्छे हैं पर हम और तुम दोनों खराब हैं, यह नहीं कि हम धर्म के पुत्र बने बैठे हैं। अगर हमारी आत्मा में बल होता तो क्या आज ४ वर्ष होने के बाद भी हमारा प्रभाव नहीं पड़ता? हमारा प्रभाव इसलिये नहीं पड़ा कि हमारी आत्मा गन्दी है। यदि हमारी आत्मा शुद्ध हो तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जब तक हम नहीं सम्भलेंगे तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं आपसे कहता हूं कि मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। पुरानी सहकारिता को ही रहने दीजिये। अगर सच्ची बात मान ली जाय तो हम में आप में कोई झगड़ा नहीं है। चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, यह धन्यवाद का झगड़ा उनके द्वारा ४ दिनों तक चलने वाला है। समझ में नहीं आता कि अगर कोई बीड़ी पीने के लिये दे दे तो उसके लिये धन्यवाद, अगर कोई पानी गिलास में लाकर दे दे तो उसके लिये धन्यवाद, अगर कोई चश्मा साफ कर दे तो उसके लिये धन्यवाद, अगर कोई कुर्ते का गर्दा झाड़ दे तो उसके लिये भी धन्यवाद, आखिर इस धन्यवाद का वेल्यू क्या है जिसके लिये ४ दिनों तक झगड़ा चलेगा। जहां आपने धन्यवाद कहा वहां रही सही और जमीन भी चली जायगी। एक बार तो आपने धन्यवाद कहा तो ५० हजार वर्गमील जमीन चीन के कब्जे में चली गयी और अब कहीं धन्यवाद कह दिया तो

कहीं अल्मोड़ा तक की जमीन न छिन जाय। हम उनसे क्या कहें, सन् ६२ में जनता जवाहर लाल जी से पूछेगी कि हमारी वह जमीन कहां गई, उस वक्त वह लाजवाब होंगे किसानों के सामने। धन्यवाद, धन्यवाद के पुल बांध दिये। धन्यवाद का पात्र कोई हो, लेकिन यह सरकार न है और न इसक होने की आशा है। सन् ६२ में जनता इनको कुर्सियों से खदेड़ कर अलग करेगी और किसान इनकी जगह पर आयेगा। सतयुग से आज तक इतनी निकम्मी सरकार न हुई है और न आशा है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने नये महामान्य राज्यपाल का इस प्रदेश में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि उनके इस कार्यकाल में यह प्रदेश और भी तेजी के साथ प्रगति और उन्नति की तरफ बढ़ने की चेष्टा करेगा। इसके साथ-साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी को और उनके साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों तथा प्रदेश की जनता को भी बधाई दूंगा जिन्होंने बड़ी खूबी और दृढ़ता के साथ पिछली सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का मुकाबला किया। अगर वह हड़ताल सफल हो गई होती तो वह देश और राष्ट्र के लिये बहुत ही घातक साबित होती। जहां तक उनके अभिभाषण का सम्बन्ध है उसके विषय में अभी तक जो भाषण यहां हुये उन को सुनने की मैंने चेष्टा की। कहा गया कि अब की बार बहुत लम्बा भाषण हुआ और उसमें विशेष सरकारी नीतियों का प्रतिपादन नहीं है। उत्तर स्पष्ट है क्योंकि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल है इसलिये यह आशा मुझे तो न थी और शायद दूसरे सदस्यों को भी न रही होगी कि इस साल माननीय राज्यपाल किन्हीं नई नीतियों का प्रतिपादन कर सकेंगे। मुझे इसमें भी शक है कि जब से नियोजन के अन्तर्गत हमारी प्लान्स बनना आरम्भ हुई हैं तब से राज्य सरकार की कोई इस तरह की स्वतंत्रता बाकी रह गई है कि वह नई नीतियों का प्रतिपादन कर सके। अब तो एक आल इंडिया पैटर्न हमारे सामने आता है और हम उस में केवल जिसको "फिल इन दि गैप्स" कहते हैं वही कर पाते हैं। हमारे महामान्य राज्यपाल इस प्रदेश में पहली बार आये हैं, पहला मौका है, उनको भी हमारे कार्यों को देखने, समझने और जानने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी कारण से इस की पृष्ठभूमि तैयार की गई कि इन ५-७ सालों में सरकार ने क्या-क्या किया और आगे वह क्या करने जा रही है और उसी पृष्ठभूमि को यहां हमारे सामने भी रख दिया गया है।

एक चीज जिसकी माननीय राज्यपाल ने अन्त में घोषणा की वह यह थी कि सौ रुपए तक के और सौ से ४०० तक के कर्मचारियों के साढ़े ५ और ५ रुपए महंगाई भत्ते में बढ़ाये जायेंगे। मैं इसका स्वागत करता हूं और इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं और इस कदम का इसलिए और भी स्वागत करता हूं कि आज के आर्थिक संकट में भी यह कदम उठाया गया है। मैं मानता हूं कि इससे कोई बड़ी मदद कर्मचारियों को नहीं मिलेगी परन्तु फिर भी वह आज की कठिन आर्थिक अवस्था में कुछ आंसू अवश्य पोंछ सकेंगे।

अब मैं दूसरी माननीय नेता विरोधी दल द्वारा कही गई बात की तरफ संकेत करूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हमारे सामने माननीय राज्यपाल का भाषण है और दूसरी तरफ यहां एम० पीज० का जो कन्वेन्शन हुआ, जिसमें कि तमाम पार्टियों के सदस्यों को बुलाया गया था उसमें कही गयी बातें हैं। मैं पहले उस कन्वेन्शन के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उनके सामने तमाम बातों और सही रूप में आंकड़ों को पेश किया। उनके सामने जो दो पेपर्स पेश किये गये, एक तो "रीसेन्ट टेन्ड्स इन उत्तर प्रदेश एकनामी" और दूसरा "सेलीएन्ट फीचर्स आफ दि स्टेट थर्ड फाइव ईयर प्लान" वह बहुत काम की और आंखें खोलने वाली चीज थी और मेरी प्रार्थना है कि अच्छा हो कि वह पेपर्स यहां के सदस्यों को भी जानकारी कराने के लिये दे दिये जायं ताकि सूबे का सही नकशा सब के सामने आ सके कि बावजूद इन दस साल की प्लानिंग के हमारी आज स्थिति क्या है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो स्पष्ट बातें कहीं उसके लिये वह सही माने में बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि १० साल में हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम बढ़ी नहीं घटी है। हमारा जो पर कैपिटा आउट ले था सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में वह हिन्दुस्तान

[श्री नवल किशोर]

में सब से कम था। इंडिया का ५७ रुपया था, यू० पी० का केवल ३७ रुपया था। हमारी पर कैपिटा इनकम सन् ५१ में हिन्दुस्तान की इन्कम से ४.९ परसेन्ट ज्यादा थी, वह आज १२ परसेन्ट नीचे चली गयी है। उस समय यह नेशनल इन्कम की १८.४ परसेन्ट थी वह घट कर १६ परसेंट से नीचे आ गई है, यह सोचने की बात है।

जहां तक यह कहा गया कि हमारे प्रदेश को ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वह जायज मांग है और हम सभी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन केवल वहां से पैसा कम मिला है इसलिये पर कैपिटा इन्कम घट गई है यह बात नहीं है। जितना पैसा हमको दिया गया और जो हमने खर्च किया उस की अगर सही स्क्रुटनी की जाय तो मालूम होगा कि सही तरीके से खर्च नहीं हो सका। जिस अनुपात में हमने योजनाओं पर खर्च किया उस अनुपात में कामयाबी नहीं हुई और न लाभ ही प्राप्त हो सका। बावजूद इसके कि बहुत से अच्छे कर्मचारी भी हैं। हमारे कर्मचारियों की इनएफीशियेंसी की वजह से, गलत एस्टीमेट की वजह से, सही वक्त पर काम न होने की वजह से, कैपिटल आउट ले बढ़ गया और अनुमानित आय घट गयी और इसी कारण देश की ग़रीबी बढ़ती जाती है। मुख्य मंत्री जी सही कहते हैं कि प्रदेश ऐसे चक्कर में पड़ गया है कि ग़रीबी में ग़रीबी बढ़ती चली जाती है।

अधिक धन मिलने की जो हमारी सही मांग है उस को हमें कहना चाहिए। हमारे एम० पीज़० का फर्ज है कि वह उसको लोक सभा के सामने रखें। पर साथ साथ जो हमारी प्रशासकीय कमजोरियां हैं और जिनकी तरफ एम० पीज़० ने भी ध्यान आकर्षित किया था उनके समाधान की तरफ भी हमें कदम उठाना चाहिए।

तीसरी योजना के सम्बन्ध में बताया गया कि ६०० करोड़ की योजना का अनुमान है, जिसमें इम्फेसिस एग्रीकल्चर विद्युत शक्ति और इंडस्ट्री पर होगा, एग्रीकल्चर के क्षेत्र का विस्तार होगा। सही बात है कि हमारा देश खासतौर से प्रदेश खेती पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा, होना चाहिये, सही बात है। पर वह तो जब होगा तब होगा, लेकिन जो हमारा स्टाफ है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका एक्सपेंशन अभी से हो गया। एक साल पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ८-९ थे वह अब १७ हो गये हैं। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके कि स्टाफ की तादाद बढ़ गई है प्रोडक्शन में बढ़ती नहीं हुई है। एक्सपेन्शन के माने यह नहीं हैं कि केवल स्टाफ का ही एक्सपेंशन होता चला जाय। हमारे कृषि मंत्री सौभाग्य से मास्को तशरीफ ले गये हैं। मैंने कुछ दिन हुये अखबार में पढ़ा था कि मास्को में सामूहिक फार्म के कुछ मैनेजर अकर्मण्यता के अपराध में जेलखाने में बन्द कर दिये गये। मैं समझता हूं कि वह वहां से यह सब लेकर आएंगे कि जो इनएक्टिव आफिसर्स हैं वह कम से कम हटा दिये जायं। एक बात कही जा सकती है कि हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है। मैं समझता हूं कि जहां तक स्पीड तथा ऐफीशियेन्सी का सवाल है, एक कम्पटीशन है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में। अगर डेमोक्रेसी में वह स्पीड और वह क्षमता नहीं आ सकती तो देश इंतजार नहीं कर सकता कि डेमोक्रेसी के द्वारा ही उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। अगर हम डेमोक्रेटिक तरीक़े से ज्यादा एफीशियेंसी और स्पीड पैदा कर सकें तो हम समझेंगे कि सही माने में डेमोक्रेसी हमारे देश के अन्दर सफल है।

जहां तक विद्युत शक्ति के टार्गेट की बात है, १ मिलियन किलोवाट का टार्गेट तीसरे प्लान में है, अच्छी बात है। खटीमा और रिहन्द के अन्दर जो अनुभव हुआ है कि किस तरह से एस्टीमेट्स दुगने और तिगुने और ड्योढ़े बढ़ गये उससे सबक ले कर मैं चाहूंगा कि अपने कदम को बढ़ाया जाय ताकि जो अपव्यय अब तक हुआ है वह आगे चल कर न हो।

मान्यवर, कोआपरेटिव की बात कही गई कि १० हजार सहकारी समितियां बन गई हैं और ५ हजार और बनेंगी, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकारी कर्मचारी संख्या पर अधिक जोर देते हैं, क्वालिटी पर नहीं। माननीय नेता विरोधी दल ने भी १ करोड़ मछलियों के बच्चों की बात का जिक्र किया। अगर इनको मन की बात

कहनी होती है तो बजाय मन के ६४० छटांक कहा जाता है तो यह मनोवृत्ति संख्या में बढ़ाकर बात कहने की है। विनोबा जी ने कहा है कि कोआपरेटिव से ज्यादा ऐम्फ़ेसिस कोआपरेशन पर देना चाहिये। अगर कोआपरेशन ही नहीं है तो कोआपरेटिव बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे दुःख है कि वह सहकारिता जो आगे चल कर हमारे आर्थिक और सामाजिक ढांचे का एक केन्द्र बनने जा रही है, उसकी आधारशिला बनने वाली है उसके अन्दर सब से ज्यादा कमी कोआपरेशन की है। मुझे दुख है कि उसके अन्दर इस तरह की गलत परम्परायें तथा भावनाएं डाली जा रही हैं जिससे जनता में और अफ़सरों में यह धारणा घर करती जा रही है कि उसके अन्दर फ़ेवरटिज्म तथा नेपोटिज्म होता है। मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज यह आम शिकायत है कि जो जगहें चुनाव से भरी जाती थीं उसके अन्दर जबरदस्ती लोगों को नामजद किया जाता है। जिलाधीश जिन आदमियों का नाम भेजते हैं उनका नाम बदल कर यहां से दूसरे आदमी गुटबन्दी के आधार पर रखे जाते हैं। सरकार अगर सही माने में कोआपरेटिव मूवमेंट को चलाना चाहती है तब जनता के अन्दर आस्था पैदा करनी होगी तभी यह आन्दोलन सही माने में हमारे आपसी सहयोग से सहकारिता की भावना ले कर आगे चल सकेगा वर्ना नहीं। मैं इस सम्बन्ध में सांकेतिक तौर पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

मुझे खुशी है कि एक कोआपरेटिव बिल पेश होने वाला है। मैं मुख्य मंत्री जी तथा मंत्रिमंडल से कहूंगा कि वह इस बात को देखें कि जो आज की कमियां हैं वे उस विधेयक के आने के बाद खत्म हो जायं तो ज्यादा अच्छा होगा।

मान्यवर, मैं स्वागत करता हूं उस अपील का जो महामहिम राज्यपाल ने की है। उन्होंने कहा है कि--"तृतीय आयोजना प्रत्येक अर्थ में जन-आयोजना होगी और जनता उत्साहपूर्वक उसमें सहयोग करेगी और भाग लेगी। साथ ही यह बात भी स्पष्टतया समझ ली जानी चाहिये कि इतनी बड़ी आयोजना के लिये समस्त संभव साधनों से धन प्राप्त करने के हेतु भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा और लोगों को इस आशा से कि भविष्य में उनकी स्थिति और अच्छी हो जायगी, अपनी वर्तमान आवश्यकताओं में कमी करनी पड़ेगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इस सम्बन्ध में मेरी सरकार को अधिक से अधिक सहयोग देंगे।" मैं इससे शत प्रतिशत सहमत हूं। मगर यह जानने में असमर्थ हूं कि यह अपील किसके लिये है? जिस देश के ८० फीसदी इन्सान इल फ़ेड हों, उनको खाने ,कपड़े की कमी हो, जिनकी वार्षिक पर कैपिटा इनकम २५८ रुपया के लगभग हो यह अपील उन आदमियों के लिये है या उनके लिये भी हैं जो कुछ सम्पन्न हैं? मैं जानना चाहता हूं और मेरी अपनी जानकारी है कि जाड़े के महीने में भी हमारे सरकारी अफसर, डिपार्टमेंटल हेड्स एयर कंडीशन कोचेज में ट्रेविल करते हैं। नैनीताल जाने के लिये होड़ रहती है कि कितने अफ़सर किस विभाग के नैनीताल जायं। इस बात की कोशिश की जाती है कि आल इन्डिया काडर बनाए जाएं, प्राविन्शियल कैडर के अन्दर स्पेशल काडर बनाया जाय। दिन-प्रति-दिन पब्लिक ऐक्सचेकर पर ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में इस अपील के क्या माने होंगे?

मैंने कई बार कहा है इस सदन में कि वह सरकारी कर्मचारी जिनकी तनख्वाह १,००० रुपये से ऊपर है कम से कम उसमें १० परसेंट वालेण्टरी कट कर दें। मैं उनसे आज अपील करता हूं कि राज्यपाल की तीसरे पन्ने पर की गई अपील को पढ़ें और सोचें, समझें। और अगर उसके अन्दर कोई माने हैं और उसमें असर है तो अपनी तनख्वाह में से १० पससेंट की कमी करें। यही नहीं इकोनामी कमेटी, ऐस्टीमेट्स कमेटी, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी सिफारिशें करती हैं कि खर्चे के अन्दर कमी हो सकती है। मगर चूंकि विभाग सहमत नहीं होता इसलिये कमी नहीं हो पाती। अगर सख्ती के साथ कोशिश की जाय तो कोई वजह नहीं है कि मौजूदा बजट में १२ या १४ करोड़ की बचत न की जा सकती हो। यह मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं। इसलिये यदि इतनी बचत होने के बाद, तन्ख्वाहों के कम करने के बाद, शासन में तथा अपने जीवन में आस्टेरिटी पैदा करने के बाद यह अपील की जाय तो इसके कोई माने हैं वर्ना मैं समझता हूं कि इस अपील के सही मानी में कोई मानी हमारी समझ में नहीं आते।

[श्री नवलकिशोर]

एक बात लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की कही गयी। बहुत सुन्दर बात है मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय गोविन्द सहाय जी ने बुनियादी बात की तरफ ध्यान खींचा है और सही कहा है कि विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। पर आज तो मुझे ऐसा लगता है कि नान-अफिशियल्स के प्रति एक डिस्ट्रस की भावना है। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट लेविल पर एक नहीं १०, १५ कमेटीज होती हैं। सबका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है। उसके पास वक्त हो या न हो, नहीं आ सकता है तो ए०डी० एम० व सिटी मैजिस्ट्रेट को भेज देता है, लेकिन हमारा नान-अफिशियल चेयरमैन नहीं हो सकता, यह क्यों ?

जिला परिषद् की बात कही गई है। दो साल बीत गये, पता नहीं चुनाव कब तक होंगे। जो स्वायत्त शासन के मंत्री हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे इस विकेन्द्रीकरण के नाम पर इस बात की घोषणा कर दें कि आज से ही अन्तरिम जिला परिषद् का जो चेयरमैन होगा वह नान-अफिशियल होगा और आज जिलों में जो कमेटियां हैं उनके अन्दर भी नान-अफिशियल चेयरमैन क्यों न हो अगर सही मानी में आप विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। यही नहीं इसके अलावा पिछले आठ सालों में बराबर में एक वारंट आफ प्रिसिडेंस इस स्टेट में बन जायं इसकी मांग करता रहा हूं। जो जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं, सरकारी उत्सवों, जलसों तथा अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में उनको बड़ा अपमान उठाना होता है। मैं नहीं जानता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर कौन बीच में आते हैं जिनके कारण कोई प्रिसिडेन्स बन नहीं पाता है। अगर जनतंत्र को दृढ़ करना है तब जनतांत्रिक परम्पराओं को डालना होगा और उसकी बुनियाद एक ही आधारशिला पर हो सकती है वह यह कि नान-अफिशियल एलिमेंट को प्रोत्साहन दिया जाय, केवल कहने से ही काम नहीं चलने वाला है।

मैं इस बात का भी स्वागत करता हूं कि जो इसमें कहा गया है कि ईस्ट पाकिस्तान से आई हुई ३,०१५ फैमिलीज बसाई गयीं और एक हजार और बसाई जायंगी। ५७ लाख रुपया खर्च हो चुका है और ४८ लाख और खर्च होने वाला है। एक अखबार में एक लेख पढ़ा था—"रिहन्द बांध के आसपास नर्क और स्वर्ग" उसमें लिखा था कि जिनके गांव उस झील के अन्दर डूब जायेंगे उनकी मदद के लिये कोई मुनासिब इन्तजाम नहीं हो पाया है। सरकार ने एक प्लान दिया भी है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसकी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ी संख्या लोगों की दर बदर घूमती फिरती है। मिर्जापुर के जो भाई हैं वे इस बात की ताईद करेंगे। खुशी की बात है, आप ईस्ट पाकिस्तान के जो शर्णार्थी हैं उनको बसाइये लेकिन साथ ही इस प्रदेश के अन्दर अपने शरणार्थी पैदा न कीजिये।

मान्यवर, ला एंड आर्डर की खराबी की बात कही गयी। माननीय गृह मंत्री बराबर में बैठे हुये हैं। मैं उनसे अदब से अपील करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत कोशिश करके पुलिस कमीशन बैठाया है। लेकिन पुलिस के बारे में बहुत सी कमेटियां पहले भी बैठ चुकी हैं और मुझे अन्देशा है कि इसका भी भविष्य ऐसा ही न हो जैसा कि और कमेटियों का हो चुका है। बदायूं के हमारे भाई बतलायेंगे, अभी दो दिन का वाकया है एक आदमी दिन दहाड़े गांव के अन्दर कत्ल किया गया और दो मील तक उसकी लाश घसीट कर ले जाई गई और गंगा में टुकड़े करके फेंक दी गयी। स्वयं मेरे क्षेत्र में सहसा गांव में दिन में घेर कर एक व्यक्ति को मार दिया गया। इस तरह से सेक्योरिटी कम होती जाती है। सरकार को बुनियादी तौर पर इस तरफ कोई ठोस कदम उठाना चाहिये।

मुझे इस बात की खुशी है कि प्रशासन के सुधार के सम्बन्ध में दो बातें बतलाई गयी हैं। "स्टाफ कौंसिल" बनने की बात बतलाई गयी है और आर्गेनाइजेशन और मेथड्स डिवीजन के स्थापना की बात कही गयी है। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दलबन्दी राजनीतिक पार्टियों में हो वह इतनी खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन यदि शासकीय कर्मचारियों के अन्दर गुट-बन्दी पैदा हो जाय तो देश व प्रदेश के लिये ज्यादा खतरनाक चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सचिवालय तथा कर्मचारियों के अन्दर कुछ इस तरह की इंटरीग्ज और क्लिक्स हैं

यही नहीं उच्च कर्मचारियों नें अपने अपने इन्फ्लुएन्स व पेट्रोनेज के पाकिट्स बना रखे हैं जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और उनको लिक्वीडेट करना चाहिये। तभी प्रशासन स्वस्थ व स्वच्छ हो सकेगा।

आखिर में राज्यपाल महोदय ने एक अपील की है। आज की बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में तथा हमारे देश और प्रदेश की जो सीमायें हैं, उन पर जो खतरा है उसको दृष्टि में रखते हुये महामान्य राज्यपाल ने हमारे सामने एक अपील की है। उसकी दो लाईन में पढ़ देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इसमें जो प्रान्तीयता और जातीयता की बात कही गयी है उसे मिटा दिया जायगा क्योंकि हमारी सर्विसेज के अन्दर भी वह बीमारी बढ़ती जाती है। आपकी आज्ञा से वह शब्द पढ़ कर मैं खत्म करूंगा और आशा करूंगा कि जिस भावना से माननीय राज्यपाल ने अपील की है हमारे सभी साथी राजनीतिक पार्टियों की दलबन्दी से ऊपर उठकर उसमें सहयोग प्रदान करेंगे।

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं आपसे, तथा आपके द्वारा इस राज्य की जनता से, अपील करता हूं कि चारों ओर से घुमड़ने वाले संकट के बादलों को देखते हुये हम विभिन्न प्रकार की संकीर्णता के, जातीयता, प्रान्तीयता, या साम्प्रदायिकता के प्रवाह में बहने से अपने को बचावें तथा दलबन्दी की दलदल से अलग रहें। यही आज की सबसे बड़ी बुराइयां हैं और राष्ट्र के प्रबलतम शत्रु हैं। अब समय आ गया है जब हम सब अपनी कल्पना के अनुसार देश का निर्माण करने और जनता को, जिसके हम प्रतिनिधि हैं, समृद्ध और सुखी बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिये परस्पर मिल कर और एकनिष्ठ होकर कार्य करें।

इन शब्दों के साथ में धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)--उपाध्यक्ष महोदय,

कृपा आपकी जो अवसर मुझे प्रदान किया,
राज्यपाल सम्बोधन को मैंने पद्यों से सम्मान किया।
२५ जुलाई सोमवार को हुआ सदन उद्घाटन,
महामान्य राज्यपाल का लम्बा चौड़ा भाषण।
राज्यपाल के भाषण में, ना था शब्द मधुर कोई,
भाषण तैयार किया जिसने वह भी था न चतुर कोई।
राज्यपाल के धन्यवाद का, प्रस्ताव उधर से आया,
करते घोर विरोध इधर से, नहीं किसी ने अपनाया।
सफे तीन पर देखा तो, कुछ निकली बात निराली,
अध्यक्ष महोदय आज्ञा हो तो, कहूं जो कहने वाली।
छः सौ करोड़ की बनी तीसरी यह पंचसाला स्कीम,
मछली शराब का हो विकास, बस बाकी रही अफीम।
राज्यपाल का लम्बा भाषण जिसका नहीं जवाब,
विकास कार्य का किया जो वर्णन मछली और शराब।
महान प्रगति की कही जो बातें लम्बे जुमले छाये,
विद्युत् और उद्योग कृषि के लम्बे राग अलापे।
सरकार करे अभियान रबी पर हमला करे खरीफ।
फिर भी भूखों मरते जाते निर्धन श्रमिक गरीब,
आज हजारों गजटेड अफसर चूहे मक्खीमार बने।
उत्तरप्रदेश में जगह जगह पर दफ्तर कई हजार बने ?

एक सदस्य--क्या कागज में देख कोई कर माननीय सदस्य इस तरह से पढ़ सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--कविता पढ़ी जा सकती है। स्वर भर कर नहीं पढ़ सकते।

श्री शिव प्रसाद नागर--

राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ बातें लिखी सिंचाई की,
रही असलियत पर्दे में बस कोरी आंख मिचाई की ।
करता आपके द्वारा हूं आकर्षित ध्यान सदन का,
होता दुरुपयोग राज्य में भोली जनता के धन का ।
कानपुर में बना जल महल खर्चा साठ हजार,
इस पानी से सिंचे न खेती, गेहूं, मक्का, जुवार ।
नहर महकमें के अन्दर श्रीमन् देखा बड़ा कमाल,
एक करोड़ सैंतीस लाख का फिर घाटा हो हर साल ।
नलकूपों के खुले महकमे, खाली हुआ खजाना,
दो करोड़ बत्तीस लाख का फिर घाटा हो सालाना ।
उपलब्ध यहां अध्यक्ष महोदय, नहरें और नलकूप सभी,
पर प्रदेश का अन्न उत्पादन हरगिज ना बढ़ सका कभी ।
नस नस से पैसा आता है खिंच कर खुला किसानों का,
क्या कुछ आता है ख्याल कभी उस बापू के अरमानों का ।
आपकी आज्ञा से श्रीमन् कहता हूं एक बात और,
इधर उधर की दोनों बेंचें थोड़ा इस पर करें गौर ।
राज्यपाल के भाषण में कुछ विद्युत् की बात अनोखी थी,
कुछ सुन्दर शब्दों में गूथीं कुछ सजी सजावट चोखी थी ।
उत्तर प्रदेश में उत्पादित चौबीस करोड़ यूनिट बिजली,
इनकी रिपोर्ट में लिखा है यूनिट छै करोड़ लीकेज नकली ।
पचीस फीसदी ड्यूटी दे दी छूट सभी मिल वालों को,
समझ न पाई भोली जनता इन सरमायेदारी चालों को ।
बिजली का पैसा मिल वालों पर कई करोड़ बकाया है,
अध्यक्ष महोदय राज्य कोष का यह भी तो सरमाया है ।
ढाई करोड़ की बनी योजना निर्मित माता टीला,
बारह करोड़ तक पहुंची बढ़ कर पलता कुटुम कबीला ।
फिर भी विद्युत् ना चमक सकी बस छाया अन्धकार रहा,
माता टीला बांध में देखा विजयी भ्रष्टाचार रहा ।
हर वर्ष जहां विद्युत् विभाग में हो घाटा दो सौ लाख,
कर्जे की यह दौलत श्रीमन हो रही लाख की खाख ।
अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मैं एक बात कहता हूं,
वन विभाग की पोल कहूं मैं खीरी में ही रहता हूं ।
महामान्य ने वन विभाग की बड़ी प्रशंसा कर डाली,
यह जनता की सरकार जहां पर वनों की करती रखवाली ।
कत्थे के कुछ पेड़ दिये जो वुड प्राडक्ट बरेली है,
बेचा मिट्टी मोल उन्हें सरकार बड़ी अलबेली है ।
एक पेड़ दो सौ रूपै का इक्तीस रूपै छै आने में,
मिल वालों को दे डाला है यह अन्धेर जमाने में ।
एक साल दो साल नहीं दस साल का लिखा बन्धन है,
जनता की नजरों में श्रीमन् यह भी एक गबन है ।
पेपर मील सहारनपुर को चीड़ की लकड़ी का ठेका,
सन छप्पन से सत्तावन तक था पर अभी तलक नहीं रोका ।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था यह चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य अपनी स्पीच लिख कर लायें और यहां सदन में पढ़ें तो यह मर्यादा के अनुकूल है या उनको रोका जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---यह व्यवस्था तो पहले हो चुकी है। गद्य के बारे में तो यह व्यवस्था थी, लेकिन पद्य के बारे में कुछ उद्धरण करने की आज्ञा पहले दी जा चुकी है। अभी आप सुनिये, मुमकिन है वह कुछ बोलने वाले हों।

श्री त्रिलोकीसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि १९२८ में सर सीताराम जी ने यह रूलिंग दी थी कि कोई माननीय सदस्य अपना भाषण पद्य में कर सकता है और उस समय माननीय भगवती सहाय बेदार ने एक तकरीर पद्य के रूप में पढ़ी भी थी।

श्री शिव प्रसादनागर---

दो लाख से ऊपर घनफुट लकड़ी दे डाली एक आने में,
देखा सुना कभी न हरगिज ऐसा अंधेर जमाने में।
चीड़ से कागज बनने की आई नहीं मशीन अभी।
पर सन् छप्पन से साठ तलक चीड़ के बन कट गये सभी।
प्लान्टेशन की बनी योजना खाये लाखों रुपये,
सौ पेड़ों में बीस जमे और अस्सी सूख गये।
इस प्रकार जनता का सब धन अरे बरबाद किया है,
सरकार ने भी अब प्रजातंत्र में यह अपराध किया है।
अध्यक्ष महोदय आज्ञा हो तो कुछ कह दूं बात पुरानी,
महामान्य ने अभिभाषण में एक अद्भुत बात बखानी।
बड़े बड़े उद्योगों पर है सरकार की कृपा दृष्टि,
पूंजीपतियों पर ही होती राज्याधन की वृष्टि।
सन् छप्पन में निर्वाचन के जब काले बादल छाये,
तब पूंजीपति सब कांग्रेस के चौगिर्दा मड़राये।
पूंजीपतियों को कर्जे में फिर लाखों रुपये दे डाले,
उद्योग बहाने अरबों रुपया मिल वालों के किये हवाले।
केन सेस का बाकी है, फिर भी सात करोड़ अभी,
कुड़की डिग्री साइटेशन इन पर ना हो सका कभी।
गन्ने के भाव घटा करके, शक्कर के ऊंचे दाम किये,
इसी तरह सरकार को देखा, बहुत से उलटे काम किये।
महामान्य ने खाद्यान्नों की, कुछ बात कही सम्बोधन में,
आज्ञा हो तो इस पर भी कुछ कह दूं बात सदन में।
जिन्दे भूखे मरते देखे, ना मिलें अन्न के दाने,
पर अलाटमेंट में मुर्दे को हैं, मिलती यहां दुकानें।
अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा, है एक बात सुनने वाली।
कुछ न्याय की बातें राज्यपाल ने, बढ़ा चढ़ा कर कह डाली।
अधिकार जहां पर मिलता है, कुछ इने गिने ही वोटों पर।
बिकता न्याय वहीं पर देखा, कागज के कुछ नोटों पर।।
कांग्रेस के राज्य में हमने, निर्धन लुटते देखा है।
बेगुनाह को फांसी पाते, कातिल छूटते देखा है।
वर्मा जी जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में लाये।
मैं करता घोर विरोध उसी का पास न होने पाये।।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, इस कवि सम्मलन के बाद मैं कहां तक कुछ कह सकूंगा, कह नहीं सकता। यह महामान्य राज्यपाल का अभिभाषण इस प्रदेशीय सरकार के अचीवमेंट्स का एक कैटेलाग सा है जिसकी आवश्यकता इसलिये भी थी कि लोग इसे समझ सकें कि प्रदेशीय सरकार ने पिछले १२, १३ वर्षों के अन्दर कहां से कहां इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को पहुंचाया है। लेकिन इस प्रदेश की जनता कुछ और बात भी

[श्री उदयशंकर]

जानने को उत्सुक नहीं और उस माने में उसे महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण से पूरा संतोष न हो सकेगा ऐसी मेरी धारणा है। किसी भी प्लांड एकोनामी के भीतर व्यवस्थित प्राक्कलन खर्च का ठीक ठीक अनुमान और उसके ऊपर लगाम यह निहायत आवश्यक वस्तुयें हैं। पिछले बारह तेरह वर्षों के भीतर इस प्रदेश में जो कुछ किया गया है उस पर जितना खर्चा हुआ है उस निगाह से जब हम उस चीज को देखते हैं तब थोड़ी निराशा होती है। एस्टीमेट्स कमेटी, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, इन्होंने बार बार जिन बातों का संकेत किया वह इस बात की द्योतक हैं कि सरकार की मशीनरी पूरे पूरे ठीक ढंग से चलायी नहीं जा रही है, किसी जगह कोई कमी है कि जिसकी वजह से सरकार की मशीनरी बेलगाम घोड़े की तरह से चल रही है और उसे एक कड़ी लगाम देने की जरूरत है।

इस सिलसिले में जब हम यह देखते हैं कि प्लांड एकोनामी में कहीं-कहीं सरकार को कंट्रोल भी करने पड़ते हैं, वह एक जायज और जरूरी चीज भी है, लेकिन जब कंट्रोल किसी प्लांड एकोनामी में किया जाता है तो उसमें एक आवश्यक वस्तु यह हो जाती है कि उस कंट्रोल से प्राफिटियर्स फायदा न उठाने पावें और वह कंट्रोल जनता के लिये बवाले जान न हो जाय। इस नुक्तेनिगाह से जब हम देखते हैं तब फिर हमें एक निराशा होती है कि हमारे कंट्रोल एक प्रकार से लोगों के लिये वह साधन नहीं दे पाते हैं जिन साधनों से बगैर नाजायज रास्तों को अख्तियार किये हुये जनता अपने कामों को पूरा कर सके, अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा कर सके और इस जगह सरकार को कड़ाई के साथ अपने एप्रोच को बदलना है।

हमें जनतांत्रिक ढांचे पर चलकर अपनी प्लान्ड इकानामी को चलाना है तो जिन चीजों को हम कंट्रोल करें, जिन चीजों को हम चलाना चाहें उनके साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जनता का सहयोग हमारी प्लान के एक्जिक्यूशन में सहायक होने के लिये, जनता की सहायता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम उन हालात को देखें जिन हालात में जनता अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने में नाजायज रास्ते को अख्तयार न करें या उसे मजबूर होकर उन नाजायज रास्तों पर न जाना पड़े। जब तक हम यह नहीं करते तब तक महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में जो सहयोग की अपील है उस सहयोग को हम जनता से प्राप्त करने में पूरे पूरे समर्थ नहीं हो सकेंगे। मैं सरकार से आपके द्वारा यह अपील करना चाहता हूं कि सरकार अपने अपरोच को फिर से एग्जामिन करे और देखे कि क्या उसका अपरोच सही है? क्या वह इस तरीके पर अपने काम को कर रही है जिससे जनता की जो शिकायतें हैं वे दूर होती हैं या नहीं?

अब उसके बाद एक दूसरी चीज की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एक सोशलिस्ट पैटर्न समाज बनाने का निश्चय किया है। अब देखना यह है कि सोशलिस्ट पैटर्न के लिये हम वह भावना उपस्थित कर पा रहे हैं या नहीं जिससे हम सोशलिस्ट पैटर्न इस समाज को तरफ ले आ सकेंगे या नहीं। मुझे कुछ सन्देह होता है जब मैं देखता हूं कि पिछले १२, १३ वर्षों के भीतर जो कुछ हमने किया है उससे कुछ थोड़े से सवालात मेरे मन में आते हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार उन पर गौर करे।

वह सवालात यह हैं कि क्या कोआपरेटिव के जरिये हम प्रदेश के कारीगरों को, मजदूरों को संगठित कर सकें इस बात के लिये कि जो बीच में पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग उनकी मेहनत का शोषण करते हैं, उस शोषण से उनको बचा लें और सही मेहनत करने वाले के पास, जिसके जरिये से सरकार काम लेती है, वह पैसा पूरा का पूरा पहुंच सके। ऐसा कोई काम हमने किया? अगर हमने नहीं किया तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब से कहूंगा कि सरकार का करोड़ों रुपया, जो कोआपरेटिव में खर्च हो रहा है, वह एक प्रकार से मेरी निगाह में अपव्यय है। मेरी निगाह में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के जो ऊंचे से ऊंचे अफसर हैं, वह अगर इस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, अगर इस काम को करते नहीं है, वह मजदूरों का संगठन, वह कारीगरों का संगठन नहीं कर पाते और उनके हाथ में उनकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं दिला

पाते तो उनके रहने और उनको लम्बी तनख्वाह देना किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले दिनों में प्रशिक्षण के विद्यार्थी जितने हमारे टैक्नीकल शिक्षा पाकर स्कूलों से निकले, वे सब लड़के बजाय इसके कि सरकारी नौकरी के लिये इधर उधर मारे मारे फिरे या इधर उधर घूमते फिरे कितने ऐसे लड़कों को, जो प्रशिक्षण के बाद पास हुये उनको संगठित करके उनको उद्योग में लगाकर इस प्रदेश के उद्योग को बढ़ाया ? उन लोगों को कितना पैसा दिया गया ? इस दृष्टिकोण से भी देखें तो हम इस नतीजे पर आयेंगे कि (लाल बत्ती देखने पर) मैं थोड़ा सा ५ मिनट का समय और चाहता हूं—

श्री उपाध्यक्ष—आप तीन मिनट और बोल लीजिये।

श्री उदयशंकर—उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम अपने काम में पूरे पूरे कामयाब नहीं हुये हैं।

इसके अलावा जो तीसरी चीज देखने की है वह यह है कि हमारी जो भू-राजस्व की नीति है वह बड़ी गड़बड़ है। हम एक ही किस्म की जमीन जोतने वाले से ४ किस्म का लगान वसूल करते हैं। पुराने जमींदारों से एक किस्म का, दस गुना वालों से दूसरे किस्म का, जो काश्तकार हैं उनसे तीसरे किस्म का, और जो अधिवासी हैं उनसे चौथे किस्म का लगान वसूल करते हैं। तो हमें इस चीज को बदलना होगा ताकि जो मेहनत करने वाले लोग हैं वे कुछ तरक्की कर सकें।

अब हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना होगा। आज हम देखते हैं कि पोजीशन्स पर जो लोग बैठे हुये हैं उनके साथ ज्यादा सहानुभूति का व्यवहार किया जाता है और जो छोटे लोग हैं उनके साथ कम सहानुभूति का व्यवहार किया जाता है। हमें इसको भी बदलना होगा। जब तक इसको न बदला जायेगा तब तक हम उस सोशलिस्ट समाज को लाने में सफल नहीं होंगे जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। अगर हम इसको नहीं बदलते हैं तो यह हर हालत में एक फाल्टी कदम होगा और इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का, जिसे माननीय वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है, समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और कुछ निवेदन करने से पूर्व, हमारी पार्टी पर जो यह लांछन लगाया जाता है कि हम लोग केवल आलोचना और कटु आलोचना ही करते हैं, जो सही वास्तविक स्थिति है उसकी स्तुति नहीं करते, सब से पहले मैं माननीय राज्यपाल महोदय को अति सुन्दर हिन्दी में भाषण देने के लिये बधाई देता हूं। एक हिन्दी भाषी प्रान्त के व्यक्ति होते हुये भी जिस सुन्दर हिन्दी भाषा में उन्होंने अपना भाषण दिया उसके लिये वे अवश्य बधाई के पात्र हैं और मैं उन्हें उसके लिये हृदय से बधाई देता हूं। दूसरी बधाई मैं उनको इसके लिये देता हूं जो उन्होंने अपने अभिभाषण के दूसरे पैराग्राफ में कहा है। उन्होंने कहा है "इस महत्वपूर्ण अवसर पर मेरा ध्यान स्वभावतः दिवंगता श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री होमी मोदी, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी तथा श्री वरहगिरि वेंकटगिरि ऐसे यशस्वी पूर्वाधिकारियों की ओर जाता है, जिनके उत्तराधिकारी के रूप में मैं इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल हुआ।" आगे लिखा है ···"मैं आशा करता हूं कि उनके चरणचिन्हों पर चलते हुए इस राज्य के निवासियों की अपनी योग्यतानुसार अधिकतम सेवा कर सकूंगा।" इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इससे श्रीमन्, मुझे यह आशा हुई कि जिस प्रकार होमी मोदी, और श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी आज हमारी स्वतन्त्र पार्टी में उद्दीयमान व्यक्ति आये हैं, उसी तरह राज्यपाल महोदय भी जल्द ही हमारी पार्टी में आयेंगे। (हंसी)

जहांतक इस अभिभाषण की बात है, माननीय राज्यपाल ने अपनी सरकार की तारीफ उसी प्रकार की है जिस प्रकार प्राचीन समय में राजाओं की विरदावली गायी जाती थी, या आज भी आल्हा गाया जाता है। अगर इसको हम उस कोटि में रखें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

उधर से कहा जाता है कि तारीफ वाली चीजें नहीं कही जाती हैं, केवल शिकायत की जाती है। मैं उलटा यह चार्ज लगाता हूं कि माननीय राज्यपाल ने जिस प्रकार भूरि भूरि सरकार की प्रशंसा की है अगर सरकार की दो चार शिकायतें अपने भाषण में कर दी होतीं तो कम से कम मैं बगैर किसी संकोच के उनके अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव में बिला शक अपना मत दे देता, लेकिन उन्होंने उस प्रकार से कुछ नहीं कहा।

दूसरा धन्यवाद मैं श्रीमन्, अपने माननीय मित्र वर्मा जी को देना चाहता हूं जिनकी सुन्दर वक्तृता, मधुर भाषा और अत्यन्त रमणीय भाव-भंगिमा पूर्ण थी और उन्होंने एक बहुत ही उच्च कोटि के वकील की तरह से एक बहुत ही कमजोर मामले को इतने सुन्दर ढंग से रक्खा, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्रीमन्, अगर मैं सरकार की थोड़ी सी कमजोरियां बयान करूं तो शायद बुरा न होगा। जहां राज्यपाल ने सारी बातें कहीं एक एक विभाग की अच्छाइयों की, वहां अगर इन चीजों को कह दिये होते तो बहुत ही सुन्दर होता। श्रीमन्, एक पुस्तिका सरकार की तरफ से प्रकाशित है---"लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन"। इसी के आधार पर मैं थोड़ी सी बातें निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा विभाग के बारे में। इसमें श्रीमन्, ३,९९,४११ रुपये की लालटेनें तथा टाट-लोटे इत्यादि प्रौढ़ शिक्षा आयोजना के सम्बन्ध में खरीदी गयीं। योजना उसी साल बन्द कर दी गयी और यह सारा सामान ५ वर्ष तक योंही सड़ता रहा। उसके बाद इस सारे सामान को डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दे दिया गया। यह कितनी लागत का सामान था, यह नहीं बतलाया गया है, मगर मरम्मत में जो बाद में खर्चा हुआ वह है २१,००० रुपया। उसी तरह सिंचाई विभाग को देखा जाय। १९५३ में ५८,४०० रुपये के दो कम्प्रेसर खरीदे गये, वह खराब थे, कभी भी काम न दे सके, योंही पड़े रहे और यह जो ५४,१५४ रुपया खर्च हुआ यह भी बेकार गया। इसी प्रकार श्रीमन्, कृषि विभाग में देखा जाय। मैनुअल, जो अस्थायी अधिकारी रखे गये थे, उनकी बनायी गयी वह गलत थी और इस काम में १७,२८५ रुपया सरकार का बेकार खर्च हुआ। वह काम पूरे का पूरा गलत है।

१९४९ में १५,८८० रुपया तथा ३०,७०० रुपये की लागत से राज्य डेरी फार्म के लिये एक कृषि नाशक यंत्र और एक अमोनियां कूलिंग प्लांट खरीदा गया, लेकिन जुलाई, १९५८ तक काम में न लाया जा सका। एक किसी अन्य फार्म के वास्ते कम क्षमता वाला कृषि नाशक यंत्र, कूलिंग प्लांट सहित, ४४,२८४ रुपये में १९५१ में खरीदा गया, और फार्म में लिख दिया गया। यद्यपि पहले खरीदे गये प्लान्ट बेकार पड़े थे और इस बात के लिये लोक लेखा समिति ने सरकार को बराबर चेतावनी दी परन्तु उसके बावजूद भी सन् १९५५ तक न तो अधिकारियों ने ध्यान दिया और न सरकार ने। इस तरह से ४६,५८० रुपये उसमें बेकार खर्च हुये।

श्रीमन् सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़ में सन् १९५०-५१ और १९५२ में बेबी फूड मिल्क पाउडर, शीशियों तथा फलक्रीम आदि बहुत बड़ी संख्या में खरीदे गये। ये स्टाक में पड़े रहे इसलिये कि दूसरी जगहों के ये जो सामान थे वे सस्ते थे, बिक नहीं पाये लिहाजा वह पड़े रहे और सड़ते रहे। इस तरह से १९,३३४ रुपये का इसमें अपव्यय हुआ।

श्रीमन् औद्योगिक कृषि व्यापार योजना के अन्तर्गत सरकार ने प्रदेश के अन्दर बहुत से मकान बनवाये, ये मकान बन कर तैयार हो गये। फिर भी कुछ मकानों में आन्तरिक स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता तथा जलपूर्ति आदि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ये किराये पर नहीं उठाये जा सके। इसमें ३,३७, १७२ रुपये का सरकार का नुकसान हुआ। कहां तक जोड़ावें। लेकिन मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुस्तिका के पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ३१,३३,४८९ रुपये का सरकार का अपव्यय हुआ और इसमें से श्रीमन्, २०,२३,३०५ रुपये का कुल गबन हुआ सब महकमों का मिलाकर। इस तरह से जो इतना रुपये नष्ट हुये अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी राज्यपाल जी ने अपने संबोधन में कह दिया होता

कि हमारी सरकार में जिसके लिये हमने पूरे २९ पेज के अभिभाषण में तारीफ की है यह एक कमी भी है तो ताश का दूसरा पहलू भी हमारे सामने आ जाता। मगर उन्होंने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? इसके बारे में तो वे ही अच्छी तरह से जानते हैं।

अब श्रीमन्, मैं थोड़ा सा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज विकास के नाम पर उद्वाण की घटनायें किस तरह से हो रही हैं। मिर्जापुर में बने रिहंद क्षेत्र में १८० मील का क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अन्दर १०८ गांव पड़ते हैं और इनके अन्दर ४५ हजार निवासी हैं। सरकार ने डूब क्षेत्र के अन्दर से उनको निकालने के लिये न तो कोई उचित मुआविजा दिया और न उनको इतने पहले नोटिस ही दी गयी कि वे वहां से छोड़कर जा सकें। अगर उनको मोह था अपनी भूमि से, अपने मकान से तो यह सरकार का फर्ज था कि उनको इतना पहले से वहां से हटाया जाता कि उनको कम से कम मारे मारे तो फिरने का मौका न मिलता। मगर ऐसा नहीं किया गया। हुआ क्या? जून के महीने में नहर बन्द कर दी गयी पानी भरना शुरू हो गया और उन लोगों को उस पानी में ही मजबूर किया गया कि तुम गांव छोड़कर भागो। भाग कर जाने के लिये १०, १० मील तक जाना था, रास्ता इस कदर खराब था कि जिसकी हद नहीं, गाड़ियां वगैरह जो उनको दी गयीं उनके लिये कहना तो यह है कि सौ डेढ़ सौ दी गयीं लेकिन जो हमारी पार्टी की तरफ से लोग गये उनकी रिपोर्ट के मातहत केवल ३ गाड़ियां वहां काम कर रही थीं। और वह ट्रकें भी जो थीं वह २०–२५ मील की दूरी पर जाने के लिये १२० और १४० रुपया किराया मांगती थीं। सरकार ने उन लोगों को जो मुआवजा दिया वह दाल में नमक के बराबर दिया है। वह बेचारे पैदल भाग कर जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। उनसे तो उम्दा जमीनें ली गईं लेकिन उनको अधकटे जंगल दे दिये गये। वहां पर अभी बड़े-बड़े पेड़ खड़े हैं और मैं समझता हूं कि जैसी कि जमीनें उनके पास थीं वैसी जमीनें जंगल में बनाने में अभी १५–२० साल लगेंगे। तो इस तरह से सरकार ने ४५ हजार आदमियों को बेघर बार कर दिया जिनको न तो पानी का ठिकाना है और न सुरक्षा का ठिकाना है और न उनके लिये किसी दूसरी बात का ध्यान रखा। डूबे हुये क्षेत्र से निकाले हुये आदमी भी आदमी हैं उनको भी आदमी की तरह से रहने का अधिकार है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। गोमती में बाढ़ आई, १५–२० दिन इतनी वर्षा हुई कि जौनपुर और बनारस जैसी जगहों में फसल कतई नहीं रह गई, भदई और कुवारी दोनों फसलें साफ हो गईं। सारी फसल सड़ कर रह गई। मगर जब मन्त्री जी से कहा जाता है तो वह कहते हैं कि अभी कव्ल अज वक्त है, अभी सोचना समय से पहले है। मालूम नहीं वह समय कब आयेगा, क्या जब आदमी खाने बगैर मरने लगेगा, जब उनके घर गिर जायंगे तब समय आये गा? अगर सरकारी वसूली को रोक दिया जाता तो कम से कम इतना होता कि लोगों को इस परेशानी में कुछ राहत मिलती लेकिन मन्त्री जी कहते हैं कि कव्ल अज वक्त है। तो इस प्रकार से, सरकार इस पर तुली हुई है कि आमदनी सरकार की हो, तारीफ सरकार की हो और गल्तियां न दिखाई जायं। यह गलत चीज है। अन्त में मैं माननीय पालीवाल जी के भाषण का समर्थन करते हुये अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वर्मा जी ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। महामान्य राज्यपाल महोदय ने, जो कुछ इस सरकार ने इस साल के अन्दर किया है और जो उसका मन्तव्य है और जो भावी कार्यक्रम करने का विचार इस सरकार का है, उसको सदन के सम्मुख रखा है। यह प्रजातन्त्र की एक बड़ी स्वस्थ परम्परा है जिसके द्वारा इस सदन के दोनों पक्षों के लोगों को, सम्मानित सदस्यों को अपने विचार, नीति और कार्यप्रणाली के ऊपर प्रकाश डालने का सुन्दर अवसर मिलता है। जो कुछ विरोधी पक्ष के लोगों से मैंने सुना और जिस तरह से कुछ अपशब्द कहे गये, मैं समझता हूं कि ऐसे अवसर पर महामान्य राज्यपाल के प्रति ऐसे शब्द प्रकट करना इस सदन के महानुभावों के लिये शोभा नहीं देता। वे केवल कांस्टीट्यूशनल

[श्री हरिश्चन्द्र सिंह]

हेड होता है। और वह गवर्नमेंट के कृत्यों का वर्णन करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह किसी किस्म की इस गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं। या कोई उसकी विरदावली का उच्चारण कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि महामान्य राज्यपाल ने बहुत सी चीजों पर काफी जोर दिया है और चूंकि समय थोड़ा है, इसलिये मैं उनमें से कुछ चीजों को लेकर अपने विचार प्रकट करने की चेष्टा करूंगा। सबसे पहले मैं जो कुछ कभी कभी सदन में देखा करता हूं, उससे यह आशंका मुझे हो जाती है कि हमारा प्रजातन्त्र खतरे में तो नहीं है। बाज दफा, जैसा कि हम प्रदर्शन करते हैं, जैसा कि हम कहते या सुनते हैं, उससे यह प्रकट होता है कि हमने प्रजातन्त्र की पद्धति को अच्छी तरह से समझने की कोशिश नहीं की है। आलोचना करने का सुन्दर अवसर विरोधी पक्ष के लोगों को प्राप्त है, उनको करना भी चाहिये। लेकिन गाली देना या अपशब्द कहने की आवश्यकता नहीं है जो कि इस सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम यह समझ रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है।

इस राज्य में जो हम देख रहे हैं उनमें एक ब्यूरोक्रेसी का भी जोर है। प्रजातन्त्र की प्रथा एक पश्चिम की प्रथा थी। वह पश्चिम की प्रथा इस देश में साम्राज्य की जड़ों को खोदकर लगाने की कोशिश की गई है। उन जड़ों के खोदने में बहुत से कल्ले बाकी रह गये हैं और वे हरे हो जाया करते हैं। मैं समझता हूं कि उन कल्लों को हम उस समय तक दूर नहीं कर सकेंगे जब तक कि हम कोई ऐसा आदर्श अपने सामने न रखें और अपने मारल को ऊंचा न करें। मैं समझता हूं कि इस ब्यूरोक्रेसी के जमाने में, जिसका कि कभी कभी जोर दिखाई पड़ता है, उससे यह पता चलता है कि जब तक कि हम अपने आपको सही न कर सकेंगे हम उस ब्यूरोक्रेसी को भी सही नहीं कर सकेंगे। इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से बहुत सी बातें पैदा हो गई हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे धन का बहुत सा हिस्सा अपव्यय और दुर्व्यय में जाता है। दूसरी चीज यह है कि कार्य करने में बड़ी देरी होती रही है। तीसरी चीज जो मैं देखता हूं वह यह है कि चोरबाजारी और करप्शन भी कुछ न कुछ बढ़ता जा रहा है। इन तमाम चीजों को दूर करने के लिये हमको अपने आपको सतर्क रखना होगा और जब तक हमें अपना मारल स्टैन्डर्ड ऊंचा नहीं कर सकेंगे तब तक हम इन बुराइयों को निकाल नहीं सकेंगे। हमको एक आदर्श कायम करना है और उस आदर्श के मातहत काम करना है।

दूसरी चीज जो मुझे कहनी है और जिसे मैं जरूरी समझता हूं वह यह है कि इस वातावरण में हमें खाद्यान्न उत्पादन की बड़ी आवश्यकता है। १२ वर्ष का समय व्यतीत हो चुका लेकिन हम उत्पादन नहीं बढ़ा सके हैं, बढ़ती हुई कीमतों को रोक नहीं सके हैं, यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है। समय हमारे लिये बड़ा खराब होता जा रहा है। लड़ाई के बादल कभी कभी दिखायी पड़ते हैं। हमारे बार्डर पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इन चीजों के होते हुए भी हमारे पास खाद्यान्न की कमी है। अगर कोई जरा सी गड़बड़ी भी हुई तो हम क्या करेंगे, यह हमारे नेताओं को समझने की बात है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में २१ सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ था जिसमें से हमारे प्रान्त में १५० करोड़ रुपया खर्च हुआ। दूसरी योजना ४८ सौ करोड़ रुपये की है जिसमें २५० करोड़ के करीब हमारे प्रदेश में खर्च होना था। इन दो योजनाओं के होते हुए और इतना बड़ा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हुए, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, हम खाद्यान्न को बढ़ा नहीं सके हैं। हमारी जो हालत ५२–५३ में थी अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार उससे आज का मुकाबला करें तो पता चलता है कि हमने कोई तरक्की नहीं की। ५२–५३ में हमारी ग्रामीण जनता की इनकम १९५ करोड़ रुपया थी लेकिन वह ५८–५९ में १९२ करोड़ ही रह गयी। खाद्यान्न के बारे में जितना गेहूं के उत्पादन ५२–५३ में था ५५–५६ में उससे उत्पादन कम हुआ है। इसका कारण क्या है? इस कारण को जांचने के लिये हमारे जो नेतागण हैं उनको गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और यदि हम विचार नहीं करते तो हम कहां जायेंगे और क्या करेंगे यह चीज समझने की है।

जैसा कि मैंने कहा हम कर्ज लेकर खाद्यान्न की कमी को सदैव पूरा नहीं करते रह सकते। १४ सौ करोड़ रुपये का गल्ला जो हम पिछले वर्ष तक मंगा चुके हैं उस रुपये को बचा कर हम बड़े बड़े कारखाने अपने देश में खोल सकते थे। इसकी कमी को पूरा करने के लिये हमें तन, मन, धन से जुट जाना चाहिये और वार लेविल पर, और कामों को बंद करके, इसे करने की आवश्यकता है। अगर इसके करने में हम सफल नहीं होते हैं तो हम अपने देश और प्रदेश को गड्ढे में डाल देंगे।

एक चीज और जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकारी कार्यों में जो रेडटेपिज्म लगा हुआ है, उससे कार्य के सम्पादन करने में जो विघ्न होता है वह बहुत अधिक है। सरकार उस को सुनती है या नहीं, मेरी समझ में अभी यह बात नहीं आयी। मैं करीब चार पौने चार वर्ष से एक बात सरकार के सम्मुख रख रहा हूं और वह यह है कि जुडिशियल डिपार्टमेंट की एक हायर सर्विस कायम हुई जिसके रूल्स सन् १९५२ में बने। रूल्स ग़लत बने इसको सरकार ने तसलीम कर लिया। कुछ लोगों को तनख्वाह जो उनसे जूनियर थे उनसे बहुत कम दी गयी, यह सिद्धान्त भी मान लिया गया है लेकिन नौ-दस वर्ष हो चुके हैं, आज तक एक पैसा किसी को नहीं मिला है इन तमाम बातों के होते हुये भी। उनमें से बहुत से मर गये, बहुत से रिटायर हो गये और बहुत से बीमार हैं जिनमें से बहुत से मर जायेंगे और अगर कहीं बाद में जाकर मिला भी तो उस समय तक बहुत से लोग जिन्दा नहीं रहेंगे।

दूसरी चीज जो मैं बराबर कहता आ रहा हूं वह यह है कि सन् १९४७ में यह सर्विस कायम हुई और सन् १९४७ से आज तक उस सर्विस के पेन्शन रूल्स नहीं बने। बहुत से मर गये और बहुत से मर जायेंगे जब तक कि पेन्शन रूल्स बनेंगे। आखिर यह चीज क्यों? मैं हर बार यह चीज कहता हूं और यह नोट भी किया जाता है लेकिन उसे कार्य रूप में परिणत नहीं किया जाता। यह तो उन पढ़े लिखे आदमियों की बात है जो कि सर्विस को बिलांग करते हैं। उन गरीब लोगों की जो पढ़े लिखे नहीं हैं और सरकारी दफ्तर तक को नहीं जानते, उनकी क्या गति होगी और क्या गति है, यह तो वे ही समझते होंगे।

*श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो कि वर्मा जी ने प्रस्ताव पेश किया है उसका तो समर्थन या धन्यवाद देने से मजबूर हूं, लेकिन एक बात जरूर है जिस पर मैं राज्यपाल जी को धन्यवाद देता हूं कि इस निकम्मी सरकार के जमाने में सन् १९५७, १९५८ और १९६० में जिस बात के लिये मुझे जेल काटनी पड़ी, वह एक अच्छा सा काम जरूर माननीय राज्यपाल जी ने किया और वह यह कि उन्होंने हिन्दी में अपना भाषण दिया, जिसके पीछे सन् १९५८-५९ में इस सदन से सोशलिस्ट पार्टी के सभी एम० एल० एज० को वाक आउट करना पड़ा था।

दूसरे मैं वर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत कमजोर मुकदमें को अपनी वकालत के जरिये जीतने की कोशिश की है। अब मैं आगे अपनी बात कहने जा रहा हूं।

माननीय राज्यपाल जी ने इस सरकार के पिछले कामों की जो कि उसने किये हैं, बहुत काफी तारीफ की और तारीफ उनको करना भी चाहिये लेकिन अगर थोड़ी सी बात वे इस सरकार की कमियों की भी बतला देते तो शायद मैं अपने दिल में तो उनको धन्यवाद दे ही देता। लेकिन कमियों की तरफ उन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया और किया क्या कि सरकार के पुराने कारनामे जो हैं, जो किये गये हैं उनकी तारीफ़ जरूर की। एक बात उन्होंने यह भी कही कि यह सरकार इस देश की भुखमरी दूर करने के लिये मछलियों की पैदावार बढ़ायेगी। और शराब की दुकानें खुलवा रही है। पूज्य बापू जी ने इन्हीं शराब की दूकानों पर हमसे पिकेटिंग करवाया था लेकिन यह सरकार उन शराब की दूकानों को और बढ़वा रही है एक तरफ तो यह सरकार कह रही है कि नशाबन्दी की जाय और दूसरी तरफ खुद नशे की चीजों की बिक्री बढ़ाती जाती है। पूज्य बापू की अहिंसा के नाम पर सरकार मछलियों के अंडे पैदा कर रही है।

(इस समय ४ बज कर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बालक राम]

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि माननीय राज्यपाल ने इस बात को कतई नहीं बताया कि इस सरकार ने लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि शहरों में कितनी बार गोली चलवाई। अंग्रेजी हुकूमत में कितनी बार २०० साल में गोली चली? परन्तु उससे दसियों गुना इस सरकार ने अपने दस बारह साल में गोलियां चलवाई हैं, उनका जिक्र माननीय राज्यपाल ने नहीं किया।

चौथी बात यह है कि माननीय राज्यपाल ने पुलिस विभाग की बहुत तारीफ की और कहा कि यह महकमा बहुत ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रहा है लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस सदन को और माननीय गृह मंत्री भी बैठे हैं उन को कि यह महकमा कितना निकम्मापन कर रहा है और शायद इससे ज्यादा इस प्रदेश में और कोई भी विभाग गद्दारी और मक्कारी न करता होगा। मैंने पिछले साल एक प्रश्न पूछा था कि कटरे कस्बे में एक दिन में १२ ताले तोड़े गये लेकिन सरकारी जवाब मिला कि सिर्फ एक चोरी हुई। होता यह है कि चोरी होती है और मालिक मकान जब रपट लिखाता है तो थानेदार कहते हैं कि किसी का नाम लो तो रपट लिखें या किसी पर शुबहा बताओ तब लिखें और अगर यह नहीं बताते तो रपट लिख कर ही क्या करें। इसी तरह से खुदागंज में एक दिन में ९ चोरियां हुईं, मैंने पूछा तो सवाल के जवाब में कहा गया कि एक भी चोरी नहीं हुई। दिन दहाड़े रहजनी होती है, एक एक दिन में २५-२५ आदमी लूटे जाते हैं, कटरे में ३ डकैतियां हुईं, एक में कत्ल भी हुआ लेकिन एक भी रपट नहीं लिखी गई। प्रश्न किया गया तो कहा कि कोई भी डकैती फिलहाल नहीं हुई है।

पुलिस करती यह है कि किसी गांव में चोरी हुई या डकैती हुई तो वह वहां जा कर जिसके पास १००-२०० या ५०० की जायदाद हुई उस को पकड़ कर ले जाती है और थाने ले जाकर मरपीट करती है और जब वह १००-२०० दे देता है तब उस को छोड़ दिया जाता है। यह पुलिस का हाल है। इस तरह से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और कागजों से सरकार और राज्यपाल जी समझते हैं कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है।

एक बात मैं शाहजहांपुर जिले के बारे में आबपाशी और लगान के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। ५ तारीख को बहुत बड़ी आंधी आई और वहां के ५० गांव एक दिन में जल गये और यहां जब बहुत शोर मचा और हम ने कोशिश की कि मंत्री जी अगर हमारी बात न सुनेंगे तो हम वाक आउट कर देंगे तो मंत्री जी ने कहा कि हम जायंगे और वहां जा कर देखेंगे, हम ने कहा कि आप जिस तारीख को चलें वह हमें बता दें क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी काफी गांव जले थे। ५० गांव जिला शाहजहांपुर में फुंके जिनमें एक तिहाई मेरे क्षेत्र में फुंके। मंत्री जी ने कहा कि बता देंगे, अभी नहीं जा पायेंगे, १४ तारीख के बाद जायेंगे। लेकिन मालूम हुआ कि यहां से उठे और मोटर में बैठ कर वहां चले गये। एक-दो गांव कलेक्टर ने दिखा दिये जहां थोड़ा नुकसान हुआ। एक-एक गांव में ५०-५० आदमी, बच्चे, औरत और १५०-१५०,२००-२०० जानवर मर गये। लेकिन मंत्री जी वहां देखने नहीं गये। उसके बाद रबी की फसल खराब हुई और बहुत शोर मचा तो छूट मिली। हाल यह है कि अभी तक तहसीलदार, पटवारियों और कानूनगो ने किसानों को पर्ची नहीं दी है। मैं २३ तारीख को आया था तो पता लगा कर आया, किसानों को पर्ची नहीं मिली है। अमीन लोग जबर्दस्ती लगान वसूल कर रहे हैं।

कटला में जो नहर कट गई थी उसमें आबदाया लगाया था। जांच हुई और वह आबदाया खत्म कर दिया गया। लेकिन उस की पर्ची नहीं मिली है और जबर्दस्ती वसूल किया जा रहा है। यह हाल है। लेकिन सरकार की तारीफ राज्यपाल जी करते हैं।

सहकारिता की बात कही। बढ़िया चीज है। लेकिन सहकारिता तब चलेगी जब देश में लोगों में ईमानदारी पैदा हो। अगर ईमानदारी नहीं है तो सहकारिता फेल होगी, इसमें कोई शक शुबहे की बात नहीं है। बड़े बड़े फार्म इस सरकार के खुले हुए हैं। जब बजट को देखा तो फार्म में घाटा दिखाई देता है। खाद भी मौजूद आबपाशी के साधन भी मौजूद काश्तकारों के हथियार भी मौजूद, सब कुछ साधन मौजूद हैं और वहां घाटा होता है और सहकारी खेती करने के चाहते हैं कि पैदावार बढ़े। यह बढ़ने से रही। नहीं बढ़ सकती जब तक कि

ईमानदारी नहीं होगी। हां, यह हो सकता है कि सहकारी खेती कर के कुछ थोड़े से चाचा, ताऊ, भाई, भतीजों को मैनेजर बनाकर उनका इंतजाम सरकार कर दे। लेकिन सहकारिता कामयाब नहीं होगी। तब कामयाब होगी जब पहले देश की जनता को ईमानदार और सच्चा बनाया जाय। लेकिन जनता ईमानदार कब बनेगी? जबकि पहले ऊपर वाले ईमानदार बनें। अगर सुपरिन्टेन्डेन्ट ईमानदार नहीं तो थानेदार हरगिज नहीं ईमानदार बन सकता। थानेदार ईमानदार नहीं तो चपरासी हरगिज नहीं बन सकता और चपरासी नहीं तो चौकीदार किसी भाव ईमानदार नहीं बन सकता। इसलिये ऊपर से ईमानदारी चले तब नीचे के लोगों पर पहुंचेगी।

एक बात और बताऊं। पैदावार बढ़ाने के लिये बहुत कुछ जोर दिया गया। लेकिन बढ़े कैसे? वह तो तब बढ़ सकती है जब काश्तकार के पास खेती करने के लिये साधन मौजूद हों। वहां तो जो कुछ पैदा किया वह बैसाख में सस्ते दामों में बिक गया। क्यों बेच देता है? बैसाख का महीना आता है तो लगान, आबपाशी का पूरा भार पड़ता है, घर में ब्याह शादी है तो उसका पूरा खर्च, यार दोस्त, रिश्तेदार के यहां शादी विवाह है तो उसकी भी मदद करनी है, मकान गिर गया, बरबाद हो गया तो उसकी भी बैसाख के महीने में देख भाल करनी है बैल कमजोर हो गया तो उसे भी देखना है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुझे दो मिनट और दे दें.....

श्री अध्यक्ष--दो मिनट तो आपके हैं ही।

श्री बालकराम--तो काश्तकार को मद्दे दामों में बेंच देना पड़ता है और फिर उसके बाद जब दो तीन महीने बीतते हैं तो वही गल्ला जो १२ रुपये मन में बेचा है वह २४,२५ और २८ रुपये मन में खरीदना पड़ता है।

सोशलिस्ट पार्टी ने जो दाम नीति बतायी थी उसके माने यही थे कि अगर सरकार दाम निश्चित कर दे तो छोटे से छोटा किसान और मजदूर पेट भर खा सकेगा। मजदूर को तनख्वाह मिलती है १२ आना रोज बैसाख के महीने में जब कि १२ रु० मन अनाज बिकता है। लेकिन फागुन और चैत में भी जब दाम अनाज के महंगे होते हैं तब भी उसे १२ आना ही मिलते हैं। तो कैसे काम चले। काश्तकार के पास कोई साधन नहीं है जिससे अपनी पैदावार बढ़ा सके। पैदावार तभी बढ़ेगी जब सरकार उसको साधन उपलब्ध कराये। सरकार ने ब्लाक खोले लाखों रुपया खर्च हुआ लेकिन वह रुपया जाता कहाँ है। सब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह मोटर के पेट्रोल में जाता है। एक तहसील का तहसीलदार मालिक होता है उसको तो एक साइकिल भी सरकार की तरफ से नहीं मिलती, लेकिन एक तहसील में जहां ४,४ ब्लाक हैं वहां बी०डी०ओ० को मोटर मिलती है। तिलहर में बी० डी० ओ० का मकान कार्यालय से २० कदम पर है लेकिन वह घर पैदल न जाकर मोटर पर जाता है। मालूम मुझे इसलिये है कि उसी जगह पर मैंने भी एक कमरा ले रखा है और जब जाता हूं तो देखता हूं। इसकी जांच की जाय। सब पैसा यों ही खर्च हो जाता है किसान के पास उसका दसवां हिस्सा भी नहीं पहुंचता यही कारण है कि उसकी पैदावार नहीं बढ़ती है। जब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी तब तक देश और प्रदेश की हालत नहीं सुधर सकेगी आप अपने लिये चाहे कितनी सुख सुविधा का प्रबन्ध कर लीजिये। जो खतरा आपको बार्डर पर दीखता है उससे आप बच नहीं सकेंगे अगर किसान की हालत नहीं सुधरी, उसकी पैदावार नहीं बढ़ी।

***श्री रघुवीरसिंह** (जिला मेरठ)--अध्यक्ष महोदय राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। भाषण में सरकार की तरफ से पिछले कई सालों में जो विकास के कार्य हुये हैं उनके संबंध में काफी चर्चा की गई। इसके साथ-साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुवीर सिंह]

आगे के लिये तृतीय योजना में किस ढंग से काम होगा उसकी तरफ भी इशारा किया गया है। अगर हम पिछले ११ सालों में सरकार द्वारा किये हुये कामों को देखें तो सरकार धन्यवाद की पात्र है।

जहां तक देश और प्रदेश की कृषि के मामले में स्वावलम्बी बनाने की बात है वह बहुत ही आवश्यक और जरूरी चीज है सारे देश के लिये और प्रदेश के लिये। वैसे अगर भाषण को पढ़ें और सरकारी किताबों को देखें तो यह पता चलता है कि सरकार ने कृषि के लिये बहुत बड़ा काम किया है, आबपाशी के काफी साधन जुटाये हैं, नहरें निकाली हैं, हजारों की तादाद में ट्यूबवेल लगाये हैं, बिजलीघर और दूसरे किस्म के बांध बनाये हैं। यह सब खेती के लिये ही हो रहा है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान एक विशेष बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर वह पिछले सालों का ब्योरा देखे तो नयी जमीन भी काफी तादाद में तोड़ी गयी है, किसानों को बीज देने की जहां तक बात है तो हर साल उसकी तादाद बढ़ती ही जाती है और किसानों को जहां रहट और कुयें वगैरह बनाने की जरूरत होती है इस सिलसिले में भी सरकार ने काफी रुपया खर्च किया है, जो ग्राम विकास योजनायें या राष्ट्रीय विकास सेवा खंड वगैरह हैं वे भी इसी वास्ते खोले गये हैं कि किसानों की तरक्की हो, लेकिन यह सब करने के बाद भी और इतना धन खर्च करने के बाद भी अगर हम यह देखें कि किसानों या गांवों की क्या तरक्की हुई है तो हम देखते हैं कि बजाय तरक्की के गांव वालों की आमदनी घटी है।

इसके अलावा अगर शहरों की तरफ देखें तो शहर वालों की आमदनी बराबर बढ़ती जा रही है और ऐसी हालत में बढ़ती जा रही है जबकि गांव के काफी लोग शहर में आ कर बस रहे हैं। इसके साथ साथ परकैपिटा आमदनी शहर में बढ़ती जा रही है और गांव में घटती जा रही है। इसलिये हमें इस पर ध्यान देना है कि इतना सब करने के बाद भी जो किसान को और खासतौर से गांव वालों की आमदनी कम है तो इसका क्या विशेष कारण है। इसमें एक कारण प्राकृतिक प्रकोप भी हो सकता है, जैसे ज्यादा बारिश होना, बाढ़ का आ जाना, ओले का पड़ जाना फसलों में कीड़े का लग जाना। लेकिन मैं समझता हूं कि इनके अलावा और भी कारण मौजूद हैं जिनको सरकार अच्छी तरह से दूर कर सकती है और किसान की आमदनी को बढ़ा सकती है। मैं तो एक ही चीज आपके सामने रखना चाहता हूं।

सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग अपने हाथ में ली और जो गल्ला किसान के यहां पैदा होता है केवल उसी के लिये सरकार ने यह किया। उससे काफी राहत उन लोगों को मिली जिनको गल्ले की आवश्यकता होती है और गल्ले के भाव काफी नीचे गिरे। लेकिन इसके साथ साथ जो औद्योगिक उत्पादन की चीजें हैं, जैसे लोहा, कपड़ा वगैरह उनकी कीमत कई गुना ऊपर चढ़ गयी। तो जब औद्योगिक चीजों की कीमत बढ़ती जाय और कृषि उत्पादन की कीमत घटती जाय तो किसान की हालत किसी तरह से ठीक नहीं हो सकती। इसलिये जरूरत इस बात की है कि स्टेट ट्रेडिंग सब चीजों पर लागू की जाय और जो कृषि और औद्योगिक उत्पादन की कीमतों में असमानता है उसको दूर किया जाय। यही किसान के उद्धार का एक मुख्य कारण हो सकता है।

दूसरे मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आबपाशी के साधनों के विकास का जहां तक ताल्लुक है मैंने बताया कि काफी तादाद में उनको बढ़ाया गया है और बिजली की पैदावार को भी बढ़ाया गया है लेकिन गंगा ग्रिड के अन्दर मेरठ और उसके आसपास के जिलों में पिछले ८--१० महीनों में जो ट्यूबवेल २४ घंटे चलने चाहिये वे ४ या ६ घंटे से ज्यादा नहीं चल पाते। तो कैसे खेती की पैदावार बढ़ेगी? आप कितनी ही खाद बांटे, बीज दें लेकिन अगर ट्यूबवेल नहीं चलेंगे तो वह खाद बजाय फायदे के नुकसान करेगी क्योंकि खाद के बाद पानी की और ज्यादा आवश्यकता होती है।

ईख की बुवाई जब शुरू होती है तो उसके लिये कम से कम चार पानी की आवश्यकता होती है लेकिन एक भी पानी नहीं मिल पाता ह। जब ऐसी हालत है तो कैसे हमारे यहां की पैदावार बढ़ सकेगी और किस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। मैं इस तरफ सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपने प्रदेश को खाने के मामले में स्वावलम्बी बनाने के लिये और कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये सब से पहले इस बात की आवश्यकता है कि सारे साधनों को जुटा कर के खेती को बढ़ाया जाय। इसके लिये किसान को पानी की सब से ज्यादा जरूरत है। अगर उसको ठीक समय पर पानी मिल जाय तो फिर उसको आपकी तकावी और कर्ज वगैरह किसी भी चीज की जरूरत बाकी नहीं रहेगी।

श्रीमन्, मैं पश्चिमी जिले की बात कहता हूं कि हमारे यहां किसान अपनी खेती में बड़ी मेहनत करता है। यहां तक कि औरत, मर्द और बच्चे सभी दिन रात मेहनत करते है। वह सिर्फ पानी चाहते है और कुछ नहीं चाहते है। ट्यूबवेलों की यह हालत है कि पानी के लिये हमेशा रोना रहता है। यमुना कैनाल से पानी नहीं मिलता है। जाड़ों में जब पानी की आवश्यकता नहीं रहती तब जरूर मिल जाता है। बाकी और मौसम में पानी नहीं मिल पाता है। काफी दिन पानी बन्द रहकर तब कहीं एक हफ्ते के लिये नदी चलती है। यमुना हाइडिल की जो योजना स्वीकार की गई है उससे काफी पानी मिल सकेगा। इसके लिये मैं सरकार को और विभाग को धन्यवाद देता हूं।

दूसरे, मैं माननीय सदस्यों का तथा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गांवों में ए० डी० ओ० की जगह पर तथा चकबन्दी के काम में ऐसे कर्मचारियों को भेजा जाता है जिनके बाप दादे तक कभी गांवों में नहीं रहे। उनको जमीन की किस्म तक का पता नहीं होता। ऊसर है, बलुई है या कैसी है। चकबन्दी का सारा दारोमदार इस बात पर होता है कि जमीन की कीमत ठीक लगाई जाय। लेकिन जब यह लोग जमीन की किस्म से ही वाकिफ नहीं हैं तो कीमत कैसे लगा सकते है। इससे कठिन समस्या पैदा हो जाती है और किसानों को बड़ी दिक्कत होती है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय ने जो जिला परिषद् की बात कही है उसके लिये मैं उनको तथा सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि जब तक गांव के स्तर पर, ब्लाक के स्तर पर शक्ति नहीं दी जायगी तब तक सारी दिक्कतें और कठिनाइयां दूर नहीं होंगी। इसके सम्बन्ध में एक बिल हमारे सामने आने वाला है। इससे गांव वालों में आनन्द की लहर दौड़ रही है। इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार है उसको दूर करन में तथा और जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने में हमें काफी मदद मिलेगी। इसमें ब्लाक लेविल पर जो कल्याण समिति या कृषि समिति बनाने का जिक्र है। कृषि समिति दो साल से बनी हुई है लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं है। वह तो एक ऐडवाइजरी बाडी है। वह सलाह देती है, चाहे कोई माने या न माने, कोई उस पर अमल करे या न करे। इन समितियों में यह देखने में आया कि प्रार्थना करने के बाद और प्रस्ताव करने के बाद भी कुछ विभाग ऐसे हैं जैसे विशेष तौर पर मैं रेवन्यू विभाग और सिंचाई विभाग का जिक्र करूंगा, वहां पर लेखपाल बार-बार बुलाने पर भी नहीं आता। अब हर कमेटी में लेखपाल की आवश्यकता होती है। उसके बिना बहुत सा काम रह जाता है लेकिन वह नहीं आता। इसी तरह नहर विभाग के कर्मचारी भी बहुत कम इन कमेटियों में आते हैं जिससे इनके काम में बहुत ही कठिनाई होती है। तो मैं सुझाव दूंगा कि उन कमेटियों को इस तरह का अधिकार आप दें कि अगर वह ऐसा करें और न आयें तो कमेटियां उनके खिलाफ कोई ऐक्शन ले सकें और वह उन पर हावी हो सकें।

मैं एक बात सिर्फ और कहना चाहता हूं और वह यह है कि कुछ योजनायें ऐसी हैं जैसे समाज-कल्याण योजना, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज योजना और और भी छोटी-छोटी योजनायें ह जिन पर कि करोड़ों रुपया खर्च होता है, उनके लिये मेरा तो सुझाव यह है कि उन सब योजनाओं को स्थगित किया जाय और इन्टेंसिव कल्टीवेशन के साथ-साथ इन्टेन्सिव इरीगेशन का इन्तजाम

[श्री रघुवीर सिंह]

किया जाय। उस रुपये को आप इस तरह अन्नोत्पादन में लगायें तो उससे खेती की पैदावार काफी बढ़ेगी और हमारी यह दिक्कत और कठिनाई दूर हो जायगी। साथ ही साथ जो ऐसे मुहकमें हैं जैसे आपका सिंचाई विभाग है या कृषि विभाग है इनमें मैं समझता हूं कि किसानों को प्राथमिकता दी जाय क्योंकि जो नये नये लोग वहां जाते हैं उन्हें न तो खेती के बारे में कोई जानकारी होती है न कोई तजुर्बा होता है। इसलिये उसमें काफी दिक्कत पैदा होती है। इन विभागों में जो किसान खेती करते हैं उनको प्राथमिकता दी जायगी तो वह उस कार्य को समझते हैं, उनको उसका ज्ञान होता है उससे उस काम में काफी तरक्की होगी। तो खेती की तरक्की के लिए जहां इन्टेन्सिव कल्टीवेशन की जरूरत है वहां इन्टेन्सिव इरीगेशन की भी जरूरत है। मेरा ख्याल है कि अगर किसान को पूरी सुविधा आबपाशी की दी जाय तो चार पांच साल में ही हमारा देश गल्ले में आत्मनिर्भर हो जायगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल के सम्बोधन पर और वर्मा जी द्वारा धन्यवाद का प्रस्ताव और उसके विरुद्ध हम लोगों की तरफ से जो संशोधन दिये गये हैं, उन पर जो विवाद हो रहा है कल से ही मैं उसे बड़े गौर से सुन रहा हूं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि गलती तो वह स्वीकार करते हैं लेकिन इस गलती के पक्ष में माफी मांगना चाहते हैं। यह कहते हैं कि मजबूरी है इसलिये सरकार ने ऐसा किया। मैं ऐसा समझता हूं कि मजबूरी में भी अगर गलती की जाय तो क्षमा-योग्य नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार के सामने मजबूरी क्यों है? आप जनता को क्यों धोखे में डालते हैं? जब मजदूर हड़ताल करता है तो कहा जाता है कि देश पर हमला हुआ है। जवाहरलाल जी से जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमला नहीं है यह तो सीमा विवाद है। इसका क्या अर्थ आम लोग समझें, यह आप ही बतायें। यह कहा जाता है कि मजदूर हड़ताल करता है तो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिये।

अध्यक्ष महोदय, अहिंसात्मक हड़ताल किसी सरकार को उलटने का प्रयास नहीं, वह तो इसलिये की जाती है कि सरकार अपनी नीति पर सोचे, मजदूरों की जो स्थिति है उस पर सही विचार करे और जो सही स्थिति है उसके मुताबिक उसको पारितोषिक दे। अध्यक्ष महोदय, संयोग से मैं गिरफ्तार नहीं था, क्योंकि हमारी पार्टी की कोई नीति पार्टी लाइन पर भाग लेना नहीं थी, लेकिन हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कुछ लोग गिरफ्तार हुए। अशोक जी ने भी कहा है कि यह हड़ताल सरकार के उलटने का प्रयास नहीं है। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिये कि यदि अहिंसात्मक तरीके से कोई अपनी मांगों को रखता है तो सरकार भी उनके सामने अपनी विपत्ति को रखे और उनकी मांगों को सुने।

मैं समझता हूं कि इस देश का कोई भी निवासी राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र का विरोधी नहीं है। सभी चाहते हैं कि भारत हमारा है और हमारा रहे और यह भी चाहते हैं कि हम इस देश में सुख से रहें। तो सुख से रहने के लिये अगर कोई कोशिश करे तो वह अपराधी नहीं, राष्ट्रद्रोही नहीं। बम्बई में व्यक्तिगत उद्योगों का मजदूर अगर ११० रुपया पाता है और अभी जो पे कमीशन नियुक्त किया गया है चूर्क सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिये उसने ९५ रुपये मिनिमम वेतन देने का निश्चय किया है, तो मैं इस सरकार से कहूंगा कि या तो पे कमीशन नियुक्त न करे और अगर करें तो उसकी बात माने। जब कोई विवाद खड़ा होता है तो सरकार कहती है कि एक कमीशन नियुक्त कर दो। अगर वह कमीशन तय करता है कि कम से कम इतनी मजदूरी हो उसके जीवन यापन के लिये, तो सरकार कहती है कि हमारे बजट में इतना पैसा नहीं है। आज इस देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इतना वेतन दे सकूं। दूसरी तरफ सरकार अपने खर्चे को बढ़ाती चली जाती है। इस सरकार के जितने आज पदाधिकारी हैं, या और तो छोटे या बड़े अधिकारी हैं वह हर आदमी यह समझ रहा है कि आज लूटने का

समय है। इस सरकार से नाजायज फायदा उठाने की बात हर कर्मचारी आज सोच रहा है। आप जहां भी जाइये वही हालत मिलेगी। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहता लेकिन यह सुनने में आया है कि अगर मजदूरों का वेतन बढ़ जाय तो रेल का किराया बढ़ जायगा और जनता पर टैक्स बढ़ जायगा लेकिन वही जनता यह भी सोचती है कि उसके ऊपर कितना टैक्स का भार है और कितना बोझ उसके ऊपर बढ़ रहा है।

इस प्रकार से भ्रामक प्रचार करके जनता को धोखे में यह सरकार डाल रही है। सरकार को इस नीति को बदलना चाहिये। मैं फिर यह कहूंगा कि सरकार की आर्थिक नीति सही नहीं है। न तो इस सरकार की कृषि की नीति सही है और न कोई प्लानिंग इस सरकार के सामने है। हमारे जितने ट्रेजरी बेन्चेज के सदस्य हैं वह अपने भाषणों में इस बात को कबूल कर चुके हैं कि सरकार की नीति गलत है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जमींदारी अबालिशन के बाद किसानों के जो पहले अधिकार थे, वह अब क्यों कम कर दिये गये हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि जमींदारी अबालिशन के पहले जो लगान काश्तकार देते थे उससे अब क्यों अधिक लिया जा रहा है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि जमींदारी अबालिशन के पहले काश्तकार की गिरफ्तारी लगान न देने पर नहीं होती थी लेकिन अब क्यों उनको गिरफ्तार किया जाता है?

आज गौरीशंकर राय जी ने एक सवाल उठाया उसके लिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उसको स्वीकार किया? मैं जानता हूं कि कई वर्ष का लगान किसानों से आज वसूल किया जा रहा है। माननीय माल मंत्री कहते हैं कि एक साल का वसूल किया जाता है। आप इसको नोट कर लें कि बेलवा बुजुर्ग में ३ नम्बर आराजी जमींदारी विनाश के पहले जमन ११ अ० अतिया माफी थी। तहसील पडरौना जिला देवरिया में खाता नम्बर २६ जमींदारी अबालिशन के बाद वह भूमिधरी हो गई उस पर लगान ५ रुपये ७७ नये पैसे कायम हुआ और वह लगान अभी तक ५ रुपया ७७ नये पैसे दिया जाता है। बाद को २ नम्बर जोत में परिवर्तित हो गये। सी० एल० आर० डी० ने रिपोर्ट दी कि फिर जमींदारी अबालिशन के बाद से इस पर लगान पुनः कायम किया जाय। उसके अनुसार ६ रु० ३१ नये पैसे दो नम्बर का और पहले का ५ रुपया ७७ नये पैसे, दोनों जोड़ कर १२ रुपये कुछ नये पैसे ७ साल का लगान एक साल में किसानों से वसूल किया जा रहा है।

पहले तो तीन साल के बाद बकाया लगान खत्म हो जाता था लेकिन इस सरकार के जमाने में ७ साल का लगान वसूल लिया जा रहा है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह सरकार कृषि विरोधी है। गरीबों की विरोधी है इस वजह से कि सरकार की कोई नीति सही नहीं है। पहले कहा जाता था कि जमींदारी अबालिशन इसलिये किया जा रहा है कि इससे पैदावार बढ़ जायगी। चकबन्दी के लिये कहा जाता है कि वह इसलिये की जारही है कि उससे उत्पादन बढ़ जायगा लेकिन आज जनता चकबन्दी से मर रही है। मैंने देखा गोंडा में चकबन्दी हो रही है। वहां पर ५ वर्ष में जो पेड़ १०० रुपये का हो सकता था उसको इस वजह से काटा जा रहा है कि पता नहीं वह किसका हो जायगा। इस प्रकार राज्य की सम्पत्ति का अपव्यय हो रहा है।

इस चकबन्दी से उत्पादन नहीं बढ़ेगा बल्कि लोगों की परेशानी बढ़ेगी। जवाहरलाल जी ने कहा कि सहकारी खेती करो उससे उत्पादन बढ़ेगा। इसी तरह से सहकारी खेती के बारे में भी समझा जा सकता है। इसलिये मैं कहता हूं कि कोई जमींदारी अबालिशन का समर्थन करता है। कोई कहता है कि चकबन्दी हो जाय तो उससे उत्पादन बढ़ जायगा और कोई सहकारी खेती की आवाज उठाता है और कोई ५ गट्टे का भूमिधर बनकर उसको बेचने की फिक्र में है तब क्या सही माना जाय। इसलिये मैंने कहा कि सरकार की कोई एक नीति नहीं है जिससे भूमि सुधार की समस्या सुलझ सके। यह भी कहा जाता है कि टुकड़े-टुकड़े होने से जमीन बच जायेगी, जमीन इस तरह से नहीं बच

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

सकती। अध्यक्ष महोदय, काबिज के नाम जो इन्दराज होता है वह लेखपाल द्वारा ३ वर्ष तक इन्दराज करने के बाद असल काश्तकार के नाम खारिज होकर काबिजदार के नाम वह आराजी होती है। यह सरकार का दिवालियापन नहीं है तो क्या है?

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२७ जुलाई, १९६०।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२० पर)

१—प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में समस्त प्रदेश में खोले गये स्कूलों की संख्या ।	१—जूनियर बेसिक विद्यालय ..	१,३०९
	२—सीनियर बेसिक विद्यालय	५४
	३—उच्चतर मा० विद्यालय ..	१२
	योग ..	१,३७५
२—उक्त योजना काल में बार्डर एरिया (उत्तर काशी, चमोली तथा पिथौरागढ़) में खोली गयी संस्थाओं की संख्या जो उत्तराखंड में स्थित हैं ।	१—जू० बेसिक विद्यालय ..	१६७
	२—सीनियर बैसिक विद्यालय	२
	३—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	२
	योग ..	१७१

	पिथौरागढ़	चमोली	उत्तरकाशी	योग
१—जू० बेसिक विद्यालय	४९	१०९	९	१६७
२—सी० बे० विद्यालय	—	१	१	२
३—उ० मा० विद्यालय	२	—	—	२
योग ..	५१	११०	१०	१७१

३—समस्त प्रदेश में—

(अ) द्वितीय पंचवर्षीय काल में खुली हुई संस्थाओं की संख्या	१—जू० बेसिक विद्यालय ..	७,७९१
	२—सी० बेसिक विद्यालय ..	५३३
	३—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ..	२५८
	योग ..	८,५८२
(ब) तथा उत्तराखंड में खुली संस्थाओं की संख्या पृथक-पृथक ..	१—जू० बेसिक विद्यालय ..	१९८
	२—सी० बेसिक विद्यालय ..	१९
	३—उ० मा० विद्यालय ..	४
	योग ..	२२१

	पिथौरागढ़	चमोली	उत्तरकाशी	योग
१—जू० बेसिक विद्यालय	६६	७८	५४	१९८
२—सीनियर बेसिक स्कूल	७	९	३	१९
३—उच्चतर मा० स्कूल	१	२	१	४
योग ..	७४	८९	५८	२२१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२ पर)

नाम योजना	रुपया जो दिया गया	व्यक्तियों की संख्या	कुंए अथवा नलकूप जो बने
१	२	३	४
पक्के कुंए ..	..	९,६०,७१५	२,०५५	८६९
नलकूप ..	..	५,६५,२५०	१२०	६३

अपर पदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२४ पर)

उत्तर प्रदेश की व्यापारिक संस्थाओं या धन्धों का नाम तथा शेयर्स संख्या	लगी हुई धन राशि	१९५९ में सरकार को प्राप्त लाभांश का विवरण
	रुपया	
१—सर्वश्री रामपुर इन्जीनियरिंग कम्पनी लि०, रामपुर .. .. .. (१ रु० के १०,००० शेयर्स)	१०,०००	
२—सर्वश्री रामपुर इंस्ट्रीज लि०, रामपुर .. (१०० रु० के १,००० शेयर्स तथा १ रु० के ३,९५५ शेयर्स)	१,३५,९५०	
३—सर्वश्री रामपुर डिस्टलरी एण्ड कैमिकल कम्पनी लि०, रामपुर .. .. .. (१० रु० के १०,२०० शेयर्स)	१,०२,०००	
४—सर्वश्री रजा टेक्सटाइल लि०, रामपुर .. (१०० रु० के ४,०८८ शेयर्स)	७०,३८०	
५—सर्वश्री रामपुर मेज प्रोडाक्ट्स लि०, रामपुर .. (१० रु० के १२,००० शेयर्स)	१,२०,०००	बन्द है।
६—सर्वश्री मार्डन मेटल इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लि०, रामपुर .. .. .. (१०० रु० के २, ००० शेयर्स)	२,००,०००	बन्द है।
७—सर्वश्री रामपुर डेयरी फार्मस लि०, रामपुर .. (१० रु० के २,५०० शेयर्स)	२५,०००	अपाकरण में है।
८—सर्वश्री जान मेच कम्पनी लि०, रामपुर .. (१० रु० के २,५०० शेयर्स)	२५,०००	अपाकरण में है।
९—सर्वश्री रामपुर टेनरी एण्ड मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०, रामपुर .. .. (१० रु० के ३०,००० शेयर्स—७५ प्रतिशत paid अर्थात १/४ धनराशि बाकी)	२,२५,०००	बन्द है।
१०—सर्वश्री ग्रेट इस्टर्न एलेक्ट्रोप्लेटर्स लि०, इलाहाबाद (१०० रु० के ७०० तथा २५ रु० के २०० शेयर्स)	७५,०००	डिवीडेंड का एलान हुआ है। परन्तु धन की राशि ज्ञात नहीं और न कोई धन अभी प्राप्त हुआ है।
११—सर्वश्री पायनियर लि०, लखनऊ .. (१०० रु० के ५० शेयर्स)	५,०००	

उत्तर प्रदेश के व्यापारिक संस्थाओं या धन्धों का नाम तथा लगी हुई धन राशि शेयर्स संख्या		१९५९ में सरकार को प्राप्त लाभांश का विवरण
	रुपया	रुपया
१२--सर्वश्री यू० पी० फाइनेन्शियल कारपोरेशन, कानपुर .. .. .. (१०० रु० के ५५,४१५ शेयर्स)	५५,४१,५००	१,९३,९५२
१३--सर्वश्री इन्डियन टर्पेंटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लि०, बरेली .. .. .. (१० रु० के ६,०,००० तथा ५ रु० के २३,१०० शेयर्स)	७,१५,५००	४१,५५०
१४--सर्वश्री इन्डियन बाबिन कम्पनी लि०, बरेली .. (१० रु० के १०,३२५ तथा ३ रु० के १२,७१० शेयर्स)	२,११,३८०	बन्द है।
१५--सर्वश्री बाजपुर सहकारी चीनी फैक्टरी, बाजपुर	१९,९९,८००	
१६--सर्वश्री बागपत सहकारी चीनी मिल्स, बागपत	१४,९९,७००	निर्माण-काल
१७--सर्वश्री किसान सहकारी शुगर फैक्टरी, सरसावा	१५,००,०००	निर्माण-काल
१८--सर्वश्री उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि०, कानपुर .. .. .. (१०० रु० के १२,५०० शेयर्स)	१२,५०,०००	
१९--सर्वश्री भारतीय एन्ड केमिकल इन्डसट्रीज लि०, आगरा .. .. .. (१०० रु० के १,००० शेयर्स)	१०,०००	
२०--सर्वश्री सहारनपुर कोल्ड स्टोरेज लि०, सहारनपुर .. .. .. (१० रु० के ५०० शेयर्स)	५,०००	
२१--सर्वश्री संसार बनारस लि०, वाराणसी .. (१०० रु० के १५० शेयर्स)	१५,०००	
२२--सर्वश्री कानपुर टेनरी लि०, कानपुर .. (१० रु० के १,००० साधारण तथा ५०० बेफर्ड तथा १०० रु० के १०० प्रिफरेन्स शेयर्स)	२५,०००	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर)

क्रम-संख्या	वर्ष	अनुदान की धनराशि रु०	कार्य जिस हेतु अनुदान दिया दिया गया।	कार्य पूर्ण हुआ अथवा नहीं
१	२	३	४	५
		नगरपालिका, बहेड़ी		
		अनुदान		
१	१९५७–५८	४,२००	सड़कों के अनुरक्षण तथा नवीकरण हेतु।	कार्य पूर्ण हो हो गया।
२	१९५७–५८	२,०००	सफाई सम्बन्धी सामग्री खरीदने हेतु।	सामग्री खरीद ली गयी।
३	१९५७–५८	२४	क्षति पूरक अनुदान	(Compensatory grant in lieu of fines)
४	१९५८–५९	६,०००	सड़कों के अनुरक्षण नवीकरण हेतु।	अभी पूर्णतया उपयोग नहीं हुआ।
५	१९५८–५९	४	क्षतिपूरक अनुदान	
		ऋण		
१	१९५७–५८	..	..	..
२	१९५८–५९	१,००,०००	जल–वितरण योजना हेतु	कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।
		नगरपालिका, फरीदपुर		
		अनुदान		
१	१९५७–५८	४,२००	सड़कों के अनुरक्षण, नवीकरण हेतु	कार्य पूर्ण हो गया।
२	१९५७–५८	५	क्षतिपूरक अनुदान।	
३	१९५८–५९	४,५००	सड़कों के अनुरक्षण,नवीकरण हेतु	कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ।
४	१९५८–५९	१७	क्षतिपूरक अनुदान	

ऋण

नगरपालिका फरीदपुर को सन् ५७–५८ तथा ५८–५९ में कोई भी ऋण नहीं दिया गया।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२७ पर)

उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिला इलाहाबाद में १९५९-६० में ऋण अनुदान पाने वाले व्यक्तियों की संख्या

क्रम-संख्या	योजना का नाम	केवल ऋण पाने वालों की संख्या	केवल अनुदान पाने वालों की संख्या	ऋण व अनुदान दोनों पाने वालों की संख्या
१	ऋण व अनुदान योजना (ऋण व अनुदान समिति द्वारा)	८	७	..
२	ऋण व अनुदान योजना (जिलाधीश द्वारा)	३१	..	..
३	उदार ऋण योजना (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा)	३	..	..
४	पिछड़े क्षेत्रों की योजना	१६	९	..
५	खादी व ग्रामोद्योग योजना	३	२	९
६	सघन विकास योजना	..	१४२	..
७	हस्तकला योजना	२	..	..
	योग ..	६३	१६०	९
	कुल योग	२३२ व्यक्ति		

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२७ पर)

१—श्री अली कबीर, आई० पी० एस०
२—श्री एन० सी० मिश्र, आई० पी०
३—श्री गोपीकृष्ण हांडू, आई० पी०
४—श्री बी० एन० भल्ला, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस
५—श्री एम० चक्रवर्ती, सहायक सचिव, वित्त विभाग
६—श्री राज किशोर लाल, ट्रेजरी आफिसर, बस्ती
७—श्री बी० डी० जैनी, डिप्टी लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर
८—श्री एस०एस० नेगी, पी०एफ० एस० (Provincial Forest Service)
९—श्री वी० नैटियाल, पी० एफ० एस०
१०—श्री रघुवंस सहाय, पी० एफ० एस०
११—श्री डी० के० भारद्वाज, पी० एफ० एस०
१२—श्री एम० एस० विस्ट मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण-विभाग
१३—श्री मुनीश्वर लाल, सहायक अभियंता
१४—श्री यम०एस० बाराठोकी, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर आफ एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज
१५—श्री जी० एस० माथुर, नियोजन आफसर (Liaision Officer) विद्युत विभाग
१६—श्री त्रिलोक दास सेठ, तहसीलदार
१७—श्री मजीद अली, तहसीलदार
१८—श्री सी० एस० गोन, प्रधान कारागार निरीक्षक के निजी सहायक
१९—श्री बी० एन० सिंह, क्राप फिजिओलोजिस्ट (Crop Physiologist)
२०—श्री विक्टर सेन, डाइरेक्टर आफ फूड यूटिलाइजेशन (Director of Fruit Utilisation)
२१—श्री प्रयाग नारायण, अधिसासी अभियंता ((Superintending Engineer) सिंचाई विभाग
२२—श्री अब्दुल जलील खां, आई० ए० एस०
२३—श्री राधा कान्त, आई० ए० एस०
२४—श्री रामरूप सिंह, आई० ए० एस०
२५—श्री लाल वीरेन्द्रप्रताप साही, आई० ए० एस०
२६—श्री विनोद चन्द्र शर्मा, आई० ए० एस०
२७—श्री जहूरुल हसन, आई० ए० एस०
२८—श्री जे०यन० उग्रा, आई० ए० एस०
२९—श्री विश्वनाथ प्रसाद, जिला जज
३०—श्री गोपाल सिंह, जिला जज

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२८ पर)

उन अधिकारियों की सूची जिन्हें बांदा जिले में रहते तीन साल हो गये हैं

१--श्री रमा शंकर सिंह, बी० डी० ओ०, महुआ ।

२--श्री डी० एम० खरबंडा, असिस्टेन्ट इंजीनियर, केन कैनाल डिवीजन (१०-१-६० से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) ।

३--डाक्टर जी० एल० तूली, मेडिकल आफिसर जेल और पुलिस अस्पताल, बांदा (२१-६-५८ से) ।

४--डाक्टर एस० के० शर्मा, मेडिकल आफिसर नरैनी डिस्पेंसरी ।

५--डाक्टर अशरफुज्जमां, मेडिकल आफिसर, मानिकपुर डिस्पेंसरी ।

६--डाक्टर ए० एस० सेठी, असिस्टेन्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२८ पर)

क्रम-संख्या	जिले का नाम	वितरित ऋण की धनराशि रु० न० पै०
१	२	३
१	मेरठ	४,२१,२१५.००
२	देहरादून	१,२४,४८१.००
३	सहारनपुर	२,१८,८००.५०
४	मुजफ्फरनगर	१,५९,२७०.००
५	बुलन्दशहर	१,७६,७७७.५०
६	अलीगढ़	४,११,५२५.००
७	मथुरा	३,०३,४५७.००
८	आगरा	२,७३,८०५.००
९	एटा	१,२२,९२८.५०
१०	मैनपुरी	१,६१,५७५.००
११	इलाहाबाद	३,६२,६७७.५०
१२	फतेहपुर	९१,२६६.००
१३	कानपुर	८,४६,८३१.१५
१४	फर्रुखाबाद	२,२८,०२५.५०
१५	इटावा	२,१५,७०९.०९
१६	झांसी	२,५३,४००.००
१७	हमीरपुर	७७,१९७.५०
१८	बांदाँ	८९,२७५.००
१९	जालौन	५०,७८१.००
२०	वाराणसी	२,४३,६८०.००
२१	मिर्जापुर	१,२९,५१२.५०
२२	जौनपुर	१,५०,४९३.५०
२३	गाजीपुर	१,३३,७२५.५०
२४	बलिया	१,३५,६५०.००
२५	गोरखपुर	१,१३,७८८.००
२६	बस्ती	९१,८८८.००
२७	आजमगढ़	८८,०८५.००
२८	देवरिया	१,९५,८६१.००
२९	बरेली	२,२४,४००.५०
३०	बिजनौर	१,६८,५४५.००
३१	बदायूं	१,२३,३७५.००
३२	मुरादाबाद	२,५०,७५२.५०
३३	शाहजहांपुर	५५,७४२.५०
३४	पीलीभीत	७९,०५०.००
३५	रामपुर	१,०६,०८७.५०
३६	नैनीताल	८१,९७४.५०
३७	अल्मोड़ा	६७,५००.००
३८	पौड़ी-गढ़वाल	३६,२५०.००
३९	टेहरी-गढ़वाल	२९,४४०.००
४०	लखनऊ	२,९४,९५०.००
४१	सीतापुर	७२,६२५.००
४२	रायबरेली	६२,५८७.५०
४३	उन्नाव	८५,५६६.००
४४	हरदोई	२,११,३९७.५०
४५	लखीमपुर खीरी	८२,४०५.००
४६	गोंडा	५४,९४७.५०
४७	प्रतापगढ़	६९,०६२.००
४८	सुल्तानपुर	३३,५२२.००
४९	बाराबंकी	४९,८४०.००
५०	बहराइच	५३,६१७.५०
५१	फैजाबाद	४९,८६२.५०
	योग रु० . .	८२,१५,१८०.७४

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर)

सन् १९५९ में स्वीकृत पेंशनरों की संख्या की सूची

क्रम-संख्या	जिले के नाम	संख्या विवरण	विशेष विवरण	क्रम-संख्या	जिले के नाम	संख्या विवरण	विशेष विवरण
१	मेरठ	८४		२८	सीतापुर	२३	
२	मुजफ्फरनगर	१५		२९	हरदोई	२४	
३	सहारनपुर	२१		३०	खेरी	१७	
४	बुलन्दशहर	२३		३१	बिजनौर	१४	
५	देहरादून	४४		३२	बदायूं	१२	
६	अलीगढ़	६६		३३	शाहजहांपुर	१०	
७	एटा	३४		३४	पीलीभीत	९	
८	मथुरा	७२		३५	रामपुर	१५	
९	मैनपुरी	१		३६	मुरादाबाद	१२	
१०	आगरा	३५		३७	बरेली	३८	
११	कानपुर	१३०		२८	गोंडा	२५	
१२	फतेहपुर	१५		३९	बहराइच	११	
१३	फर्रुखाबाद	३६		४०	बाराबंकी	२७	
१४	इटावा	२६		४१	प्रतापगढ़	६	
१५	इलाहाबाद	६१		४२	सुल्तानपुर	२६	
१६	झांसी	१५		४३	फैजाबाद	३१	
१७	जालौन	१२		४४	गोरखपुर	२४	
१८	बांदा	२७		४५	आजमगढ़	८	
१९	हमीरपुर	२५		४६	देवरिया	१३	
२०	वाराणसी	१०७		४७	बस्ती	११	
२१	गाजीपुर	१४		४८	नैनीताल	१८	
२२	जौनपुर	१४		४९	अल्मोड़ा	१५	
२३	बलिया	४१		५०	गढ़वाल	८	
२४	मिर्जापुर	१५		५१	टेहरी गढ़वाल	५	
२५	लखनऊ	३६					
२६	उन्नाव	१७				१,४१२	
२७	रायबरेली	२४					

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७–३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर)

उन अधिकारियों की सूची जिन्हें जिला मैनपुरी में रहते तीन साल से अधिक हो गये

नाम तथा पद	विभाग	कब से	कारण
श्री लामानुल हक जुबेरी, ट्रेजरी आफिसर	वित्त (सेवायें)	१७–५–५७	बस्ती को इनके स्थानान्तरण के आदेश जारी हो चुके हैं यह शीघ्र कार्यभार छोड़ने वाले हैं।
श्री इलम सिंह, बी०डी० ओ० एका	नियोजन (क)	१६–२–५६	नियोजन विभाग के आदेश संख्या १४०६/३५–क दिनांक १३ जुलाई, १९५९ के अनुसार।
श्री ओमशंकर मिश्र बी० डी०ओ० कुराओली।	नियोजन (क)	१७–११–५६	बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण पांच वर्ष बाद होता है।
श्री प्रताप सिंह, उप विद्यालय, निरीक्षक	शिक्षा (ख)	३–५७	इनके स्थानान्तरण के आदेश जारी हो चुके हैं।
श्री स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव असिस्टेन्ट इंस्ट्रक्टर, मिलिटरी एजूकेशन।	शिक्षा (ख)	५–५७	इनके स्थानान्तरण के आदेश जारी हो चुके हैं।
श्री एस०सी० भटनागर, स्थानापन्न सहायक इंजीनियर।	शक्ति (ख)	१६–१–५७	यह निकट भविष्य में पश्चिमी जर्मनी जाने वाले हैं। अतएव इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०९ एल० ए०—१९६०—८४५।